ईसीजीसी लिमिटेड

ECGC Limited

Make Local Go Global

61 वाँ वार्षिक रिपोर्ट

61st Annual Report

2018-2019

विजन

निर्यात ऋण बीमा व व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएँ प्रदान करना।

VISION

To excel in providing export credit insurance
and trade-related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
उपलब्ध स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर
भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and
trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market
through the optimal utilisation of availabe resources.

ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे.
You focus on exports. We cover the risks.

पंजीकृत कार्यालय

एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वीं, मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई – 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

REGISTERED OFFICE

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

कंपनी सचिव **COMPANY SECRETARY**	श्रीमती स्मिता वी पंडित Smt. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक **APPOINTED ACTUARY**	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha
परामर्शदाता बीमांकिक **MENTOR ACTUARY**	श्री के सुब्रह्मण्यम Shri K Subrahmanyam
संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक **JOINT STATUTORY AUDITORS**	मैसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण सं. 100990W M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No.100990W मैसर्स बीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं.105016W/W-100015 M/s. abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015
बैंकर **BANKERS**	कॉर्पोरेशन बैंक Corporation Bank आईडीबीआई बैंक IDBI Bank

विषय-वस्तु/ CONTENTS

क्र.सं. Sr. No	विषय-वस्तु/ CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2.	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	06
3.	निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	07
4.	अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	10
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Director's report	18
6.	कंपनी शासन Corporate Governance	47
7.	निगमित सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	76
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	84
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	
i	राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता एवं तुलन पत्र Revenue Accounts, Profit & Loss Account & Balance Sheet	112
ii	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	120
iii	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	136
iv	लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	147
v	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	173
vi	प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	180
16.	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन की रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	182
17.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	186
18.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	199
19.	सेवा तंत्र Service Network	202

निदेशक मण्डल / Board of Directors

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड
Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited

श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
Shri Bidyut Behari Swain
Additional Secretary,
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry, GOI

श्री के. राजारमन
अपर सचिव, आर्थिक मामले का
विभाग, वित्त मंत्रालय
Shri K. Rajaraman
Additional Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, GOI

श्रीमती उमा शंकर
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
Smt. Uma Shankar
Executive Director
Reserve Bank of India

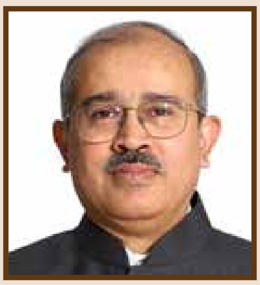

श्री डेविड रस्कीना
प्रबन्ध निदेशक, एक्ज़िम बैंक
Shri David Rasquinha
Managing Director,
EXIM Bank

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
Shri Rajnish Kumar
Chairman,
State Bank of India

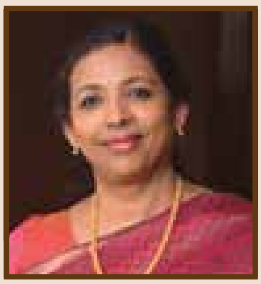

श्रीमती एलिस जी. वैद्यन
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
भारतीय साधारण बीमा निगम
(31/07/2019 तक सदस्य)
Smt. Alice G. Vaidyan
Chaiman-cum-Managing Director
General Insurance Corporation of India
(Ceased to be Director w.e.f July 31, 2019)

निदेशक मण्डल / Board of Directors

श्री गणेश कुमार गुप्ता
पूर्व अध्यक्ष, भारतीय निर्यात महासंघ
(दिनांक 27 जून 2019 से निदेशक के कार्य भार से मुक्त)
Shri Ganesh Kumar Gupta
Former President, Federation of Indian Export Organisations
(Ceased to be Director w.e.f June 27, 2019)

श्री शरद कुमार सराफ
अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
Shri Sharad Kumar Saraf,
President, Federation of Indian Export Organisations

श्री माणेक एरूच डावर
अ.प्र.नि., स्पेंटा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
Shri Maneck Eruch Davar
Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.

श्रीमती सरनला मालती रानी
निदेशक
Smt. Saranala Malathi Rani
Director

श्री प्रशान्त कुमार डालमिया
निदेशक
Shri Prashant Kumar Dalmia
Director

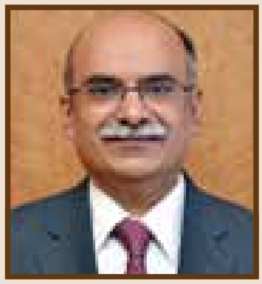

श्री एम. सेंथिलनाथन
कार्यपालक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड
Shri M. Senthilnathan
Executive Director, ECGC Limited

वरिष्ठ प्रबंधन / Senior Management

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

श्री एम. सेंथिलनाथन
कार्यपालक निदेशक

Shri M. Senthilnathan
Executive Director

श्रीमती पद्मावती आर.
कार्यपालक निदेशक

Smt. Padmavathy R.
Executive Director

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

श्री सी. एन. ए. अम्बरसन
श्री सुनील जोशी
श्री परमदीपलाल ठाकुर
श्री शिवाजी नार्वेकर
श्री ईशनाथ झा
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
श्री सुबीर कुमार दास

Shri C.N.A Anbarasan
Shri Sunil Joshi
Shri Paramdeep Lal Thakur
Shri Shivaji Narvekar
Shri Ishanath Jha
Shri Sristiraj Ambastha
Shri Subir Kumar Das

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

श्री निर्दोष चोपड़ा
श्री बलबीर सिंह मान
श्रीमती स्मिता वी. पंडित
श्री पी. एस. मुरली
श्री डी. वी.एस. साईंरामन
श्री जयप्रकाश मेनन
श्री उत्तम मुखर्जी
श्री एन. सुब्रमणियन
श्री अभिषेक कुमार जैन
श्री आनंद सिंह
श्री आर. के. पांडियन
श्री कुमार अंशुमन
श्री गौरव अंशुमन
श्री आर. सुब्रमणियन
श्री यशवंत बी. ब्रीद
श्रीमती अर्पिता सेन
श्री वाई. सुधीर
श्री सुभाष चंद्र चाहर

Shri Nirdosh Chopra
Shri Balbir Singh Maan
Shri Smita V. Pandit
Shri P.S. Murali
Shri D.V.S. Sairaman
Shri Jayprakash Menon
Shri Uttam Mukherjee
Shri N. Subramanian
Shri Abhishek Kumar Jain
Shri Anand Singh
Shri R. K. Pandian
Shri Kumar Anshuman
Shri Gaurav Anshuman
Shri R. Subramanian
Shri Yashwant B. Breed
Smt. Arpita Sen
Shri Y Sudheer
Shri Subhash Chandra Chahar

निष्पादन विशेषताएँ–पिछला दशक / Performance Highlights - Past Decade

(₹ करोड़) (₹ Crores)

वर्ष /YEAR	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	1,98,872.00	1,77,349.00	1,72,788.00	1,35,871.97	1,33,983.00	1,31,343.62	1,26,100.41	1,19,621.00	93,127.40	85,686.90
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	4,55,267.00	4,56,684.00	4,48,604.00	1,27,534.80	1,38,555.00	1,38,149.89	1,33,250.78	1,20,118.65	3,31,758.29	2,71,273.95
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	5,787.00	7,415.57	6,027.26	5,979.06	7,652.00	9,76,2.82	10,160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51
कुल / Total	**6,59,926.00**	**6,41,448.57**	**6,27,419.26**	**2,69,385.83**	**2,80,190.00**	**2,79,256.33**	**2,69,511.50**	**2,46,626.13**	**4,31,888.34**	**3,63,728.31**
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68	355.89	333.66	289.43
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	806.83	843.22	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72	601.82	510.57	486.78
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85	47.12	41.23	36.79
कुल / Total	**1,247.54**	**1,240.42**	**1,267.62**	**1,320.73**	**1,362.40**	**1,303.73**	**1,157.25**	**1,004.83**	**885.46**	**813.00**
प्रदत्त दावे /CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69	87.03	160.90	270.02
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	813.39	1131.48	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61	626.00	459.63	371.70
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	31.79	14.99	22.99	-	-	148.65	38.20	-	-	-
कुल/ Total	**1,013.31**	**1,283.17**	**885.34**	**1,122.84**	**589.83**	**897.49**	**548.50**	**713.03**	**620.53**	**641.72**
वित्तीय शुल्कों, क RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40	6.31	9.27	16.33
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71	152.59	110.65	110.87
मिध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	-	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42	9.74	16.14	6.40
कुल/ Total	**150.83**	**185.61**	**138.67**	**114.04**	**160.15**	**158.31**	**120.53**	**168.64**	**136.06**	**133.60**

नोट : * इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य , वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानि सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य है।

Note : Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो.मू. सकल हानि सीमा (ए एल एल) का 20 गुना लिया गया है क्योंकि इसमें ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त अनुपात 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो.मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01.04.2017 से प्रभावी है एवं वर्तमान तिमाही से लागू की गई है। विवरण को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के आंकड़ों की पुनर्गणना की गई है।

The RV for customized MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017 and implemented in the current quarter of reporting. To make the comparison equitable, the last year's figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.

*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया को दर्शाता है।

Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आंकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।

The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

निष्पादन विशेषताएँ 2018-19 / Performance Highlights 2018-19

उत्पाद समूह हिस्सेदारी / Product Group Contribution

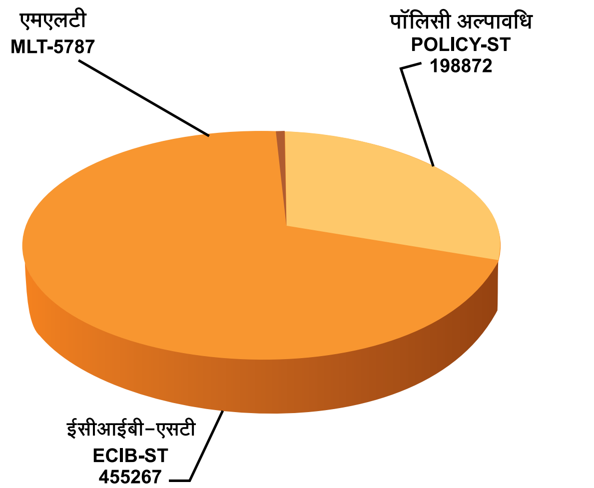

व्यापार अतर्गत का मूल्य (आरवी) ₹ 6,59,926 करोड (दि. 31.03.2019 तक)
Value of Business Covered (RV) ₹ 6,59,926 Cr (as on 31.03.2019)

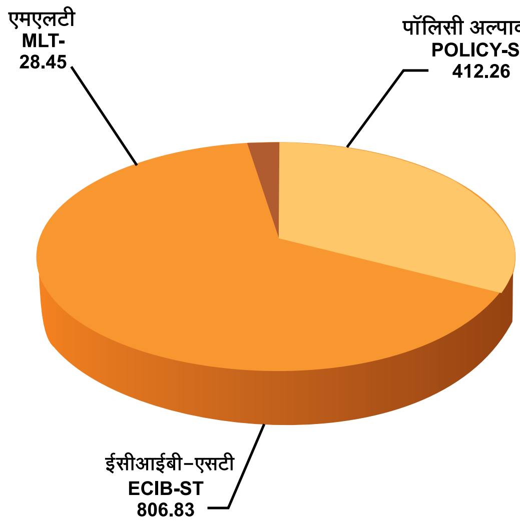

कुल प्रीमियम आय ₹ 1247 करोड (दि. 31.03.2019 तक)
Total Premium Income ₹ 1,247.54 Cr (as on 31.03.2019)

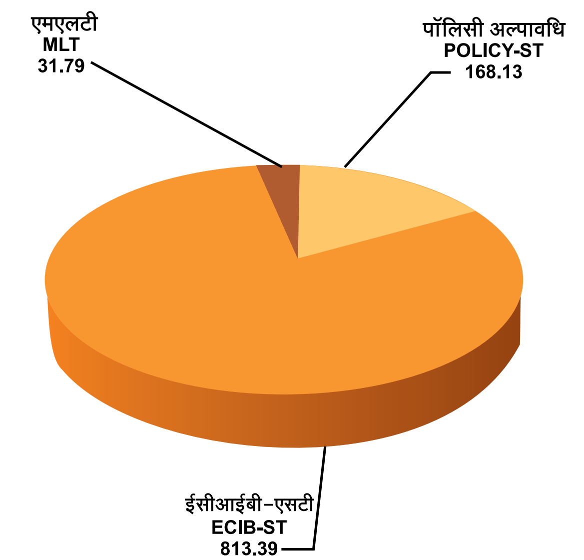

कुल प्रदत्त दावे अदा किया ₹1013.31 करोड (दि. 31.03.2019 तक)
Total Claims Paid ₹ 1013.31 Cr (as on 31.03.2019)

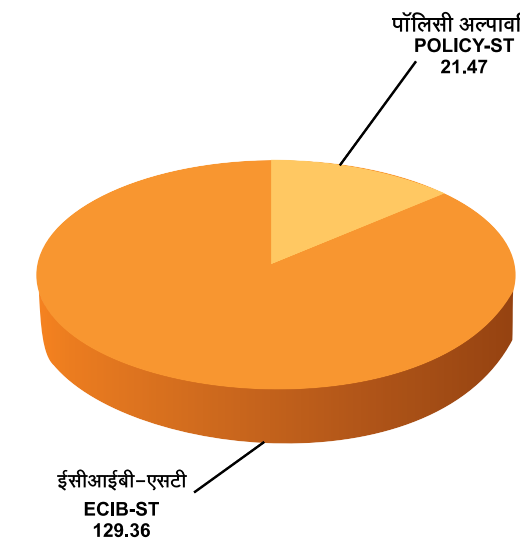

कुल की गई वसूली ₹150.83 करोड़ (दि. 31.03.2019 तक)
Total Recoveries made ₹ 150.83 Cr (as on 31.03.2019)

- ईसीआईबी-अल्पावधि बैंको के लिए निर्यात ऋण बीमा-अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term
- पॉलिसी - अल्पावधि /Policy-ST: Policy - Short Term
- एमएलटी - मध्यम तथा दीर्घावधि / MLT : Medium and Long Term

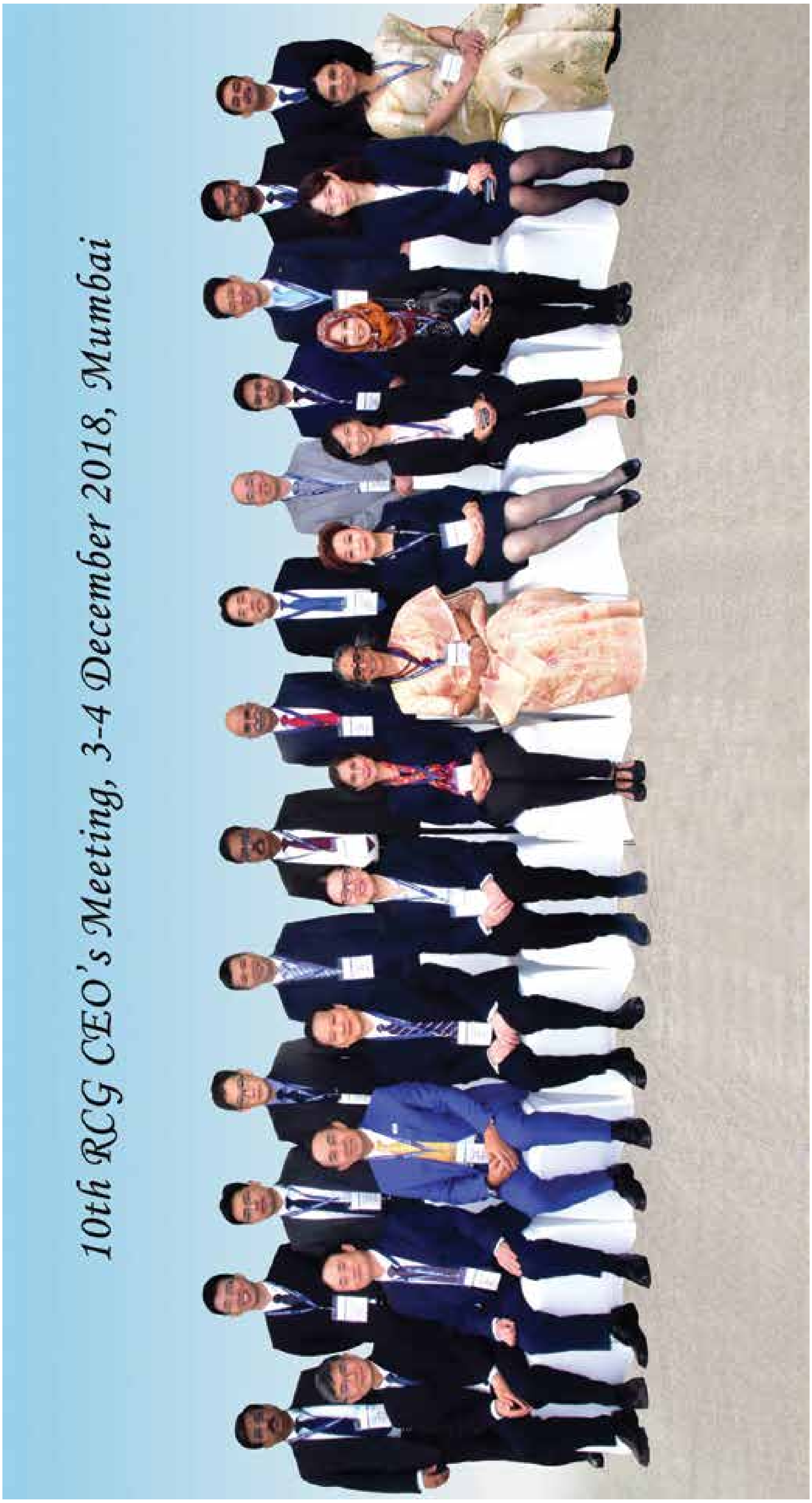

दिनांक 03 – 04 दिसंबर 2018 को सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग समूह के मुख्य कार्यपालकों की 10वीं बैठक

10th RCG CEO's meeting held on 03-04 December, 2018

अध्यक्ष का वक्तव्य

CHAIRMAN'S STATEMENT

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार घट रहा है और वैश्विक जी.डी.पी. में दुनिया के निर्यात की हिस्सेदारी 2013-14 की तुलना में 2018-19 में लगभग आधी हो कर 12% तक पहुंच गई है। सीमा पार व्यापार, विश्व अर्थव्यवस्था में हुई साधारण वृद्धि के सापेक्ष स्थिर रहा है। गत वर्ष को, उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब व्यापार युद्ध प्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भ हो गए। व्यापार संरक्षणवाद के लगातार बढ़ने के

International trade, as a share of world GDP has been declining and the share of world exports to world GDP has almost halved in 2018-19 to 12% as compared to that of 2013-14. The cross border trade has stagnated relative to the modest growth of world economy. The year gone by will be remembered as the year when trade wars broke out openly. As trade protectionism continues to rise, global trade outlook remains grim. Exports are

कारण वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण गंभीर बना हुआ है। निर्यात, सतत वृद्धि हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाना कठिन हो गया है।

विडंबना यह है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों, व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को खतरे में डालने के कारण सबसे विघटनकारी राजनीतिक जोखिम पैदा कर रही हैं। यह धारणा है कि भू–राजनीतिक तनाव समय के साथ तेज हो सकते हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए, भारत एकमात्र ऐसी एशियाई अर्थव्यवस्था है, जो 2017 के अंत से सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना निर्यात भगीदारी बढ़ा रही है। फ़ोकस गंतव्यों और फ़ोकस क्षेत्रों के संबंध में की गई विभिन्न पहलें निकट भविष्य में पर्याप्त वृद्धि का कारण बनेंगी।

हमारे निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने की रणनीति के अंतर्गत, अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक होने अपार संभावनाएं है परंतु यह वर्तमान में हमारे वणिज्यिक व्यापार का महज़ 10% हिस्सा है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापरिक भागीदार होने के कारण अपने प्रभाव का उपयोग कर अफ्रीकन कॉटिंनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एएफ.सी.एफ.टी.ए.) का लाभ उठा सकता है तथा एफएमसीजी, उत्पादन तथा विनिर्माण क्षेत्रों में कई अवसर उत्पन्न कर सकता है।

ईसीजीसी द्वारा भारत सरकार (भा.स.) के ओर से 11.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है तथा भारत पहला ऐसा गैर–अफ्रीकी देश है जो एटीआई (अफ्रीकन ट्रेड इंश्युरेंस एजेंसी), संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत विश्व बैंक तथा अफ्रीका में व्यापार तथा निवेश को बढावा देने हेतु स्थापित अफ्रीकन विकास बैंक एक बहुपक्षीय संस्था, का अंशधारक है। ईसीजीसी एटीआई के बोर्ड में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और अफ्रीका के हितों और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस अवसर का पोषण करेगा, जिसके फलस्वरूप अफ्रीकी देशों के हितों की रक्षा में भारत का योगदान बढ़ेगा।

5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी तक पहुंचने और महाशक्ति बनने के लिए भारत की आकांक्षा विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली विकास की संभावनाओं पर आधारित है। सरकार ने आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात की वृद्धि में तेजी अर्थव्यवस्था के विस्तार में प्रमुख चालकों में से एक होगी। इस संबंध में, राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन पर समुचित रूप से ध्यान

vital to achieve sustained growth and to expand share in world exports has become hard.

Ironically, the advanced economies are generating the most disruptive political risks due to nationalism and claims of national security, threatening trade investment and supply chains. It is expected that the geopolitical tensions may intensify over time. Given this scenario, India is the only Asian economy that is growing its exports share since end of 2017 despite all headwinds. Various initiatives regarding focus destinations and focus sectors will gradually lead to substantial growth in the near future.

In the strategy to diversify the destination of our exports, Africa has a huge potential being one of the important trade partners but, with a modest share of 10% of our merchandise trade. India being Africa's third largest trading partner, can influence and leverage the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) to harvest substantial opportunities in FMCG, manufacturing and in infrastructure projects.

ECGC on behalf of Government of India (GoI) has invested $11.7 mn and India has become the first non-African country as a shareholder in ATI (African Trade Insurance Agency), a multilateral institution under UN charter with oversight from World Bank and African Development Bank set up for promoting trade and investments within Africa. ECGC will represent GOI on the board of ATI and nurture this opportunity to enhance the interests of Africa and the bilateral trade and investment opportunities, thereby increasing the contribution of India in protecting the interests of African nations.

India's trajectory to reach a GDP of $ 5 trillion and becoming a superpower is based on the potential for growth perceived in various sectors. The government has stressed the need to increase exports in order to drive the economic growth and provide boost to employment. Acceleration in the growth of exports of manufactures and services will be one of the key drivers in the expansion of the economy. In this regard, a thrust on export promotion at state level is being focussed upon rightly. ECGC's extensive network with presence

केंद्रित किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में उपस्थिति के साथ ईसीजीसी का व्यापक नेटवर्क संबंधित राज्यों में निर्यात पहल की सफलता के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करेगा।

संक्षेप में, 2018-19 के अंत में ईसीजीसी की लगभग 32000 रक्षाएं सक्रिय थीं, जिसमें अधिकतम देयता लगभग 9.98,000 करोड़ रुपये थी। निर्यात प्राप्ति का बीमित मूल्य 12% बढ़कर लगभग ₹ 2,00,000 करोड़ हो गया, जबकि बैंक ऋण का बीमा मामूली रूप से घटकर ₹ 4,55,000 करोड़ हो गया। मध्यम और दीर्घावधि परियोजना के निर्यात कारोबार के अंतर्गत कुल जोखिम मूल्य लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये था जो लगभग 30% निर्यात को रक्षा प्रदान करता है। ईसीजीसी का पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लगभग 90% की सीमा तक, निर्यातक लाभार्थियों की विविधता के स्तर पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम निर्यातकों द्वारा गठित है, जो इस क्षेत्र के लिए हमारे अटूट समर्थन का प्रमाण है ।

दावा निपटान ने एक बार फिर 1,013 करोड़ रुपये के साथ चार अंकों के आंकड़े को पार कर लिया, जिसमें 6768 करोड़ रुपये का पर्याप्त प्रावधान भी शामिल है। जहां कर पूर्व लाभ 154% बढ़कर ₹ 314.39 करोड़ हो गया वहीं सरकार को प्रदत्त लाभांश भी लगभग चौगुना होकर 60 करोड़ गया है। कंपनी का निवेश पोर्टफोलियो भी पांच अंकों की सीमा को पार कर 1045 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियां और कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियां निर्यात प्रोत्साहन के हमारे अधिदेश को पूरा करते हुए काफी अधिशेष सुनिश्चित करती हैं।

ईसीजीसी को निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने, इस हेतु दृढ़प्रतिज्ञ होने तथा अभ्यास करने के लिए काउंसिल फॉर फेयर बिज़नेस प्रैक्टिसेज (सीएफबीपी) – जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार, 2018 से सम्मानित किया गया है। राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ईसीजीसी ने मुंबई(उपक्रम) नगर राजभाषा कार्यांवयन समिति से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ईसीजीसी को गत वर्ष हिंदी दिवस समरोह के अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। एमएसएमई एससी / एसटी उद्यमियों से खरीद के संबंध में, ईसीजीसी को सामान्य श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में चुना गया था।

ईसीजीसी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए कॉर्पो रेट प्रशासन प्रथाओं के उच्चतम स्तर पर विश्वास करता है। कंपनी पेशेवर व्यवहार तथा नैतिक व्यापार प्रथाओं का पालन करने के

in almost all states will ensure the required support for the success of export initiatives in respective states.

In all, at the close of 2018-19 ECGC had around 32000 covers in force, with a Maximum Liability of around ₹ 98,000 cr. The insured value of export receivables grew by 12% to almost ₹ 2,00,000 cr, while the bank lending insured declined marginally to ₹ 4,55,000 cr. The total risk value covered including that under Medium & Long Term project export business was around ₹ 6.6 lakh crores supporting almost 30% of exports. The portfolio of ECGC is constituted predominantly to the extent of almost 90% by Micro, Small and Medium Exporters in terms of distinct exporter beneficiaries bearing testimony to its unwavering support to the sector.

The claim settlement once again crossed the four digit mark of over ₹1013 cr with substantial provision too at ₹ 6768 cr. While Profit Before Tax increased by 154% to ₹ 314.39 cr. the dividend to the government has almost quadrupled at ₹ 60 cr. Investment portfolio of the Company has also crossed five digit milestone to ₹10345 cr. Prudent risk management policies and systems adopted by the Company ensure a considerable surplus while carrying out our mandate of export promotion.

ECGC has been honoured with an award from Council for Fair Business Practices (CFBP) – Jamnalal Bajaj Uchit Vyavhar Puraskar, 2018 for promoting, committing and practising fair business practices. ECGC won first prize from Mumbai PSU Town Official Language Implementation Committee for excellent implementation of official language policy. ECGC was also presented the third prize under Rajbhasha Kirti Puraskar of Ministry of Home Affairs during the Hindi Divas Samaroh last year. As regards procurement from MSME SC/ST entrepreneurs, ECGC was selected as the best performer under the general category.

ECGC believes in the highest degree of Corporate Governance practises by ensuring transparency and accountability. The Company is committed to following professionalism and ethical business practices. Our Corporate Social Responsibility initiatives are spread across various regions of the country in all important sectors like healthcare, education, women and child

लिए प्रतिबद्ध है। हमारी निगमित सामाजिक दायित्व पहल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण और स्वच्छ भारत पहल जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। वर्ष के अंत में सीएसआर कोष का पूरा उपयोग या प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है। कंपनी सभी प्रासंगिक वैधानिक और विनियामक मानदंडों का अनुपालन करती है तथा उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रक्रिया उपलब्ध है।

वैश्विक सर्वेक्षण में लघु अवधि निर्यात जोखिम आउटलुक में, 90% से अधिक उत्तरदाताओं ने आर्थिक टकराव के संबंध में, 88% नें बहुपक्षीय व्यापारिक नियमों के क्षरण के सम्बंध में तथा 85% नें देशों के बीच राजनीतिक घर्षण के कारण जोखिम के बढ़ने की उम्मीद की है। दुनिया भू-राजनीतिक तनावों और भू-आर्थिक व्यवधानों जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। जैसे कि वैश्विक जोखिम बढ़ रहे हैं, ईसीजीसी जैसी निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) की व्यापार ऋण और राजनीतिक जोखिम बीमा के माध्यम से व्यापार को संचलित रखने में एक प्रमुख भूमिका है। निर्यात और निर्यात ऋण के समर्थन में अग्रणी, ईसीजीसी निर्यातकों और बैंकों के लिए एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है।

कंपनी निदेशक मंडल के सभी निदेशकों के योगदान के लिए सराहना करती है। श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं , श्री के राजारामन तथा श्रीमती उमा शंकर वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में शामिल हुए। वर्ष के दौरान, श्री राजीव ऋषि, श्री ए.के.मिसरा, श्री सुनील कुमार, श्री गोविंद मोहन तथा श्री सुनील बर्थवाल निदेशक मंडल के सदस्य नही रह गए। हम निर्यातकों और बैंकों के आभारी हैं जो हमें अपने निर्यात प्रयासों में एक आवश्यक भागीदार मानते हैं। हम निरंतर समर्थन हेतु, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीएजी, नीति आयोग, डीपीई, भारतीय रिजर्व बैंक और आईआरडीएआई का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ईसीजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन प्रत्येक ईसीजीसियन की प्रतिबद्धता और योगदान से ही संभव होती है। हम निर्यात को बढ़ावा देने के अपने राष्ट्रीय मिशन में इस प्रणालीगत संस्था के मूल्यों और लक्ष्यों के लिए समर्पण जारी रखेंगे।

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

welfare and Swachh Bharat initiatives. It is ensured that CSR corpus is fully utilised or committed as at the end of the year. The Company complies with all relevant statutory and regulatory norms and has put in place systems to adhere to the requirements.

In the Short Term export risk outlook in a global survey, more than 90% of respondents expect the risk to increase in respect of economic confrontations, 88% in erosion of multilateral trading rules and 85% in political frictions between countries. The world is facing complex challenges like geopolitical tensions and geoeconomic disruptions. As the global risks are intensifying, Export Credit Agencies (ECAs) like ECGC have a major role to play in keeping the trade going by, through trade credit and political risk insurance. In pioneering the support to exports and export credits, ECGC continues to be a trusted and crucial partner to exporters and banks.

The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the board. Mr.Bidyut Behari Swain, Mr.K.Rajaraman, Mrs. Uma Shankar joined the Board during the year. Mr. Rajeev Rishi, Mr. A.K.Misra, Mr. Sunil Kumar, Mr. Govind Mohan, Mr. Sunil Barthwal ceased to be on Board during the year. We are grateful to exporters and banks who consider us as an essential partner in their export endeavour. We extend our heartfelt thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their continued support.

The pivotal role of ECGC is made possible by the commitment and contributions from each and every ECGCean. We shall continue to dedicate ourselves to the values and goals of this systemic institution in its national mission of promoting exports.

Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

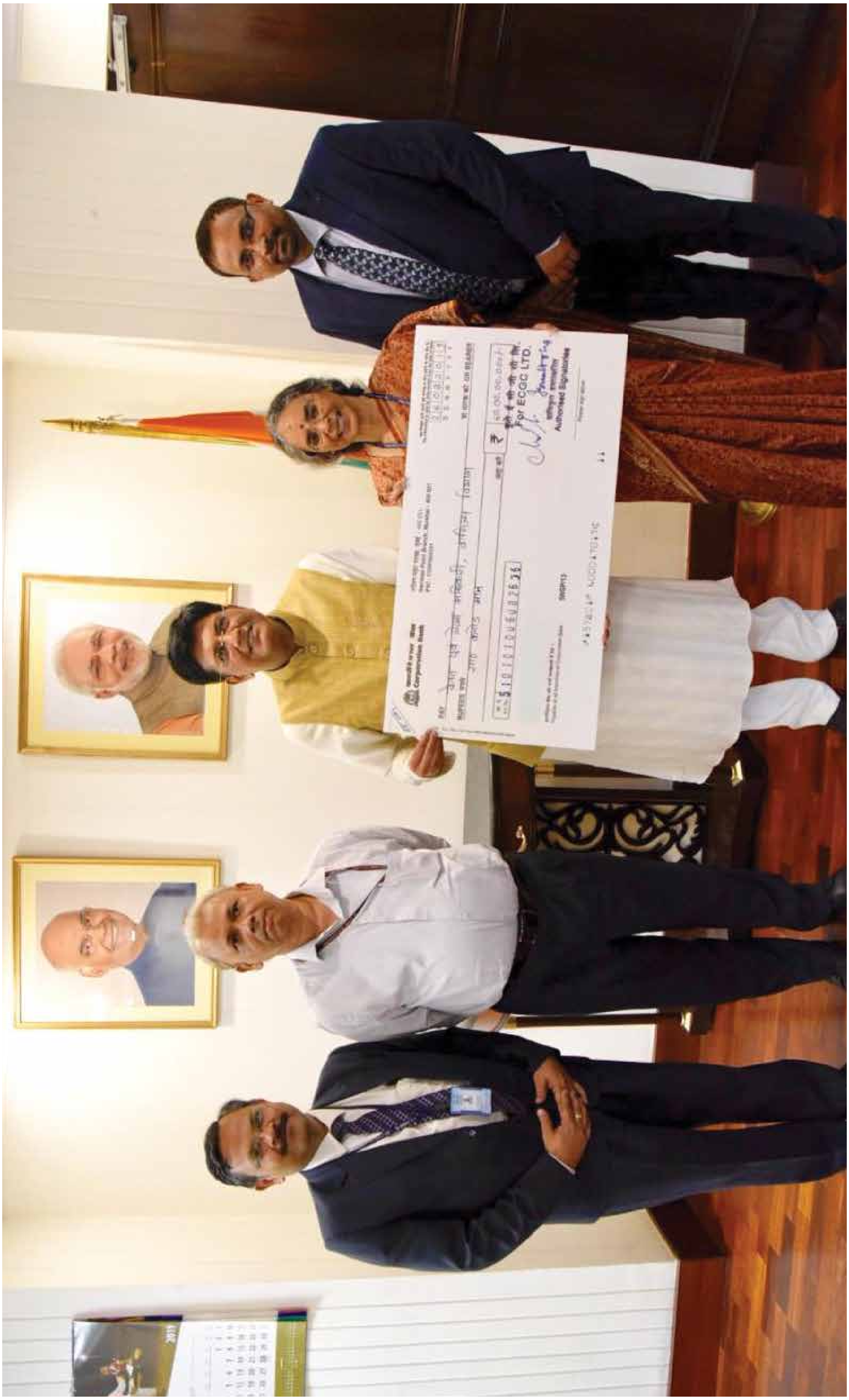

श्रीमती गीता मुरलीधर, अ प्र नि ईसीजीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य व उद्योग माननीय श्री पीयूष गोयल को ₹ 60 करोड़ लाभांश का चेक प्रदान करते हुए।
ECGC CMD Smt. Geetha Murlidhar handed over Dividend Cheque of ₹ 60 Cr to Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry Shri Piyush Goyal the FY 2018-19

जोहनास्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका में दिनांक 24 जुलाई 2018 को संपन्न निर्यात ऋण एजेंसियों के ब्रिक्स प्रमुखों की बैठक.
BRICS Heads of ECAs meeting held on 24th July 2018, Johannesburg, South Africa

क्षेत्रीय सहयोग समूह के मुख्य कार्यपालकों की बैठक में अ प्र नि –ईसीजीसी, का नि (पॉ मा) ईसीजीसी, एवं म प्र–ईसीजीसी
CMD-ECGC, ED(PM)-ECGC and GM-ECGC, at the 10th RCG CEO's meeting

ईसीजीसी लिमिटेड को एम एस एम ई मंत्रालय (भा. स.) द्वारा अनु जा / अनु जन जा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए साधारण श्रेणी के अधीन सर्वोत्तम निष्पादनकर्ता का पुरस्कार प्रदान किया गया

ECGC Limited was awarded as the Best Performer under the General Category towards promotion of SC/ST entrepreneurs by MSME ministry GoI

ईसीजीसी लिमिटेड को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा राजभाषा शील्ड, प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया

ECGC Limited was awarded Rajbhasha Shield First Prize by Minister of Commerce & Industry for implementation of Rajbhasha Policy

दिनांक 26.08.2019 को सम्पन्न वार्षिक साधारण बैठक पश्चात वाणिज्य सचिव, अन्य शेयर धारकों एवं निदेशकों के साथ ई सी जी सी के अधिकारी

ECGC officials with Commerce Secretary, Other Shareholders and Directors after the Annual General Meeting held on 26.08.2019

निदेशकों की रिपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक, सहर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी कंपनी की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिलब्धियाँ

आपकी कंपनी की वित्तीय परिलब्धियाँ, समीक्षाधीन अवधि के लिए निम्नलिखित हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	2018-19	2017-18
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	124754.26	124041.71
वित्तीय शुल्कों, कर, मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	31875.60	12659.81
घटाएं : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीटीडीए)	31875.60	12659.81
घटाएं : मूल्यह्रास	436.80	318.11
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	31438.80	12341.70
कराधान हेतु प्रावधान	7000.53	5549.98
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	24438.27	6791.72

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के 1283.17 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल करोड़ रु 1013.31 के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1138.59 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़कर 1141.16 करोड़ हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 696.29 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश और अन्य आय 25.88%. की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹ 876.47 करोड़ हो गई ।

पिछले वर्ष के दौरान ₹1,240.42 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 0.57%% की वृद्धि के साथ ₹ 1247.54 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जन किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) के आंकड़े गत वर्ष के ₹ 839.24 करोड़ की तुलना में 1.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 854.42 करोड़ रहे ।

लाभ और विनियोजन

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 1270.41 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रचालनों से कुल आय 6.25% बढ़कर

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 61st Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2019.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
Turnover (Gross Premium)	124754.26	124041.71
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	31875.60	12659.81
Less : Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	31875.60	12659.81
Less : Depreciation	436.80	318.11
Net Profit Before Taxation (PBT)	31438.80	12341.70
Provision for Taxation	7000.53	5549.98
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	24438.27	6791.72

During the FY 2018-19, the total claims paid by the Company is ₹1013.31 Crore against ₹ 1283.17 Crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim increased for the FY 2018-19 to ₹ 1141.16 Crore against ₹ 1138.59 Crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹ 876.47 Crore in FY 2018-19 from ₹ 696.29 Crore in the previous FY reflecting a growth of 25.88%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2018-19 was ₹ 1247.54 Crore against ₹ 1240.42 Crore during the previous FY registering a growth of 0.57%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2018-19 increased to ₹ 854.42 Crore against ₹ 839.24 Crore for the previous FY registering a growth of 1.81%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2018-19, total income from operations

₹1349.84 करोड़ हो गई । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹130.05 करोड़ की प्रचालन हानि की तुलना में,कम्पनी द्वारा ₹ 42.77 करोड़ की प्रचालन हानि प्रदर्शित की गयी। पिछले वर्ष के ₹ 123.49 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में,कम्पनी द्वारा ₹ 42.77 करोड़ की प्रचालन हानि प्रदर्शित की गयी। पिछले वर्ष के ₹123.49 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹314.39 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) रहा । वर्ष के दौरान ₹70.01 करोड़ रु के आय कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के ₹74.29 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) ₹ 244.38 करोड़ रहा।

was up by 6.25% to ₹ 1349.84 Crore from ₹ 1270.41 Crore in the previous FY. During the FY 2018-19, the Company posted an Operating Loss of ₹ 42.77 Crore compared to an Operating Loss of ₹ 130.05 Crore during the previous FY. During the FY 2018-19, Profit Before Tax (PBT) was ₹ 314.39 Crore against ₹ 123.42 Crore in the previous FY. After providing ₹ 70.01 Crore towards Income Tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2018-19 was ₹ 244.38 Crore against ₹ 67.92 Crore in the previous FY.

क्षेत्रवार प्राप्त सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)
Segment-wise Gross Premium Received (₹ crores)

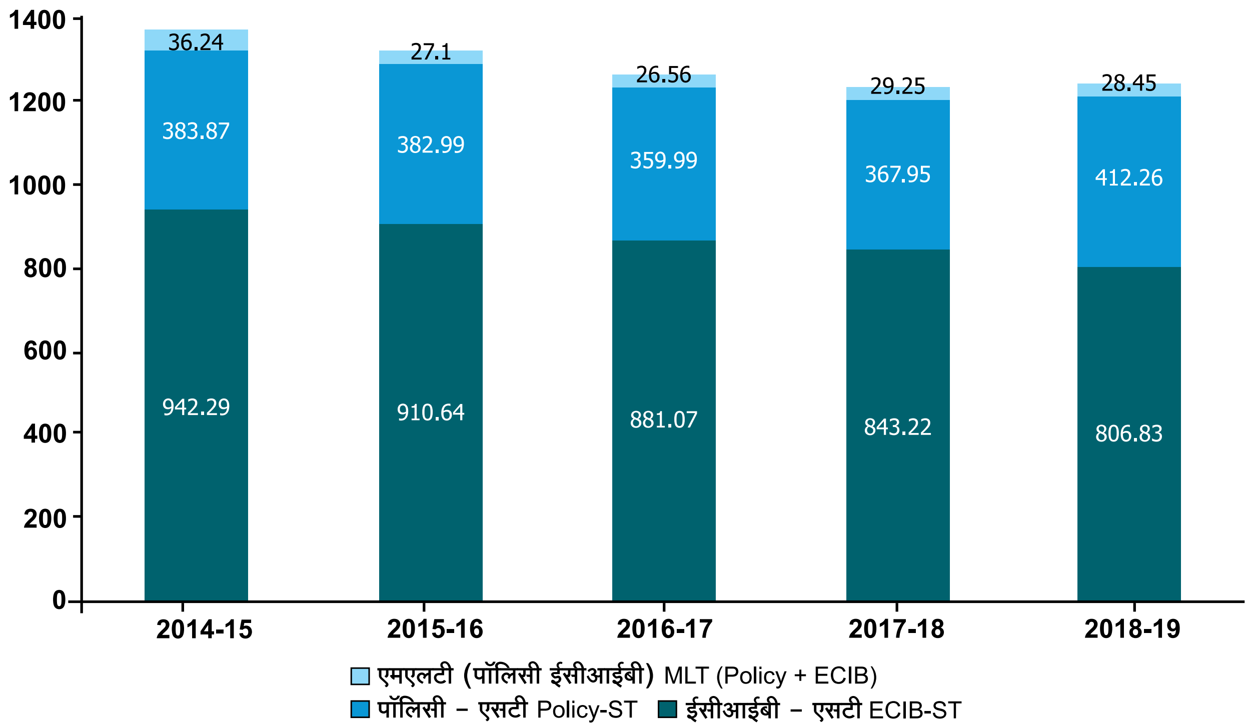

एमएलटीः मध्यम व दीधावधिःईसीआईबीः बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा, एसटीः अल्पावधि
MLT: Medium and Long Term; ECIB: Export Credit Insurance for Bank; ST: Short Term

लाभांश

निदेशन मण्डल सहर्ष प्रत्येक रु 100 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹ 3 प्रति इक्विटी शेयरके पूर्ण और अंतिम लाभांश की सिफ़ारिश करता है, जो ₹ 60.00 करोड़ होता है। कुल लाभांश उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹ 72.33 करोड़ होगा जो ₹244.38 करोड़ के करोत्तर लाभ (पी ए टी) का 29.60% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है।

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹ 3 per Equity Share on the 20,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each, amounting to ₹ 60.00 Crore. The total Dividend along with the Dividend Distribution Tax thereon amounts to ₹ 72.33 Crore representing a pay-out ratio of 29.60% of the PAT of ₹ 244.38 Crore.

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 31 मई 2019 को सम्पन्न बोर्ड ने अपनी 421वीं बैठक में ₹172.05 करोड़ का सामान्य आरक्षित निधि रखना प्रस्तावित किया है।

अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2019 को कंपनी का निवल मूल्य ₹4463.41 करोड़ (31 मार्च 2018 को ₹3737.11 करोड़) था, जिसमें ₹2000 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त ₹ 500 करोड़ की राशि सहित) की चुकता पूंजी व ₹2463.41 करोड़ की आरक्षित निधियां और अधिशेष शामिल हैं ।

क. प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है ।

ख. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है ।

ग. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं ।

घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है ।

RESERVES

The Board at its 421st Meeting held on May 31, 2019, proposed to transfer ₹ 172.05 Crore to the General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

SHARE CAPITAL

As on March 31, 2019 the Company's Net Worth was ₹ 4463.41 Crore (₹ 3737.11 Crore as on March 31, 2018) comprising Paid-up Share Capital of ₹ 2000 Crore (including ₹ 500 Crore received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during FY 2018-19) and Reserves and Surplus of ₹ 2463.41Crore.

a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

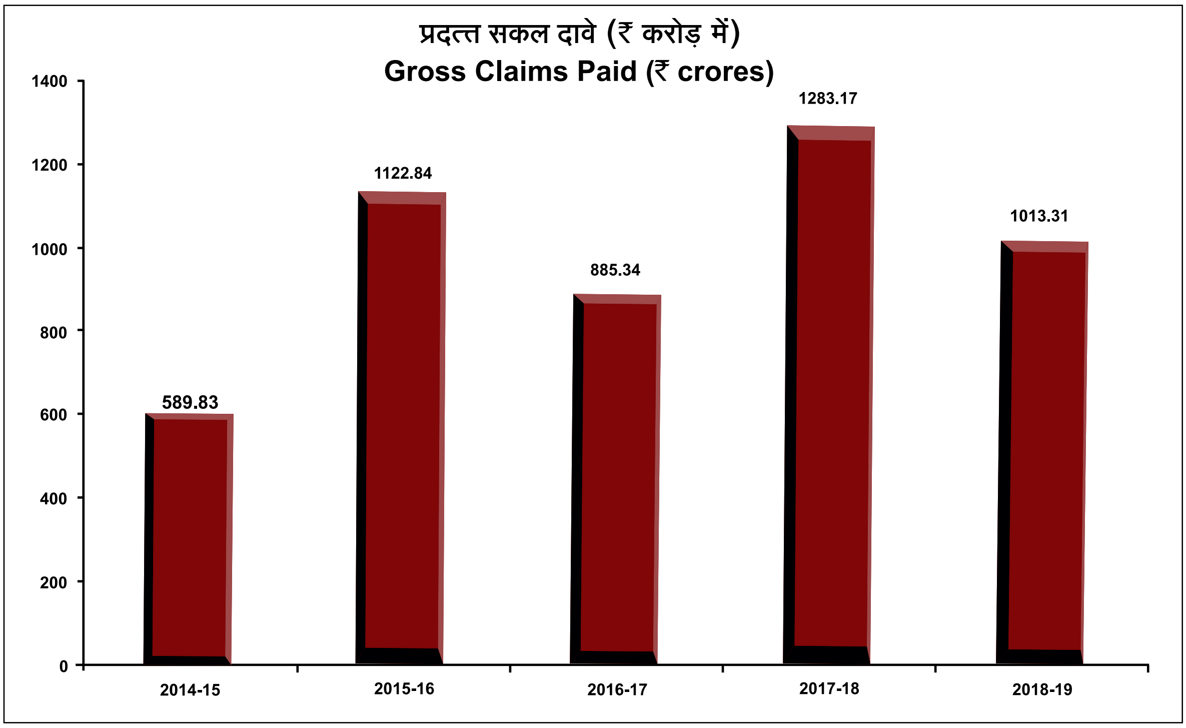

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। कम्पनी को उसके नाम को यथावत रखते हुए दिनांक 8 जनवरी 2019 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित किया गया।

शोधक्षमता मार्जिन

31 मार्च, 2019 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 10.40 गुना रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	2018-19	2017-18
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन(आर.एस.एम.) (करोड़ में)	377.78	361.17
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	3929.71	3561.22
शोधक्षमता अनुपात(कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.) (गुना)	10.40	9.86

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत , बीमांकन किया जा सकता है , इसी क्रम में 31 मार्च 2019 तक कम्पनी की अधिकतम देयता ₹ 1,00,000 करोड़ पर अपरिवर्तनीय रही । दिनांक 31 मार्च 2018 को औसत अ.दे. ₹ 97,870.52 करोड़ थी।

नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2018-19 में, कम्पनी द्वारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एस ई ज़ेड) में स्थित निर्यात ईकाइयों के लिए बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी (एम बी ई पी-ऍफ़ सी) विदेशी मुद्रा नामक नए उत्पाद का आरम्भ किया गया। एम बी ई पी-ऍफ़ सी के अधीन निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में किये जाने वाले उनके कारोबार में उत्पन्न विदेशी खरीदार जोखिमों अथवा राजनीति जोखिमों से रक्षा प्रदान की जाती है.

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए आई के 29% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 24.07% (पिछले वर्ष 16.87%) रहा ।

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2018-19 there was no change in the Memorandum of Association of the Company. The Company was converted into Public Limited Company on January 08, 2019 without changing its name.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2019 is 10.40 times against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5 times. The details are as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹in Crore)	377.78	361.17
Available Solvency Margin (ASM) (₹in Crore)	3929.71	3561.22
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	10.40	9.86

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹ 1,00,000 Crore as of March 31, 2019. The aggregate ML of covers issued and in force as on March 31, 2019 was ₹ 97,870.52 Crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2018-19, Company introduced a new product named 'Multi-Buyer Exposure Policy in Foreign Currency (MBEP-FC)' for the export units located in Special Economic Zones (SEZ). The MBEP-FC protects them against losses, arising out of Overseas Buyer's Risks or Political Risks in buyer's country, in foreign currency.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDAI.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2018-19 stand at 24.07% (previous FY 16.87%) against the IRDAI norm of 29%.

(₹ लाखों में)

विविध समूह / कॉर्पोरेट			
			(ऋ करोड़ में)
कुल सकल प्रीमियम का भाग जो बीमाकर्ता द्वारा भारत में बीमांकित किया गया	प्रीमियम	प्रीमियम का प्रतिशत	स्वीकृत व्यय
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	897.54	27.50%	246.82
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	**1247.54**		**361.82**
स्वीकृत व्यय का %			**29**

(₹ in Lakhs)

Miscellaneous Group / Corporate			
			(₹ In Crore)
Part of the total Gross Premium of the insurer written in India	**Premium**	**Percentage of Premium**	**Allowable Expenses**
First	200.00	35.00%	70.00
Next	150.00	30.00%	45.00
The Balance	897.54	27.50%	246.82
Total Written Premium in India	**1247.54**		**361.82**
% of Allowable Expenses			**29**

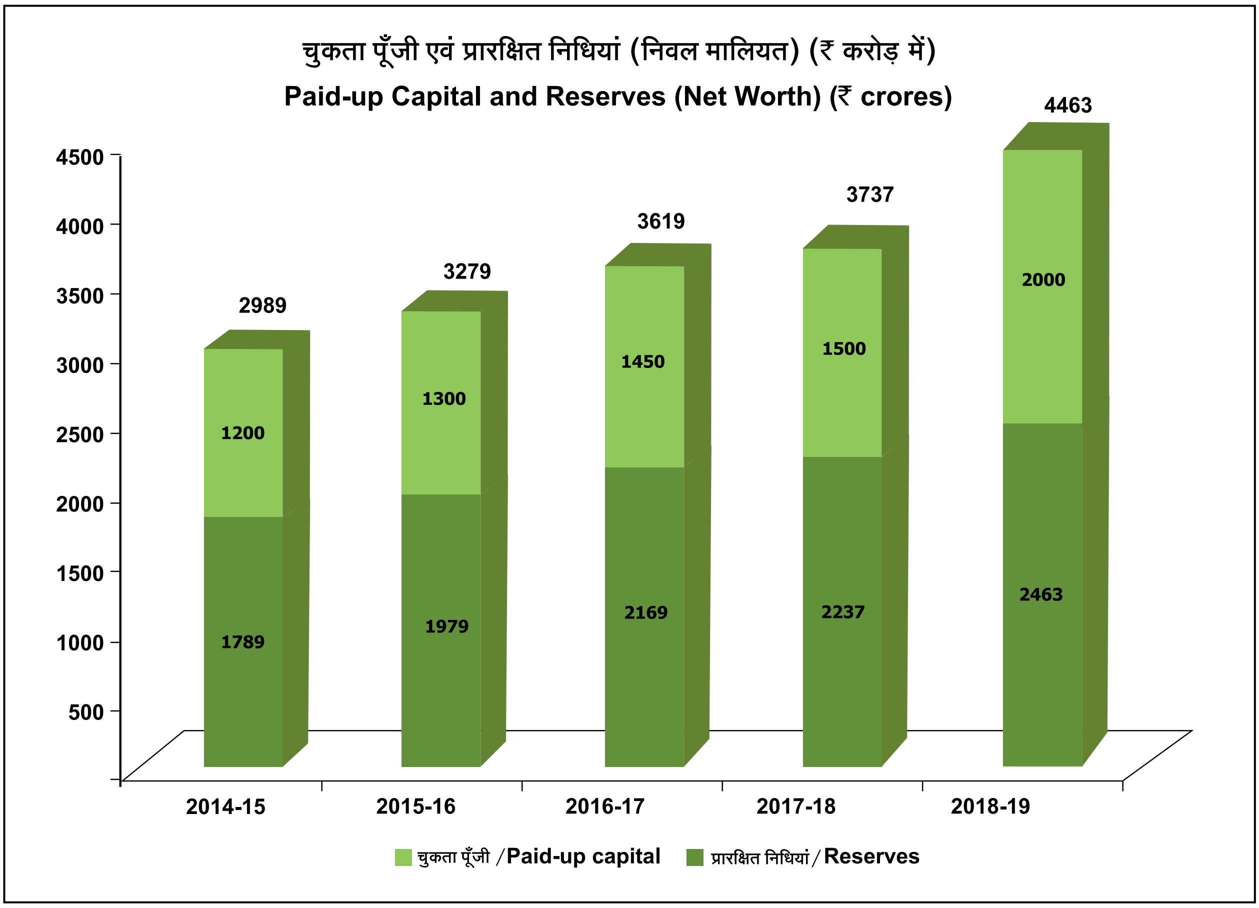

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium

ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है । 31 मार्च 2019 को ट्रस्ट के पास ₹ 2744.37 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध रही । ट्रस्ट की बीमंकन क्षमता ₹ 54,887.40 है जिसके 25% अर्थात ₹13,721 करोड की राशि कम्पनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित की गयी है । वर्तमान में, एन ई आई ए के साथ साझेदारी में ₹ 8180 करोड़ की सीमा तक 123 परियोजनाओं के लिये 208 रक्षाएं प्रभावी हैं। ₹ 54,887.40 के शेष 75% की ₹ 41,165.55 करोड़ की राशी का निर्धारण एन ई आई ए ट्रस्ट के खरीदार ऋण योजना के लिए किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2019 तक ट्रस्ट द्वारा श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया,सेनेगल, इरान, मालदीव, कोट द आयवोईर, घाना, कैमरून, सूरीनाम एवं मॉरिटानिया में 21 परियोजनाओं के लिए ₹ 20,833.14 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ 21 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गयी ।

निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर–कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पांच अंशकालिक निदेशकों अर्थात, श्री सुनील कुमार, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, श्री गोविन्द मोहन, संयुक्त सचिव, निवेश प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री सुनील बर्थवाल, संयुक्त सचिव, निवेश प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री ए के मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, एवं श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। दो गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं एक अंशकालिक निदेशक क्रमशः यथा श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, श्री के राजारामन, अतिरिक्त सचिव, निवेश प्रभाग, आर्थिक मामले

and Long-Term duration (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹ 2744.37 Crore as of March 31, 2019. The underwriting capacity of the Trust is ₹ 54,887.40 Crore of which 25% amounting to ₹ 13,721.85 Crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk in respect of 208 covers issued supporting 123 projects in 24 countries has been shared with NEIA to the extent of ₹ 8180 Crore. Balance 75% of ₹ 54,887.40 Crore amounting to ₹ 41,165.55 Crore is earmarked for Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31,2019, the Trust has issued 21 Buyer's Credit covers with Maximum Liability of ₹ 20,833.14 Crore for 21 projects in Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D' Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania..

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are appointed by the President of India.

During the FY 2018-19, five Part-Time Directors viz. Shri Sunil Kumar, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Shri Govind Mohan, Joint Secretary, Investment Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri Sunil Barthwal, Joint Secretary, Investment Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri A. K. Misra, Executive Director, Reserve Bank of India and Shri Rajeev Rishi, Chairman and Managing Director, Central Bank of India ceased to be Directors of the Company. Two Non-Executive Part Time Government Directors and one Part-Time Director viz. Shri Bidyut Behari Swain, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Shri K. Rajaraman, Additional Secretary, Investment Division, Department of Economic Affairs,

विभाग, वित्त मंत्रालय, एवं सुश्री उमा शंकर, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, को निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

दिनांक 29 मई 2019 से श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, को कम्पनी के बोर्ड में शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मण्डल में तेरह अंशकालिक निदेशकों में से पांच का स्थान रिक्त है । इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन / पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी।

निदेशकों की नियुक्ति , पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

नामांकन तथा परिश्रमिक समिति के गठन से संबन्धित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबन्धित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्धरण अनुबंध I में उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणाएँ

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 वे प्रावधान, जो कि सार्वजनिक कंपनी पर लागू होते हैं, पूर्ण रूप से पालन किए जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की आठ बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

Ministry of Finance and Smt. Uma Shankar, Executive Director, Reserve Bank of India respectively have been inducted on the Board.

Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India has been inducted as a Part Time Director on the Board of the Company w.e.f. May 29, 2019.

As on the date of this Report, five of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected /re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure I.**

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors applicable to Public Limited Company are fully complied with.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted Eight Board Meetings during the financial year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:

क्रम. सं.	निदेशकों के नाम
1.	श्री बिद्युत बेहारी स्वाईं (दि.20/04/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
2.	श्री के राजारामन (दि. 08/08/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	सुश्री उमा शंकर (दि. 03/10/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन (दि. 11/02/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	श्री गणेश कुमार गुप्ता (दि. 01/05/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्री मानेक एरूच डावर (दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	सुश्री सरनला मालती रानी (दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
8.	श्री सुनील कुमार (दि. 17/08/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि.20/04/2018 को सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)
9.	श्री गोविन्द मोहन (दि. 27/11/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (22/06/2018 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)
10.	श्री ए के मिश्रा (दि. 07/03/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)
11.	श्री राजीव ऋषि (दि. 07/11/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)
12.	श्री सुनील बर्थवाल (दि. 22/06/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (18/08/2018 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त)

लेखापरीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशकों यथा सुश्री उमा शंकर, सुश्री एलिस जी. वैद्यन, श्री गणेश कुमार गुप्ता, श्री मानेक इरूच डावर (अध्यक्ष) तथा श्रीमती सरनला मालती रानी, का बहुमत है।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सह कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

Sr. No.	Name of the Directors
1.	Shri Bidyut Behari Swain (appointed as a Member since 20/04/2018)
2.	Shri K. Rajaraman (appointed as a Member since 08/08/2018)
3.	Smt. Uma Shankar (appointed as a Member since 03/10/2018)
4.	Smt. Alice G. Vaidyan (appointed as a Member since 11/02/2016)
5.	Shri Ganesh Kumar Gupta (appointed as a Member since 01/05/2017)
6.	Shri Maneck Eruch Davar (appointed as a Member since 22/03/2017)
7.	Smt. Saranala Malathi Rani (appointed as a Member since 22/03/2017)
8.	Shri Sunil Kumar (appointed as a Member since 17/08/2016) (ceased to be a Member since 20/04/2018)
9.	Shri Govind Mohan (appointed as a Member since 27/11/2017) (ceased to be a Member since 22/06/2018)
10.	Shri A. K. Misra (appointed as a Member since 07/03/2018) (ceased to be a Member since 31/07/2018)
11.	Shri Rajeev Rishi (appointed as a Member since 07/11/2016) (ceased to be a Member since 31/07/2018)
12.	Shri Sunil Barthwal (appointed as a Member since 22/06/2018) (ceased to be a Member since 08/08/2018)

The above composition of the Audit Committee headed by an Independent Director consists of Independent Directors viz. Smt. Uma Shankar, Smt. Alice G. Vaidyan, Shri Ganesh Kumar Gupta, Shri Maneck Eruch Davar (Chairman) and Smt. Saranala Malathi Rani who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who expres s their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee for reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाता है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर कंपनी का निष्पादन "अच्छा" की श्रेणी में रहा जबकि पिछले दो वर्षों में यह "बहुत अच्छा" की श्रेणी में रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, कम्पनी के निष्पादन का "बहुत अच्छा" की श्रेणी में आने की सम्भावना है।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षत लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 31 दिसंबर 2018 एवं 2 जनवरी 2019 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है जिनका वार्षिक पारिश्रमिक वर्ष के लिये साठ लाख रु. अथवा इससे अधिक हो।

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक देख रेख कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है। नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उच्च अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित कि गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 22 बैठकें हुई जिसमें 63 मामलों का निपटान किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आईआरसी) का

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year, a Memorandum of Understanding (MoU) is signed with Department of Commerce and Industry, Government of India. Based on an assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in the previous year and "Very Good" in the preceding two years. The performance of the Company is expected to be rated "Very Good" for the FY 2018-19.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd, Mumbai, for the year 2017-18, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 31, 2018 and January 02, 2019 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee who was employed throughout the financial year, and was in receipt of aggregate remuneration of Rupees Sixty Lakhs or more for that year.

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell situated in the Head Office at Mumbai and headed by General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different officials/Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC) consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee has met 22 times and disposed 63 cases during the FY 2018-19. A three member Independent Review Committee (IRC)

गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल है इसकी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7 बैठकें हुई व 29 मामलों पर निर्णय लिया गया।

कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । वर्तमान में ग्राहकों के पास सी.आई.जी.एम.एस. अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है।

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के विदेशी मुद्रा अर्जन ₹107.28 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 121.42 करोड़ रु) रहे जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 2.30 करोड़ रु (पिछले वित्तीय वर्ष ₹ 2.69 करोड़ रु) थे।

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई आर डी ए आई के विधिवत अनुमोदन से परामर्श आधार पर फरवरी 2019 तक नियुक्त बीमांकिक (ए ए) अनुबंधित किया है। कम्पनी ने इसी व्यवस्था को आगे जारी रखने के लिए आई आर डी ए आई से अनुमोदन के लिए अनरोध किया है। आई आर डी ए आई की निर्देशों के आधार पर कम्पनी ने अप्रैल 2019 के दौरान संविदा आधार पर पूर्णकालिक बीमांकिक की नियुक्ति की है। आई आर डी ए आई ने प्रस्तावित नियुक्त बीमांकिक (ए ए) के लिए परामर्शदाता बीमांकिक की नियुक्ति के लिए भी निर्देश दिए हैं। 28 मई 2019 को आई आर डी ए आई ने कम्पनी के लिए पूर्ण कालिक परामर्श बीमांकिक के लिए ए ए की अनुमति प्रदान की है। साधारण बीमा कारोबार के लिए ए ए के कर्त्तव्य एवं दायित्व आई आर डी ए आई (नियुक्त बीमांकिक) विनियम 2017 के अनुसार निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एक

was also constituted during the FY 2013-14 consisting of external experts in the fields of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met 7 times during the FY 2018-19 and disposed 29 cases.

The Company is linked to the Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, where customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the CIGMS or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year 2018-19 is ₹ 107.28 Crore (₹ 121.42 Crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the Financial Year 2018-19 is ₹ 2.30 Crore (₹ 2.69 Crore in the previous Financial Year).

APPOINTED ACTUARY

The Company had engaged an Appointed Actuary (AA) on consultancy basis with due approval of the IRDAI till February 2019. The Company requested IRDAI to permit continuation of the same arrangement further. Based on the advise of IRDAI the Company had recruited a full time Actuary on contract basis during April 2019. IRDAI had also advised considering a Mentor Actuary for the proposed AA. On May 28, 2019, IRDAI had approved AA on full time basis with a Mentor Actuary for the Company. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017. A separate 'Actuarial Department' had also been set up in the FY 2012-13, which provides support to the AA in the

अलग बीमांकिक विभाग की स्थापना की गयी, जो कि बीमांकिक कार्यों में ए ए की सहायता करता है जैसे उपगत पर रिपोर्ट न किया गया (आई बी एन आर)/उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट न किया गया (आई बी एन ई आर) दावा अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अनुमानित दावा लागत वित्तीय स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट, आर्थिक पूँजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि कार्य। ए ए के रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण कम्पनी के समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं। नियुक्त बीमांकिक एवं परामर्शदाता बीमांकिक अपने कार्य आई आर डी ए आई (ए ए) अधिनियम 2017 एवं आई आर डी ए आई (ए ए) अधिनिम्यम 2017 के अधीन जारी अस्थायी प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ही कार्य करते हैं। ए ए के साथ ही परामर्शदाता बीमांकिक भी बीमांकिक मामलों के लिए ज़िम्मेदार होगा.

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 7 अगस्त 2018 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 02 नवंबर 2018 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा सिफ़ारिश किए गए अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 17 जुलाई 2018 को सम्पन्न 60 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 100990 डब्ल्यू तथा मेमर्स ए बी एम् एंड एसोशिएट्स एल एल पी, सनदी लेखाकार, मुम्बई, फर्म पंजीकरण संख्या 105016डब्ल्यू/डबल्यु 100015

Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR)/Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product Pricing & review etc. The reports and observations of the AA contributes towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary and Mentor Actuary shall function in accordance with the IRDAI (AA) Regulations, 2017 and Guidelines on Transitory Provisions under IRDAI (AA) Regulations, 2017 dated August 17, 2017. The Mentor will be jointly responsible for all the Actuarial issues alongwith AA.

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2018-19 vide their letter dated August 07, 2018, the same was taken on record by the Board at its Meeting held on November 02, 2018, and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 60th Annual General Meeting (AGM) held on July 17, 2018 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the FY 2018-19 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2018-19 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 100990W and M/s. ABM & Associates LLP, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 105016W/W-100015 are the Joint Statutory Auditors appointed by

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी ए जी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी शासन

कंपनी का कम्पनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करना तथा सघन कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। आर एस पाडिया एंड एसोशिएट्स, कम्पनी शासन पर पेशेवर कम्पनी सचिव की रिपोर्ट के साथ विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (अनुबंध **II**)

सचिवालय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी की सचिवालय लेखा परीक्षा (फॉर्म सं एम् आर 3) में निदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपालन न किये जाने की रिपोर्ट की गयी है (अनुबंध **III**)। अनुबंध **II** में रखी गयी कम्पनी शासन रिपोर्ट में इस अवलोकन को संबोधित किया गया है।

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं

ख. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन

कार्यालय परिसर

1. निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सीपीडबल्यूडी से दिनांक 26.05.2015 के पत्र में वर्णित 111,24,12,901/- ₹ के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डबल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06/06/2016 को हमारे अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (स झा) पर हस्ताक्षर किए गए।
2. स.ज्ञा. की शर्त सं 7 अनुसार, सी.पी.डब्लू.डी. ने विनिर्माण

the Comptroller & Auditor General of India to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2018-19. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from R.S Padia & Associates, Practising Company Secretary, on Corporate Governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report **(Annexure II).**

SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the Financial Year 2018-19 **(Annexure III)** reported non-compliance with DPE Guidelines regarding Director's Training Policy. The observation was addressed in Corporate Governance Report placed at **Annexure II.**

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company –

I. **Update on Andheri Property**

Office premises

1. The Board of Directors at its 398th Meeting held on July 15, 2015 had approved construction of office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as intimated by Central Public Works Department (CPWD) vide their letter dated 26/05/2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same has been signed between ECGC and CPWD on 06/06/2016 for construction of Office Building at our Andheri Plot.
2. As per Clause No. 7 of MoU, CPWD had demanded

करार के अनुसार ₹ 33,37,23,870 की जमा राशि के 4थी किश्त की मांग की। तदनुसार, कम्पनी द्वारा सी.पी. डब्लू.डी. को दिनांक 22/10/2018 को सम्बंधित क़िस्त का भुगतान किया गया। कम्पनी द्वारा कार्यालय परिसर हेतु भुगतान के 60% के रूप में कुल ₹ 66,54,47,740/- की अदायगी की है।

3. मेसर्स एस.ए.एम. इंडिया बिल्टवैल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 30/03/2017 से कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों से प्राप्त दिनांक 05/04 / 2019 की सूचना के अनुसार कार्यालय परिसर का 60% कार्य पूर्ण हो चुका है।

आवासीय परिसर

1. 7 नवंबर 2016 को आयोजित 405 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने ₹ 73,95,80,728/- के प्रारंभिक अनुमान पर आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी।
2. ईसीजीसी और सीपीडब्ल्यूडी ने ईसीजीसी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10/01/2017 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. कंपनी ने 30/01/2017 को ₹ 73,95,80,728/- की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹ 7,39,58,073/- का भुगतान किया है।
4. सीपीडब्ल्यूडी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए निविदा जारी की है। निविदा 28/12/2017 को खोली गई।
5. कंपनी को ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) के नगर निगम से 02 दिसंबर 2017 के पत्र सं सीएचई/116/बीपी/(विशेष कक्ष) एलओकेई/337 प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आरएच 2.1 (अस्पताल), आरओएस 1.1 (सार्वजनिक खुला स्थान) का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। हालांकि, 9.15 मीटर की डीपी सड़क (विकास योजना) आरडीडीपी 2034 जो कि हमारे प्लॉट को बीच से काटती है, को अनारक्षित नहीं किया गया है।
6. उक्त को देखते हुए ले आउट के लिए दिया गया पूर्व का अनुमोदन अमान्य हो गया है। इसके फलस्वरूप सी पी डब्ल्यू डी द्वारा प्रदान किये गए पांच आवासीय बिल्डिंग्स के विनिर्माण का अनुमोदन रद्द कर दिया गया।
7. डी पी रोड के लिए आरक्षण अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थल में प्रविष्टि के लिए किया गया है। जैसा कि अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थल का आरक्षण रद्द कर दिया गया है तो डी पी रोड के आरक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है एवं इस भाग के लिए भी अनारक्षण लागू किये जा सकता है. कंपनी ने सम्बंधित डीपी रोड को अनारक्षित करने के लिए पत्र सं ईसीजीसी/पीडीसी/245/2017 दिनांक 14 दिसंबर 2017 के ज़रिये शहरी विकास विभाग के ज़रिये महाराष्ट्र

fourth instalment of deposit of ₹ 33,17,23,870/. Accordingly, Company has made a payment to CPWD on 22/10/2018. The Company has so far made total payment of ₹ 66,54,47,740/- being 60% deposit towards Office Building.

3. M/s. Sam India Builtwell Pvt. Ltd. has started the construction work for Office Building from 30/03/2017. As informed by CPWD officials vide mail dated 05/04/2019, 60% of the work has been completed for Office Building.

Residential premises

1. The Board of Directors at its 405th Meeting held on November 07, 2016 had approved construction of Residential Complex at a preliminary estimate of ₹ 73,95,80,728/-.
2. ECGC and CPWD have signed MoU on 10/01/2017 for construction of ECGC's Residential Buildings Complex.
3. The Company has made a payment of ₹ 7,39,58,073/- to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹ 73,95,80,728/- on 30/01/2017.
4. CPWD had floated tender for construction of Residential Building Complex. The tender was opened on 28/12/2017.
5. We received letter No. CHE/116/BP/(Spl.Cell) LOKE/337 dated December 02, 2017 from the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), informing de-reservation of RH.2.1 (Hospital), ROS 1.1 (Public Open Space) while retaining the 9.15 meter DP Road (Development Planning) in RDDP-2034 (May 2016) within our plot.
6. In view of the above development, the approval given for lay-out previously became invalid. Consequently, the bid selected for award of contract for construction of five residential buildings was withdrawn by CPWD.
7. The reservation for the DP road was provided for the general purpose of approach to hospital and public open space. As the reservation for hospital and public open space has been vacated, reservation for DP Road does not serve any purpose and de-reserving should be made applicable rightfully for this portion also. ECGC submitted its representation to the Government of Maharashtra through Urban Development Department vide letter No. ECGC/

सरकार से अपील की है।

8. महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अधिसूचना सं टीपीबी-4317/629/सीआर-118/2017/डीपी/यूडी -11 दिनांक 08/05/2018 के ज़रिये डीपी रोड को अनारक्षित कर दिया गया है, एवं गुंडावाली ग्राम के सी एस टी सं 393 के भीतर दर्शाए गए 9.15 मीटर के डी पी रोड के आरक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
9. सी पी डबल्यू डी के पत्र, के अनुसार डी पी रोड मुद्दे पर संकल्प पारित किये जाने के उपरान्त एम सी जी एम द्वारा लेआउट योजना का पुनः अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक निविदा आमंत्रित नहीं किये जा सकते हैं। परियोजना आर्किटेक्ट्स ने एम् सी जी म के अनुमोदन के लिए ले आउट योजना प्रस्तुत की है एवं उसे अनुमोदित भी किया जा चुका है।
10. डी पी 2034 को निदेशक, शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी है एवं तत्पश्चात एम् सी जी एम् द्वारा ले आउट को मंजूरी दी गयी है।

मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

1. माननीय न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) श्री वी सी डागा, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2015 को जारी आदेश का पालन करते हुए कम्पनी ने आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जारी ₹ 4,40,98,369/- करोड़ रु की निष्पादन सुरक्षा बैंक गारंटी को अभिमंत्रित किया। आई सी आई सी आई बैंक ने हमें दिनांक 14 जुलाई 2015 को ₹ 4,40,98,369/- करोड़ रु की अदायगी की है। कम्पनी ने कुल ₹ 50 लाख के बयाना राशी एवं सुरक्षा जमा को भी जब्त कर लिया है।
2. मेसर्स यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, परियोजना संविदाकार ने दिनांक 30 जून 2015 को हमारे समक्ष ₹23,02,81,857 करोड़ का दावा दायर किया है, ई.सी.जी.सी. ने ₹ 31,63,42,930 की प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
3. मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड नें राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल(एनसीएलटी) के समक्ष जून 2017 में दिवालिया होना दायर किया है तथा एनसीएलटी ने मोरेटोरियमम का आदेश पारित कर दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा ईसीजीसी के मध्य न्यायाधीश श्री वी. सी. डागा के समक्ष दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को हुई थी। मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर मोरेटोरियमम के कारण वर्तमान में वाद पर रोक है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन

1. ईसीजीसी एवं एच सी एल प्रतिनिधि सितम्बर 2018 में आयोजित मध्यस्थता की कार्यवाही के प्रथम आरंभिक सुनवाई में उपस्थित रहे, जिसमें मध्यस्थों ने मध्यस्थता की शर्तों का निर्धारण किया। तत्पश्चात ईसीजीसी लिमिटेड ने नवम्बर 2018 को मध्यस्थ

APDC/245/2017 dated December 14, 2017, for de-reserving the DP Road in question.

8. As per Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11 dated 08/05/2018 issued by the Government of Maharashtra, the 9.15 meter DP Road shown within CTS No.393 of village Gundavali is proposed to be deleted.
9. As per CPWD's letter, tenders will be called again only after re-approval of layout by MCGM after the resolution of DP Road issue. The Project Architects have submitted lay-out plan for MCGM's approval which have been accepted.
10. The DP 2034 is to be confirmed by The Director, Town Planning, Govt. of Maharashtra, and then the approval for lay-out will be considered by MCGM.

M/s. Unity Infraprojects Ltd.

1. As per order issued by Honourable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator on July 07, 2015, the Company invoked Performance Security Bank Guarantee of ₹ 4,40,98,369/- issued by ICICI Bank. ICICI Bank has remitted ₹ 4,40,98,369/- to us on July 14, 2015. The Company has also forfeited Earnest Money & Security Deposit totalling to ₹ 50 Lakhs.
2. While M/s. Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim on us to the tune of ₹ 23,02,81,857/- on June 30, 2015, ECGC has claimed a compensation of ₹ 31,63,42,930/-.
3. M/s Unity Infraprojects had filed for insolvency before National Company Law Tribunal (NCLT) in June 2017. The NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration before Justice (Retd.) V.C. Daga between M/s Unity Infraprojects and ECGC was held on December 20, 2017. In view of the moratorium imposed on M/s. Unity Infraprojects Limited, the arbitration proceeding is currently stayed.

II. Update of Information Technology Implementation Program

1. ECGC and HCL representatives attended the First Preliminary hearing of the arbitration proceedings held in September 2018, wherein the arbitrators set the terms of arbitration. Subsequently, ECGC Limited submitted its Statement of Claim to the arbitral panel and to HCL Technologies in November 2018. Now, HCL Technologies has submitted its Statement of Defence and Statement of Counter-claim in March 2019.
2. As per the arbitration terms, ECGC shall now re-

पैनल एवं एच सी एल टेकनॉलोजीस के सकक्ष अपना दावा विवरण प्रस्तुत किया। अब एच सी एल टेकनॉलोजिस ने मार्च 2019 अपने बचाव में अपना विवरण एवं प्रति दावा प्रस्तुत किया है।

2. मध्यस्थता की शर्तों के अनुसार ईसीजीसी, निर्धारित अवधि के भीतर एच सी एल टेक्नॉलोजिस को अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा, अपेक्षा है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया सितम्बर 2019 तक समाप्त हो जानी चाहिए।
3. मध्यस्थता की घोषणा के आधार पर कम्पनी आवश्यकता पड़ने पर, जिस वित्तीय वर्ष के दौरान यह मध्यस्थता प्रदान की गयी है उस वित्तीय वर्ष के लिए उचित लेखा समायोजन करेगी।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित एवं कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवरण :

कम्पनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार में है एवं यह आई आर डी ए आई के साथ गैर जीवन बीमा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समूहन कारोबार की प्रकृति में ही निहित है। कम्पनी ने, उपक्रम व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित कर अपने आतंरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के ज़रिये कम्पनी के जोखिम प्रोफाईल का नियमन के लिए अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कम्पनी सदैव ही अपने कारोबार के सभी पहलुओं में विवेकपूर्ण सीमा के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भारत सरकार से पर्याप्त पुनर्बीमा/सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर है ।बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम् सी) कम्पनी के कारोबार के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमा एवं विकासों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करती है। कम्पनी द्वारा एक निवेश पोर्टफोलियो बनाया गया है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों का विवरण है। निवेश जोखिमों का प्रबंधन विविध उद्योग एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार निवेश के ज़रिये किया जाता है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश में अधिकाधिक अर्जन हो एवं नकदी जोखिम न्यूनतम हो। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। कम्पनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति का पालन किया जाता है मॉनिटर किया जाता है। ए एल एम स्थिति की सूचना तिमाही आधार पर बोर्ड की आर एम् सी को रिपोर्ट की जाती है। कम्पनी ने बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से इसे और अधिक गतिशील बनाने के लिए इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

कंपनी के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व उद्यम पर बनी पॉलिसी और उसके कार्यान्वन का विवरण:

कृपया अनुबंध IV देखें

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

ply to HCL's submissions within the stipulated time, and expects that the next steps in the arbitration proceedings shall continue as per the terms of arbitration and that the arbitration proceedings shall be concluded by September 2019.

3. Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required during the relevant FY in which the award is given.

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance / support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises Shareholders and Policyholders funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by Investment Committee of the Board. The Company follows the Board approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company has initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic with the help of external consultants.

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Please Refer Annexure IV.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

शून्य

संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से कारोबार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण के विवरण:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसकी अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आया का हकदार है। ईसीजीसी वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहा है।

निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है और ये सुनिश्चित करते हैं कि–

(क) कंपनी ने आवश्यक तथ्यों से विचलन, यदि कोई हो तो , पर उचित स्पष्टीकरणों के साथ वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के कार्यो को सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ को करने के लिए निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं अनुमान किये हैं।

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमित्ताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशको ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने वित्तीय वर्ष ,जो कि 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ, के लिए लेखांकन ₹ लाभकारी कारोबार वाले संस्थानक आधार पर किया।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है; तथा,

(च) निदेशको नें सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र की रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है ।

अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled for 5% of Premium Income to meet administrative expenditure. ECGC is managing the Trust since 2006.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2019;

(c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2019, on a 'going concern' basis;

(e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of

विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास मे विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण फियो, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औधोगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी और से

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31 मई, 2019

Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure and Department of Financial Services, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India, NITI Aayog and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies & Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance Brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 31, 2019

दिनांक 01.03.2019 को ईसीजीसी की चेन्नई शाखा में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ अनूप वाधवन, मुख्य अतिथि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भा स के वाणिज्य सचिव द्वारा की गयी.

Diamond Jubliee function of ECGC Chennai Branch was held on 01.03.2019 and presided over by Chief Guest, Dr. Anup Wadhawan, Commerce Secretary, MoC. GoI

उचित कारोबार प्रथाएँ (सी एफ बी पी) परिषद द्वारा, ईसीजीसी को उचित कारोबार प्रथाओं के अनुपालन, प्रोत्साहन एवं उसकी प्रतिबद्धता के लिए सेवाओं के अधीन सम्मनित एवं पुरस्कृत किया गया

Council for Fair Business Pratices (CFBP) recognised ECGC with and awarded under services for practising, promoting and committing to fair business practices

अनुबंध I

फॉर्म सं एम् जी टी 9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुकरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सी आई एन : U74999MH1957GOI010918

ii) पंजीकरण की तारीख : 30.07.1957

iii) कम्पनी का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड

iv) कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी : सरकारी कम्पनी / पब्लिक लिमिटेड

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण : 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स नरीमन पॉइंट मुंबई – 400 021.

vi) क्या सूचीबद्ध है हाँ/नहीं : नहीं

vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो तो, का नाम व पता: लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य कारोबार गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं	मुख्य उत्पादों एवं सेवाओं के नाम व विवरण	उत्पाद व सेवा की एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल पण्यावर्त का %
1	गैर जीवन बीमा	65120	100%

III. अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों की धारिता का विवरण

क्रम सं	कम्पनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	अनुषंगी / सहयोगी कम्पनी की धारिता	धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held	लागू धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विश्लेषण)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता

Annexure I

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on March 31, 2019

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN: U74999MH1957GOI010918

ii) Registration Date: 30.07.1957

iii) Name of the Company: ECGC Limited

iv) Category/Sub-Category of the Company: Government Company/Public Limited

v) Address of the Registered office and contact details: 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

vi) Whether listed Company Yes / No: No

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the Business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1	NON-LIFE INSURANCE	65120	100%

III. Particulars of holding, subsidiary and associate Companies

Sr. No.	Name & Address of The Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable section
1	NA	NA	NA	NA	NA

IV. Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Shareholding

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं. No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
क. प्रवर्तक A. Promoters	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
(1) भारतीय (1) Indian	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) व्यक्ति / हिं अ प a)Individual/HUF	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) केंद्र सरकार b) Central Govt. I) भारत के राष्ट्रपति I) President of India II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत II) Nominee of the President of India	लागू नहीं NA	149999992 8	149999992 8	100	लागू नहीं NA	199999992 8	199999992 8	100	0 0
ग) राज्य सरकार (रें) c) State Govt(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
च) बैंक / वि सं e) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य f) Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप – योग (क) (1) :- Sub-total (A) (1):-	लागू नहीं NA	150000000	150000000	100	लागू नहीं NA	200000000	200000000	100	0
(2) विदेशी (2) Foreign									
क) अप्रभा–व्यक्ति a) NRIs -Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख)अन्य व्यक्ति b) Other Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) निगमित निकाय c) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
च) बैंक / वि स d) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य e)Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप – योग (क) (2) :- Sub-total (A) (2):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता = (क)(1)+(क)(2) **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)**	लागू नहीं NA	150000000	150000000	100	लागू नहीं NA	200000000	200000000	100	0
ख.सार्वजनिक शेयर धारण **B. Public Shareholding**									
1. संस्थान **1. Institutions**	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान b) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की स No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
घ) राज्य सरकार (रें) d) State Govt(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ङ) वेंचर कैपिटल फंड e) Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
च) बीमा कम्पनियाँ f) Insurance Companies	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक g) FIIs	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड h) Foreign Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
झ) अन्य (स्पष्ट करें) i) Others (specify)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप योग (ख) (1) :- **Sub-total (B)(1):-**	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2.गैर-संस्थान **2.Non- Institutions**	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) निगमित निकाय a) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
i) भारतीय i) Indian	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ii) विदेशी ii) Overseas	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) व्यक्तिगत b) Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
i) ₹1 लाख तक के सांकेतिक शेयर पूँजी तक की व्यक्तिगत शेयर धारकों की शेयरधारिता i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ii) 1 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूँजी के शेयर धारिता के शेयर धारक ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) अन्य (स्पष्ट करें) c) Others (specify) उप कुल (ख)(2):- **Sub-total(B)(2):-**	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2) Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
संरक्षकों द्वारा धारित जी डी आर एवं ए डी आर **C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs**	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल योग (क+ख+ग) **Grand Total (A+B+C)**	लागू नहीं NA	150000000	150000000	100	लागू नहीं NA	200000000	200000000	100	0

ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता
ii) Shareholding of Promoters

क्र स Sl No.	शेयधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का कुल % % of Shares Pledged / encumbered to total Shares	शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का कुल % % of Shares Pledged / encumbered to total Shares	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का % % change In shareholding during the year
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	149999992	100	0	199999992	100	0	0
2	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत Nominees of the President of India	8			8			
	कुल Total	**150000000**	**100**	**0**	**200000000**	**100**	**0**	**0**

iii) प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो तो)
iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्र सं Sl No.		**वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year**		**वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता Cumulative Shareholding during the year**	
		शेयरों की सं No. of shares	**कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company**	**शेयरों की सं No. of shares**	**कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company**
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	150000000	100	150000000	100
2	2. प्रवर्तकों के शेयर धारण पद्धति में वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि / कमी , वृद्धि / कमी का कारण स्पष्ट करें (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):			दिनांक 09/08/2018 को आबंटित अतिरिक्त शेयर (5,00,00,000) Additional Shares allotted on 09/08/2018 (5,00,00,000)	
	वर्ष के अंत में At the end of the year			200000000	100

iv) सर्वप्रमुख दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जी डी आर एवं ए डी आर धारकों) की शेयरधारण पद्धति :

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र सं Sl No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता Cumulative Shareholding during the year	
	प्रत्येक मुख्य 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत तक (अथवा विभाजन की तारीख तक, यदि विभाजन वर्ष के दौरान हुआ हो तो) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों की शेयर धारिता

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र सं Sl No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता Cumulative Shareholding during the year	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्र प्र व के लिए For Each of the Directors and KMP	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत में At the end of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

(भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक के रूप में नामित, एक शेयर श्रीमती गीता मुरलीधर, अ प्र नि द्वारा धारित, दो शेयर श्री बिद्युत बेहारी स्वाईं, निदेशक द्वारा धारित व एक शेयर श्री के राजारमन, निदेशक द्वारा धारित)

(One share held by Smt. Geetha Muralidhar, CMD, Two shares held by Shri Bidyut Behari Swain, Director & One share held by Shri. K. Rajaraman, Director as nominees of the President of India)

V) ऋण ग्रस्तता

भुगतान के लिए अदेय बकाया / उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

V) Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल उधार ग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋण ग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल योग (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन Change in Indebtedness during the financial year • जोड़ें / Addition • घटाएं / Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन Net Change	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल योग (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**	**कुछ नहीं** **Nil**

VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधक

VI) Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(₹)

क्र सं Sl. no.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि/ प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री एम सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan	
1	सकल वेतन (₹) Gross salary (₹)			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	24,35,580.00	23,69,769.00	48,05,349.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	5,14,624.00	4,74,305.00	9,88,929.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी Sweat Equity	-	-	-
4.	कमीशन / Commission – लाभ के % के रूप में - as % of profit – अन्य स्पष्ट करें - others, specify	-	-	-
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	-	-	-
	कुल (क) Total (A)	**29,50,204.00**	**28,44,074.00**	**57,94,278.00**
	अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्यों कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है. Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company		

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां

B. Remuneration to other Directors:

(₹)

क्र सं Sl. no.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors			कुल राशि Total Amount
		श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	श्री माणेक एरुच डावर Shri Maneck Eruch Davar	सुश्री सरनला मालती रानी Smt. Saranala Mala-thi Rani	
1.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य, कृपया स्पष्ट करें. Independent Directors Fee for attending board /committee meetings Commission Others, please specify	1,25,000	70,000	1,60,000	3,55,000
	कुल योग (1) **Total(1)**	**1,25,000**	**70,000**	**1,60,000**	**3,55,000**
2.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए गैर कार्यपालक निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य, कृपया स्पष्ट करें. Other Non-Executive Directors Fee for attending board /commit-tee meetings Commission Others, please specify	-	-	-	-
	कुल योग (2) **Total (2)**	-	-	-	-
	कुल योग (ख)=(1+2) **Total(B)=(1+2)**	**1,25,000**	**70,000**	**1,60,000**	**3,55,000**
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धियां Total Managerial Remuneration	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा Overall Ceiling as per the Act	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्यों कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है. Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company			

ग. प्र नि / प्रबंधक / पू का नि के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए परिलब्धियां
C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

क्र सं Sl. no.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration							कुल राशि (₹ में) Total Amount (in ₹)
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन Commission - as % of profit-other, specify	अन्य कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) of the Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) of the Income Tax Act, 1961				परामर्श शुल्क Consultancy Fee	
1.	श्री वी धर्मराजन (कार्यपालक निदेशक (परिचालन) Shri. V. Dharmarajan (Executive Director (Operations))	24,30,372.00	4,91,986.00						29,22,358.00
2	सुश्री पद्मावती आर (महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी – म व दी अ) Smt.Padmavathy R. (General Manager & Chief Underwriting Officer-MLT)	22,82,507.00	4,62,999.00						27,45,506.00
3	श्री सी एन ए अन्बरसन (महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी – ई सी आई बी) Shri C.N.A Anbarasan (General Manager, Chief Underwriting Officer-ECIB)	23,50,844.65	4,84,931.00						28,35,775.65

4	श्री सुनील जोशी (महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी व लेखा परीक्षा प्रमुख) Shri Sunil Joshi (General Manager, Chief Vigilance Officer & Chief of Internal Audit)	22,50,878.00	4,96,012.00						27,46,890.00
5	श्री पी एल ठाकुर (महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी – पॉलिसी) Shri P. L. Thakur (General Manager, Chief Underwriting Officer-Policy)	21,60,357.00	4,60,399.00						26,20,756.00
6	श्री राजीव मानवी (महाप्रबंधक व मु वि अ) Shri Rajiv P. Manavi (General Manager & CFO)	21,19,132.00	4,44,060.00						25,63,192.00
7	श्री शिवाजी नार्वेकर (महाप्रबंधक व प्रमुख विपणन एवं पारदर्शिता अधिकारी) Shri Shivaji Narvekar (General Manager & Chief Marketing & Transparency Officer)	21,02,628.00	4,17,594.00						25,20,222.00
8	सुश्री स्मिता वी पंडित (कम्पनी सचिवालय) Smt. Smita V Pandit (Company Secretary)	22,02,428.00	4,46,793.00						26,49,221.00
9	सुश्री योगिता अरोरा (नयुक्त बीमांकिक) दिनांक 16.04.2019 से नियुक्त बीमांकिक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ Smt. Yogita Arora (Appointed Actuary) Ceased to be an Appointed Actuary w.e.f. 16.04.2019							51,92,000	51,92,000.00
10	श्री ईशनाथ झा, उ म प्र (मुख्य जोखिम अधिकारी) दि 04.05.2018 से Shri Ishnath Jha, DGM (Chief Risk Officer) w.e.f. 04.05.2018	19,11,271.00	4,47,755.00						23,59,026.00
11	श्री आर के पांडियन, उ म प्र (मुख्य निवेश अधिकारी) दि 05.07.2018 से Shri R. K. Pandian, DGM (Chief Investment Officer) w.e.f. 05.07.2018	18,55,761.95	4,93,059.00						23,48,820.95

12	श्री गौरव अंशुमन (मुख्य जोखिम अधिकारी) दि 04.05.2018 से मु जो अ के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ Shri Gaurav Anshuman (Chief Risk Officer) Ceased to be a CRO w.e.f. 04.05.2018	18,37,394.00	4,47,138.00						22,84,532.00
13	सुश्री तापसी डे (महाप्रबंधक–मा सं वि) दि 31.03.2019 से कार्यकाल समाप्त हुआ Smt. Tapasi De (General Manager-HRD) Ceased to be a General Manager w.e.f 31.03.2019	41,64,355.70	4,37,473.00						46,01,828.70

नोट :– सकल वेतन एवं परिलब्धियों को पूर्ण वर्ष के लिए दर्शाया गया है भले ही अधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए ही मु प्र का के रूप में रहा हो.

Note: Gross Salary and perquisites have been given for full year though the officer may be KMP for part of the financial year.

VII. Penalties/ Punishment/ Compounding of offences

VII. अपराधों की भरपाई के लिए जुर्माना / दंड

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शुल्क की भरपाई में लगाया गया जुरमाना/दंड प्राधिकारी	प्राधिकरण (आर डी / एन सी एल टी / न्यायलय)	कये गए अपील , यदि कोई हो तो (विवरण दें)
Type	**Section of the Companies Act**	**Brief Description**	**Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed**	**Authority [RD / NCLT/ COURT]**	**Appeal made, if any (give Details)**
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
दंड / Punishment	-	-	-	-	-
समग्र / Compounding	-	-	-	-	-
चूकधीन अन्य अधिकारी					
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
दंड / Punishment	-	-	-	-	-
समग्र / Compounding	-	-	-	-	-

कृते निदेशक मंडल की और से
For and on behalf of the Board of Directors

गीता मुरलीधर
Geetha Muralidhar
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
Chairman-cum-Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 31 मई , 2019
Date: May 31, 2019

कंपनी शासन

CORPORATE GOVERNANCE

अनुबंध II

Annexure II

कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

निदेशक मण्डल

निदेशक मंडल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है।कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कम्पनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, बोर्ड में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों तथा गैर–

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/ practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other Directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors are being done by the Government of India. As on date, five of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

कार्यपालक निदेशकों का ईष्टतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आरटीपी) नीति यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं/अथवा बोर्ड के ध्यानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) द्वारा किसी भी सम्विदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया गया है, का विवरण सारणी 1 के अंतर्गत निम्नलिखित है:

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provision of the Companies Act, 2013.

The Board approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The names of Directors on the Board during the Financial Year 2018-19 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

तालिका 1 / **Table 1**

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
1	श्रीमती गीता मुरलीधर, अप्रनि, ईसीजीसी लिमिटेड. Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC Ltd.	बीएससी, एम.कॉम. (बैंकिंग तथा बीमा), मानव संसाधन प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिचालन में पीजी डिप्लोमा B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance), PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations	23/06/2015	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं, भा.प्र.से. Shri Bidyut Behari Swain, IAS	जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालय से कला परास्नातक(राजनीति शास्त्र) तथा इंस्टयूट ऑफ सोशल साइंसेज से लोक नीति तथा प्रबंधन Masters Degrees in Arts (Political Studies) from Jawaharlal Nehru University and in Public Policy & Management from the Institute of Social Studies	20/04/2018	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GoI)
3.	श्री के राजारमन, भा.प्र.से. Shri K. Rajaraman, IAS	बी.टेक., एम.बी.ए. (वित्त प्रबंधन), एम.ए. (अर्थशास्त्र) B.Tech, M.B.A (Fin Mgt.), M.A (Economics)	08/08/2018	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GoI)

तालिका 1 / **Table 1**

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
*4.	श्रीमती उमा शंकर, का.नि., भा.रि.बै. Smt. Uma Shankar, ED, RBI	एम.ए., सी.ए.आई.आई.बी. MA, CAIIB	03/10/2018	गैर–कार्यपालक अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*5.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन, अ.प्र.नि., जी.आई.सी Smt. Alice G. Vaidyan, CMD, GIC	एम.ए. (अँग्रेजी साहित्य.), एफ़.आई.आई.आई M.A. (Engl. Lit.), FIII	08/02/2016	पदेन गैर–कार्यपालक अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part- Time Non- Government Director
*6.	श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ.आई.ई.ओ Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO	इंटर विज्ञान Inter Science	01/05/2017	पदेन, गैर कार्यपालक अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part- Time Non- Government Director
*7.	श्री माणेक एरुच डावर,अ.प्र.नि, स्पेंटा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड Shri Maneck Eruch Davar, CMD, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.	बी ए (ऑनर्स) B.A. (Hons)	30/01/2017	गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*8.	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	बी एस सी (बी ज़ेड सी) बी एल (बैचलर ऑफ लॉ)आई आर पी एम B.Sc.(BZC), B.L.(Bachelor of Law), IRPM	16/02/2017	गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
9.	श्री एम. सेंथिलनाथन का नि (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan ED (Policy Matters), ECGC Ltd.	बी.एस.सी., एम.बी.ए. B.Sc., MBA	30/12/2015	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director
10	श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से. Shri Sunil Kumar, IAS	एम ए (समाज शास्त्र) M.A. (Sociology)	17/08/2016 (दि.20/04/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Director w.e.f. 20/04/2018)	गैर–कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GoI)
11	श्री गोविंद मोहन, भा.प्र.से. Shri Govind Mohan, IAS	इंजीनियरिंग स्नातक (इलेक्ट्रिकल) Bachelor of Engineering (Electrical)	27/11/2017 (दि.22/06/2018 निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Director w.e.f. 22/06/2018)	गैर–कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GoI)

तालिका 1 / **Table 1**

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	बोर्ड में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
*12	श्री ए.के.मिसरा, का.नि., भा.रि.बै. Shri A. K. Misra, ED, RBI	बी.एस.सी.,एमबीए, एमपीए (हार्वर्ड) B.Sc.,MBM, MPA (Harvard)	07/03/2018 (दि.31/07/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Director w.e.f. 31/07/2018)	गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*13.	श्री राजीव ऋषि, अप्रनि, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Shri Rajeev Rishi, CMD, Central Bank of India	बी ए , एल एल बी B.A., LLB	06/09/2016 (दि.31/07/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Director w.e.f. 31/07/2018)	गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
14.	श्री सुनील बर्थवाल, भा.प्र.से. Shri Sunil Barthwal, IAS	एम.ए. (अर्थशास्त्र), प्रतिस्पर्धा कानून के लिये अर्थशास्त्र में पी.जी. डिप्लोमा M.A. (Economics), P.G. Diploma in Economics for Competition Law	22/06/2018 (दि.08/08/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Director w.e.f 08/08/2018)	गैर–कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GoI)

*** गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक / * Non-Official (Independent) Directors**

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय:–

1. श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं –

श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं नें कला (राजनीति शास्त्र) में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, हेग से लोक नीति एवं प्रबंधन में स्नात्कोत्तर की उपाधि ग्रहण की है। वह भारतीय प्राशासनिक सेवाओं में वर्ष 1988 में शामिल हुए। वे वर्ष 2018 से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में बतौर अपर सचिव कार्यरत हैं।

वर्ष 1988 से 2001 के दौरान इनके द्वारा गुजरात में प्रशिक्षु अधिकारी, उप प्रभागीय न्यायाधीश, जिला विकास अधिकारी तथा जिला अधिकारी के पदों पर कार्य किया। राज्य स्तर पर इन्होनें कई पदभार यथा गुजरात क्षेत्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी; गुजरात संरचना विकास बोर्ड के मु.का.अ.; शिक्षा सचिव; उधोग आयुक्त; गुजरात औधोगिक विकास संगठन के

BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS:-

1. Shri Bidyut Behari Swain-

Shri Bidyut Behari Swain holds Masters Degrees in Arts (Political Studies) from Jawaharlal Nehru University and in Public Policy & Management from the Institute of Social Studies, The Hague. He joined the Indian Administrative Services in 1988. He serves as an Additional Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India since March 2018.

He held several positions at the district level in Gujarat from 1988 to 2001, as Trainee Officer, Sub-Divisional Magistrate, District Development Officer and District Magistrate. At the State Government level, he held several positions such as the Regional Passport Officer of Gujarat Region; CEO of Gujarat Infrastructure Development Board; Secretary, Education; Industries Commissioner; MD of Gujarat

प्रबंध निदेशक तथा मुख्य चुनाव अधिकारी, सम्भाले।

वर्तमान में यह एक्सिम बैंक के बोर्ड में निदेशक हैं। यह सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को कम्पनी के बोर्ड में शामिल हुए।

2. श्री सुनील बर्थवाल –

श्री सुनील बर्थवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के बिहार कैडर के एक अधिकारी हैं, जो अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। इन्होनें सेंट स्टीफेन कॉलेज,दिल्ली से अर्थशास्त्र में बी.ए.(ऑ.) की डिग्री प्राप्त की तथा जे.एन.यू., दिल्ली से एम.ए. अर्थशास्त्र की पढाई की। इनके पास किंग्स कॉलेज, लंदन से ईकोनॉमिक्स फॉर कम्पटीटिव लॉ पर पी.जी. डिप्लोमा है। एक भा.प्र.से. के अधिकारी के रूप में इनके समृद्ध तथा विभिन्न अनुभवों के दौरान इन्होनें राज्य सरकार के अंतर्गत कर प्रबंधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं शक्ति, वित्त, होम अफेयर, परिवहन आदि तथा केंद्र सरकार में कार्मिक, खादान, स्टील तथा वित्त मंत्रालय में कार्य किया। इन्होनें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में भी कार्य किया है।ये सेल, एनएमडीसी, एमईसीओएन, एमएसटीसी तथा एचसीएल के बोर्ड में भी रहे हैं।वर्तमान में यह डीओपीटी के दिनांक 30 जून, 2018 को जारी पत्र के अनुसार दिनांक 30 जून, 2018 से कार्मिक और रोज़गार मंत्रालय के अन्तर्गत भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि आयुक्त के पद पर विराजमान हैं।

उन्हें 22 जून, 2018 को कंपनी के बोर्ड में एक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 08 अगस्त, 2018 को (डीओसी के सम्बंधित कार्यालय आदेश के अनुसार) निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति हो गयी।

3. श्री के. राजारामन–

श्री के राजाराम, एलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन में तकनीकी स्नातक, वित्त प्रबंधन में एम.बी.ए. की प्रथम श्रेणी की डिग्री तथा अर्थशास्त्र में स्नात्कोत्तर की डिग्री के साथ आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अतरिक्त सचिव के पद पर सेवारत है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भेल,त्रिची में डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में की।

एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपने समृद्ध और विविध

Industrial Development Corporation; and the Chief Electoral Officer.

He is currently a Director on the Board of EXIM Bank. He joined as a Government Director on the Board of the Company on April 20, 2018.

2. Shri Sunil Barthwal-

Shri Sunil Barthwal, an Indian Administrative Service (IAS) officer of Bihar Cadre, is a Post Graduate in Economics. He did his B.A.(Hons) Economics from St. Stephen's College, Delhi and his M.A. Economics from J.N.U, Delhi. He has a PG Diploma in Economics for Competition Law from King's College, London. During his rich and varied experience as an IAS officer, he has held various administrative positions in the areas of Revenue Management, Rural Development, Energy & Power, Finance, Home Affairs, Transport, etc. in the State Government and in the Ministries of Labour, Mines, Steel & Finance in the Central Government. He has also worked in the Competition Commission of India, Ministry of Corporate Affairs. He has been on the Boards of SAIL, NMDC, MECON, MSTC & HCL. He has widely published articles in Economic Times, Financial Express and other publications. Presently he is the Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation, Ministry of Labour & Employment with effect from June 30, 2018 as per DOPT letter dated June 30, 2018.

He was appointed as a Government Director on the Board of the Company on June 22, 2018 and ceased to be Director w.e.f. August 08, 2018 (as per relevant Office Order of DoC).

3. Shri K. Rajaraman-

Shri K. Rajaraman, a Bachelor of Technology in Electronics & Communications, holding first class M. B. A. degree in Financial Management and a Master of Arts in Economics, serves as an Additional Secretary at Department of Economic Affairs, Investment Division, Ministry of Finance, Government of India.

He started his career as a Design Engineer in BHEL, Trichy. During his rich and varied experience as an IAS Officer, he had held various

अनुभव के दौरान, उन्होंने निवेश प्रोत्साहन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, औद्योगिक अवसंरचना, वैट प्रशासन, आदि के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था। वे कार्यकारी निदेशक, टीएन औद्योगिक विकास निगम और तमिलनाडु सरकार में विशेष सचिव (उद्योग) थे। वह चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेड (सीएमआरएल) के शुरुआती निर्माण चरण के दौरान लगभग 4 वर्षों के लिए उसके प्रबंध निदेशक थे। इसके उपरांत उन्होंने तमिलनाडु सरकार में वाणिज्यिक कर के आयुक्त के रूप में कार्य किया और वर्तमान में वह भारत सरकार में संयुक्त सचिव व्यय के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने सूचना का अधिकार और ऊर्जा संरक्षण नीति पर लेख प्रकाशित किए हैं। वे आपदा प्रबंधन के लिए इंसीडेंट कमांड सिस्टम में प्रमाणित ट्रेनर हैं और नागपट्टिनम (सुनामी राहत) और कांचीपुरम (बाढ़ 2015, 2016) में आपदा प्रबंधन टीम के नेता के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी विशेष रुचि सूचना का अधिकार, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन, मानव विकास, उपभोक्ता संरक्षण, आपदा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और उद्यमिता के क्षेत्र में है।

वह वर्तमान में EXIM बैंक और नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (NIIFL) के बोर्डों में निदेशक हैं। वह शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड में भारत के निदेशक के रूप में भी काम करते हैं। वह 08 अगस्त, 2018 को कंपनी के बोर्ड में एक सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए।

4. श्रीमती उमा शंकर–

श्रीमती उमा शंकर 4 दिसंबर, 2017 से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यपालक निदेशक हैं और इससे पहले वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, आरबीआई, मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं। वह कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम की स्नातक हैं।उनके पास कला में स्नात्कोत्तर की डिग्री है तथा भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1982 में आरबीआई में सीधी के अंतर्गत ग्रेड बी अधिकारी के रूप में की थी तथा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जारी विभाग, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, शहरी बैंक विभाग एवं आरबीआई के अन्य महत्वपूर्ण विभागों में चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु

administrative positions in the areas of Investment Promotion, Foreign Direct Investment, Public Sector Undertakings, Industrial Infrastructure, VAT Administration, etc. He was Executive Director, TN Industrial Development Corporation and Special Secretary (Industries), Government of Tamil Nadu. He was Managing Director of Chennai Metro Railway Limited (CMRL) for nearly 4 years during its early construction phase. Later he served as Commissioner for Commercial Taxes in Government of Tamil Nadu and Joint Secretary Expenditure in Government of India in the recent past.

He has published articles on 'Right to Information' and 'Energy Conservation Policy'. He is a certified trainer in Incident Command System for Disaster Management and has served as a Disaster Management Team leader in Nagapattinam (Tsunami relief) and Kanchipuram (Floods 2015, 2016). His special interest is in the field of Right to Information, Industrial Policy and Investment Promotion, Human Development, Consumer Protection, Disaster Management, Urban Mobility and Entrepreneurship.

He is currently a Director on the Boards of EXIM Bank and National Investment & Infrastructure Limited (NIIFL). He also serves as India's Director on the Board of New Development Bank, Shanghai. He joined as a Government Director on the Board of the Company on August 08, 2018.

4. Smt. Uma Shankar-

Smt. Uma Shankar has been Executive Director at Reserve Bank of India since December 4, 2017 and prior to this she was working as Chief General Manager, Department of Currency Management, RBI, Mumbai. She is a Graduate of the Columbia Business School Executive Education Programme. She holds Master Degree in Arts and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. She started her career as a direct recruit Grade B Officer in RBI in the year 1982 and held important posts in various capacities in the Issue Department, Banking Department, Department of Banking Supervision,

कार्यालयों में कार्य किया। उन्होंने आरबीआई के नामित निदेशक के रूप में केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूको बैंक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के बोर्डों में भी काम किया।

वह दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 को कंपनी के बोर्ड में आरबीआई के नामित निदेशक के रूप में शामिल हुईं.

निदेशकों हेतु परिचायक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम/विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं।

निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों/विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कम्पनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कम्पनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/समिति की बैठ्कों के दौरान अवगत कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों की तिथियों पर निदेशकों की पूर्व-व्यस्तता/व्यस्त कार्यक्रम के कारण कम्पनी आज की तारीख तक निम्नलिखित को छोड़कर सभी निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध करा पाई है जो निम्नलिखित हैं:

Urban Banks Department and other important departments of RBI in Chennai, Hyderabad, Mumbai and Bengaluru Offices. Prior to this she was the Regional Director of RBI, Bengaluru. She also served on the Boards of Canara Bank, Corporation Bank, UCO Bank and Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. as Nominee Director of RBI.

She joined as a Nominee Director of RBI on the Board of the Company on October 03, 2018.

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable Guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various Sectors/Departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board related practices and orientation programmes etc. conducted by various Institutes of repute/ Government of India, such as Department of Public Enterprises.

All the Directors are regularly updated on the various provisions related to Corporate Governance and other applicable rules and regulations of the Company during Board/Committee Meetings as per the internal training policy for Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of Directors on the dates of training organised by various Institutions from time to time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2018-19 as follows:-

क्र. सं. Sl. No	पद DESIGNATION	निदेशक का नाम NAME OF THE DIRECTORS	प्रतिभागित प्रशिक्षणों का विवरण (विषय तथा दिनांक) DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE)
1.	पूर्ण-कालिक निदेशक Whole-Time Director	श्री एम. सेंथिलनाथन, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) Shri M. Senthilnathan Executive Director (Policy Matters)	स्टैन्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़(स्कोप) द्वारा दिनांक 14 एवं 15 मार्च को क़ॉर्पोरेट गवर्नेंस-इफेक्टिव डाइरेक्टर फॉर सस्टेनेबल कम्पटीटिवनेसफ विषय पर नई दिल्ली में कार्यक्रम। Program conducted by Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) on 'Corporate Governance-Effective Directors for Sustainable Competitiveness' on March 14 & 15, 2019 at New Delhi.
2.	गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र निदेशक) Non-Official (Independent Directors)	1. श्री माणेक एरूच डावर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्पेंटा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड 1.Shri Maneck Eruch Davar, Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.	
		2. श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक 2.Smt. Saranala Malathi Rani, Director	1. SCOPE द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर और 06 अक्टूबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (SCOPE), विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन के पहलुओं में व्यावहारिक मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रम। 1. Program conducted by SCOPE on 'Practical issues in Corporate Governance aspects under the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR), Regulations, 2015' on October 05 & 06, 2018 at New Delhi. 2. गोवा में 17 और 18 दिसंबर, 2018 को सीएसआर गतिविधियों के संचालन पर भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम। 2. Program conducted by Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) on Governance of CSR activities on December 17 & 18, 2018 at Goa. 3. गुवाहाटी में 18 और 19 फरवरी, 2019 को सीपीएसई के गैर-सरकारी निदेशकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु डीपीई द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम। 3. Program conducted by DPE on Orientation Programme for Capacity Building for Non-Official Directors of CPSEs on February 18 & 19, 2019 at Guwahati.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार मिलना आवश्यक है कि दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल न हो। कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी बोर्ड मीटिंग हेतु सचिवीय मानकों के अनुपालन में सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा तथा विस्तृत प्रकृति का एजेंडा नोट भेजता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार,

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2018-19

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. The Company sends notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature to all the Directors in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India.

कंपनी निदेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है ताकि यदि वे चाहें तो बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल आठ बैठकें आयोजित की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण निम्नलिखित सारणी 2 में उल्लिखित है :-

सारणी 2

क्रम सं.	बैठकों की संख्या	बैठकों की तारीख	मण्डल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	413	25/04/2018	10	8
2.	414	29/05/2018	10	7
3.	415	17/07/2018	10	7
4.	416	09/08/2018	8	6
5.	417	02/11/2018	9	4
6.	418	07/12/2018	9	8
7.	419	09/02/2019	9	6
8.	420	28/03/2019	9	5

दिनांक 31 मार्च 2019 तक बोर्ड बैठकों, वार्षिक साधारण बैठकों तथा अन्य निदेशक बैठकों की संख्या तथा उसमें उपस्थिती संबंधी विवरण (सारणी 3)

सारणी 3

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिती / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल स	दिनांक 17 जुलाई 2018 को आयोजित 60वीं वा.सा.बै. में उपस्थिती	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं*
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	8/8	हाँ	01
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	7/8	हाँ	01
3.	श्री के. राजारमन	2/5	नहीं	01
4.	श्रीमती एलिस जी वैद्यन	3/8	नहीं	06
5.	श्रीमती उमा शंकर	1/4	नहीं	शून्य
6.	श्री गणेश कुमार गुप्ता	6/8	हाँ	02
7.	श्री माणेक एरुच डावर	4/8	नहीं	शून्य
8.	श्रीमती सरनला मालती रानी	8/8	हाँ	शून्य
9.	श्री एम. सेंथिल-नाथन	8/8	हाँ	शून्य
10.	श्री सुनील कुमार	0/0	लागू नहीं	शून्य

Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee Meetings if they desire. There were eight Meetings held during the FY 2018-19. Details of the Meetings of the Board of Directors held during the FY 2018-19 are furnished below in Table 2:

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	413	25/04/2018	10	8
2.	414	29/05/2018	10	7
3.	415	17/07/2018	10	7
4.	416	09/08/2018	8	6
5.	417	02/11/2018	9	4
6.	418	07/12/2018	9	8
7.	419	09/02/2019	9	6
8.	420	28/03/2019	9	5

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS ON MARCH 31, 2019 (Table 3)

Table 3

Sr. No.	Name of Directors	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	Attendance at the 60th AGM held on July 17, 2018	No. of other Directorships held *
1.	Smt. Geetha Muralidhar	8/8	Yes	01
2.	Shri Bidyut Behari Swain	7/8	Yes	01
3.	Shri K. Rajaraman	2/5	No	01
4.	Smt. Alice G. Vaidyan	3/8	No	06
5.	Smt. Uma Shankar	1/4	No	Nil
6.	Shri Ganesh Kumar Gupta	6/8	Yes	02
7.	Shri Maneck Eruch Davar	4/8	No	Nil
8.	Smt. Saranala Malathi Rani	8/8	Yes	Nil
9.	Shri M. Senthilnathan	8/8	Yes	Nil
10.	Shri Sunil Kumar	0/0	NA	Nil

सारणी 3

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिती / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल स	दिनांक 17 जुलाई 2018 को आयोजित 60वीं वा.सा.बै. में उपस्थिती	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं*
11.	श्री गोविंद मोहन	1/2	लागू नहीं	02
12.	श्री ए.के. मिसरा	3/3	नहीं	01
13.	श्री राजीव ऋषि	0/3	नहीं	02
14.	श्री सुनील बर्थवाल	0/1	नहीं	लागू नहीं

*कंपनी अधिनियम 2013 की अधीन पंजीकृत कंपनी में निदेशकों की बैठक में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों की बैठके शामिल नहीं होती हैं।

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2018-19 में, 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 तथा 03/10/2018 को पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31/03/2019, तक लेखा परीक्षा समिति में सात गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। श्री माणेक एरूच डावर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 17/07/2018, 09/08/2018, 02/11/2018 तथा 09/02/2019 को आयोजित बैठकों की अध्यक्षता श्रीमती सरनला मालती रानी नें की।. श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कम्पनी की कम्पनी सचिव लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के कुल लेखा परीक्षा कार्यों, जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सीएंडएजी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख है। लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित भूमिका पूर्ण रूप से अदा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की दि 29/05/2018, 17/07/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 एवं 28/03/2019 को छः बैठकें संपन्न हुई

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नानुसार सारणी 4 में दर्शाये गए हैं:

Table 3

Sr. No.	Name of Directors	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	Attendance at the 60th AGM held on July 17, 2018	No. of other Directorships held *
11.	Shri Govind Mohan	1/2	NA	02
12.	Shri A. K. Misra	3/3	No	01
13.	Shri Rajeev Rishi	0/3	No	02
14.	Shri Sunil Barthwal	0/1	No	NA

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 and 03/10/2018 during the FY 2018-19. As on 31/03/2019, the Audit Committee of the Company comprises of seven Non-Executive Directors. Shri Maneck Eruch Davar is the Chairman of the Audit Committee. In the absence of regular Chairman, Smt. Saranala Malathi Rani was the Chairman of the Audit Committee for the Meeting held on 17/07/2018, 09/08/2018, 02/11/2018 and 09/02/2019. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and C&AG of India. The Board approved Terms of Reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met six times on 29/05/2018, 17/07/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 and 28/03/2019 during the FY 2018-19. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee Meetings are furnished below in Table 4:

सारणी 4

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018	5/6
2.	श्री के. राजारमन	08/08/2018	2/4
3.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018	0/3
4.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	1/6
5.	श्री गणेश कुमार गुप्ता	01/05/2017	5/6
6.	श्री माणेक एरुच डावर	22/03/2017	2/6
7.	श्रीमती सरनला मालती रानी	22/03/2017	6/6
8.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि.20/04/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018)	0/0
9.	श्री गोविंद मोहन	27/11/2017 (दि.22/06/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
10.	श्री ए.के.मिसरा	07/03/2018 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	2/2
11.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/2
12.	श्री सुनील बर्थवाल	22/06/2018 (दि.08/08/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1

निवेश समिति – संगठन और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 एवं 03/10/2018 को किया गया । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश समिति की बैठकों का आयोजन दिनांक 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 और 28/03/2019 को कुल पांच बार किया गया। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नलिखित सारणी 5 में दर्शाया गया है :

Table 4

Sr. No.	Name of Directors	Date of appointment as Member	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	5/6
2.	Shri K. Rajaraman	08/08/2018	2/4
3.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018	0/3
4.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	1/6
5.	Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017	5/6
6.	Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017	2/6
7.	Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017	6/6
8.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)	0/0
9.	Shri Govind Mohan	27/11/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 22/06/2018)	0/1
10.	Shri A.K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	2/2
11.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	0/2
12.	Shri Sunil Barthwal	22/06/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 08/08/2018)	0/1

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 and 03/10/2018 during the FY 2018-19. The Investment Committee met five times, on 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 and 28/03/2019 during the FY 2018-19. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in Table 5:

सारणी 5

क्रम सं.	निदेशक/सदस्य का नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तिथि	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधार	23/06/2015	5/5
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018	4/5
3.	श्री के. राजारमन	08/08/2018	0/4
4.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018	0/3
5.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	1/5
6.	श्री एम. सेंथिलनाथन	11/02/2016	5/5
7.	श्री राजीव मानवी	दि.05/10/2017 से सी.एफ.ओ.(दि.30/04/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	5/5
8.	श्री ईशनाथ झा	दि. 04/05/2018 से सी.आर.ओ.	4/5
9.	श्री आर.के. पंडियन	दि. 05/07/2018 से मुख्य निवेश अधिकारी	4/4
10.	श्रीमती योगिता अरोरा	दि 07/02/2017 से नियुक्त बीमांकिक (दि.16/04/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	4/5
11.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि.20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
12.	श्री गोविंद मोहन	27/11/2017 (दि.22/06/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
13.	श्रीए.के. मिसरा	07/03/2018 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
14.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
15.	श्री सुनील बर्थवाल	22/06/2018 (दि. 08/08/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
16.	श्री गौरव अंशुमन	29/05/2017 (दि.04/05/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
17.	श्री शिवाजी नार्वेकर	29/09/2017 (दि.05/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors/ Members	Date of appointment as Member	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	5/5
2.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	4/5
3.	Shri K. Rajaraman	08/08/2018	0/4
4.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018	0/3
5.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	1/5
6.	Shri M. Senthilnathan	11/02/2016	5/5
7.	Shri Rajiv Manavi	As CFO w.e.f. 05/10/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 30/04/2019)	5/5
8.	Shri Ishnath Jha	As CRO w.e.f. 04/05/2018	4/5
9.	Shri R. K. Pandian	As Chief Investment Officer w.e.f. 05/07/2018	4/4
10.	Smt. Yogita Arora	As Consulting Actuary w.e.f. 07/02/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 16/04/2019)	4/5
11.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)	0/0
12.	Shri Govind Mohan	27/11/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 22/06/2018)	0/1
13.	Shri A.K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	1/1
14.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	0/1
15.	Shri Sunil Barthwal	22/06/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 08/08/2018)	0/0
16.	Shri Gaurav Anshuman	29/05/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 04/05/2018)	0/0
17.	Shri Shivaji Narvekar	29/09/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 05/07/2018)	1/1

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति – संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन, 20/04/2018 और 03/10/2018 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 एवं 28/03/2019 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की पांच बैठकें सम्पन्न हुई। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित सारणी 6 में दर्शाया गया है :

सारणी 6

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तिथि	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	23/06/2015	5/5
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018	4/5
3.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018	0/3
4.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	1/5
5.	श्री गणेश कुमार गुप्ता	01/05/2017	4/5
6.	श्री माणेक एरूच डावर	22/03/2017	2/5
7.	श्रीमती सरनला मालती रानी	22/03/2017	5/5
8.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5
9.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि. 20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
10.	श्री ए.के. मिसरा	07/03/2018 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
11.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1

जोखिम प्रबंधन समिति– संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन,दि. 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 और 03/10/2018 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 रपव 28/03/2019 को हुईं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 7 में दर्शाया गया है:

POLICYHOLDERS' INTEREST PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee of the Company has been re-constituted on 20/04/2018 and 03/10/2018 for the FY 2018-19. The Policyholders' Interest Protection Committee met five times, on 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 and 28/03/2019 during the FY 2018-19. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished below in Table 6:

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	5/5
2.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	4/5
3.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018	0/3
4.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	1/5
5.	Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017	4/5
6.	Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017	2/5
7.	Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017	5/5
8.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
9.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)	0/0
10.	Shri A. K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	1/1
11.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	0/1

RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on 20/04/2018, 22/06/2018, 08/08/2018 and 03/10/2018 during the FY 2018-19. The Risk Management Committee met five times, on 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 and 28/03/2019 during the FY 2018-19. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in Table 7:

सारणी 7

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तिथि	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	23/06/2015	5/5
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018	4/5
3.	श्री के. राजारमन	08/08/2018	0/4
4.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018	0/3
5.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	1/5
6.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5
7.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि.20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
8.	श्री गोविंद मोहन	27/11/2017 (दि.22/06/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
9.	श्री ए.के. मिसरा	07/03/2018 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
10.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
11.	श्री सुनील बर्थवाल	22/06/2018 (दि.08/08/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

ईसीजीसी में, सरकारी संस्थान होने के कारण पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति से सम्बंधित नियम व शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। यद्यपि, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति(एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, दिनांक 20/04/2018 और 03/10/2018 को किया गया। एन.आर.सी. की कोई भी बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित नही की गयी। एन.आर.सी. के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित सारणी 8 में दर्शाया गया है:

Table 7

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015	5/5
2.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	4/5
3.	Shri K. Rajaraman	08/08/2018	0/4
4.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018	0/3
5.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	1/5
6.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
7.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)	0/0
8.	Shri Govind Mohan	27/11/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 22/06/2018)	0/1
9.	Shri A. K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	1/1
10.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	0/1
11.	Shri Sunil Barthwal	22/06/2018 (ceased to be Member w.e.f. 08/08/2018)	0/0

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Limited being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee and it has been re-constituted on 20/04/2018 and 03/10/2018 during the FY 2018-19. No meeting of the NRC was held during the FY 2018-19. The details of the Members of the NRC are furnished below in Table 8.

सारणी 8

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018
2.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018
3.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016
4.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016
5.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि. 20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
6.	श्री ए.के. मिसरा	07/03/2018 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
7.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि. 31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफ़ारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित आर ओ सी के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भा स द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों/उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होंगे। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एक्ज़िम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की श्रेणी में होंगे तथा भारत सरकार के निर्देशों/सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समितियों की बैठकों में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शुल्क के पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी ₹ 10,000/- प्रति बोर्ड बैठक तथा ₹ 5,000/- प्रति समिति बैठक के हिसाब से अदायगी कर रही है)। कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक के लिए कमीशन की अदायगी नहीं की है। कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक के लिए स्टॉक विकल्प नहीं दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भी गैर कार्यपालक निदेशक

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member
1.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018
2.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018
3.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016
4.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016
5.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)
6.	Shri A. K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)
7.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)

ECGC is a 100% Government of India (GOI) owned Company. Appointment of all Directors including Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with ROC including informing IRDAI. Remuneration of Whole Time Director is fixed by GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹ 5000 for each Committee Meeting per Member). The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any

का कंपनी के साथ आर्थिक अथवा संव्यवहार का संबंध नही रहा। ईसीजीसी लि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

निगम सामाजिक दायित्व (सी एसआर) एवं धारणीय विकास(एसडी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी एस आर और एस डी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीएसआर और एसडी हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, दि. 20/04/2018 तथा 03/10/2018 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया। श्रीमती गीता मुरलीधर सीएसआर और एसडी पर समिति की अध्यक्ष हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सी एस आर व एस समिति की दिनांक 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 तथा 28/03/2019 को पांच बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिती संबंधी विवरण सारणी 9 में दर्शाए गए हैं:

सारणी 9

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	15/07/2015	5/5
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं	20/04/2018	4/5
3.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018	0/3
4.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016	1/5
5.	श्री गणेश कुमार गुप्ता	01/05/2017	4/5
6.	श्री माणेक एरूच डावर	23/03/2017	2/5
7.	श्रीमती सरनला मालती रानी	23/03/2017	5/5
8.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016	5/5
9.	श्री सुनील कुमार	17/08/2016 (दि.20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/0
10.	श्री ए.के. मिसरा	07/03/2018 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
11.	श्री राजीव ऋषि	07/11/2016 (दि.31/07/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/1

pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2018-19. The Pay Scales and allowances of Staff and Officers of ECGC Ltd. are approved by the GOI.

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 20/04/2018 and 03/10/2018 during the FY 2018-19. Smt. Geetha Muralidhar is the Chairman of the Committee on CSR & SD.

The Committee on CSR & SD met five times, on 29/05/2018, 09/08/2018, 02/11/2018, 09/02/2019 and 28/03/2019 during the FY 2018-19. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 9.

Table 9

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	15/07/2015	5/5
2.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	4/5
3.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018	0/3
4.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016	1/5
5.	Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017	4/5
6.	Shri Maneck Eruch Davar	23/03/2017	2/5
7.	Smt. Saranala Malathi Rani	23/03/2017	5/5
8.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
9.	Shri Sunil Kumar	17/08/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)	0/0
10.	Shri. A. K. Misra	07/03/2018 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	1/1
11.	Shri Rajeev Rishi	07/11/2016 (ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)	0/1

निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन प्राधिकारी मंत्रालय द्वारा किया जाता हो। हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (भा स) के साथ किए गए स ज्ञा के जरिये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों/मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) हमारे संबन्धित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों/ग्रेड पर आधारित होती है।

कम्पनी अधिनियम की धारा 178 (2) ते अधीन, निदेशक मंडल के निष्पादन मूल्यांकन से सम्बंधिन आवश्यकता को कॉपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा (एम सी ए) द्वारा दिनांक 04/06/2015 को जारी परिपत्र के जरिए छूट प्रदान की गयी है। धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में, बोर्ड, समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति का उल्लेख आवश्यक है, की आवश्यकता पर भी एसी स्थिति में छूट प्रदान की गयी है, यदि सरकारी कंपनियों के निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे मामले में इस प्रकार का मूल्यांकन सार्वजनिक उपक्रम विभाग (भा स) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर कर. वित्तीय एवं गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंको /भाराकों के ज़रिये किया जाता है। हमारी उत्पादकता से जुड़ी एक मुश्त प्रोत्साहन राशि (पी एल एल आई) हमारे सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किये गए इस प्रकार के मूल्यांकन में प्राप्त ग्रेड/अंको पर आधारित है। डीपीई नें दिनांक 20/06/2013 को जारी का.ज्ञो. द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा वापस ले ली है। एमसीए के दिनांक 05 जुलाई, 2017 को जारी परिपत्र ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्षों के मूल्यांकन तंत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, स्वतंत्र निदेशक दिनांक 02/11/2018 को डीपीई दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20/06/2013) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के मध्य परस्पर सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करने के लिए मिले थे जो कि प्रभावी एवं यथोचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में बोर्ड के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न सारणी 10 में उल्लिखित है :

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS' AND THE BOARD AND MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated 05/06/2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for Government Companies, if Directors are evaluated by the Administrative Ministry. In our case such evaluation is done through Annual MOU with Department of Public Enterprises (GOI) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. Our Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on mark/ grade obtained in such evaluation by our respective Ministry.

DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors, from the purview of separate meeting of Independent Directors. MCA vide circular dated July 05, 2017 has also exempted evaluation mechanism of non-Independent Directors and chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the FY 2018-19, the Independent Directors met on 02/11/2018 as per requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 10:

सारणी 10

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	वा सा बैठकों की सं	दिनांक व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की सं , यदि कोई हो तो
1	2015-16	58	16 अगस्त, 2016 415 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
2	2016-17	59	10 अगस्त, 2017 1700 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
3	2017-18	60	17 जुलाई, 2018 1400 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
4	2018-19	ईजीएम	07 दिसंबर, 2018 500 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	10

कारोबार आचार संहिता और नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता और नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को कोई अंतरण नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशकों अथवा प्रबंधन वर्ग अथवा उनके संबंधियों का प्रत्यक्ष हित सन्निहित हो। 27/03/2018 को बोर्ड ने मसंबंधित पार्टी अंतरणफ नाम की संशोधित आरपीटी नीति को अपनाया। कंपनी ने संबंधित पक्ष प्रकटन पर भारतीय लेखा मानक -24 और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट पर प्रकटन की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के विवरण को प्रत्यक्ष किया है।.

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित सन्निहित हो।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन होता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके। बोर्ड द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और साथ ही कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा होती है।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है

Table 10

Sr. No.	Financial Year	No. of AGM	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed, if any
1	2015-16	58	August 16, 2016 1415 Hrs	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
2	2016-17	59	August 10, 2017 1700 Hrs	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
3	2017-18	60	July 17, 2018 1400 Hrs	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
4	2018-19	EGM	December 07, 2018 1500 Hrs	Udyog Bhawan, New Delhi	10

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business. On 27/03/2018 the Board adopted the revised policy on RPT under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard – 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to Government companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के सज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य/अनैतिक/अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करें ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है, केवल निम्नलिखित मामलों के अतरिक्त:

1 महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958 : कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु 7,20,500 रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत 4,46,710 (चार लाख छियालीस हज़ार सात सौ दस) रुपए का दंड लगाया था।

   तथपि, दिनांक 22.01.2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष हमने दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। मामला सुनवाई हेतु लंबित है।

2. महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दुकान एवं विनिर्माण अधिनियम की धारा 7(1)(4)आर–20ए के अंतर्गत चर्चगेट शाखा द्वारा कार्य प्रारम्भ होने(15.05.2017) के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने तथा नामपट पर मराठी में नाम न होने के कारण ₹ 44,000/– का दंड लगाया। उक्त का भुगतान कर दिया गया है।

3. **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम):**
   (क) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियमन 31 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 39 (5) के तहत दिनांक 19.02.2019 को जारी, दिल्ली के एसएमई शाखा द्वारा आस्थाई कामगार के संबंध में माह सितंबर 2014, नवंबर 2014, जनवरी 2015 और नवंबर 2017 से फरवरी 2018 माह के नियोक्ता योगदान के भुगतान में देरी के कारण ब्याज की ₹ 270/ – की राशि का भुगतान करने के लिए लिये नोटिस प्राप्त किया गया था। उक्त का भुगतान कर दिया गया।

(ख) सितंबर 2014, नवंबर 2014, जनवरी 2015 और नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के महीनों के लिए आस्थाई कामगार के संबंध में नियोक्ता के योगदान में देरी के लिए दिल्ली मेट्रो शाखा को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 40 के तहत 19.02.2019 को जुर्माने की ₹191/– की राशि का भुगतान करने के लिये नोटिस प्राप्त हुआ। उक्त का भुगतान कर दिया गया।

4. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 57 दैनिक वेतन अर्जक कर्मकारो के

The Board periodically review compliance report of all laws applicable to the Company as well steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹ 4,46,710 (Rupees Four Lakhs Forty Six Thousand Seven Hundred Ten Only), for non-payment of stamp duty of ₹ 7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

   However, we have represented our case on 22/01/2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. The matter is pending for hearing.

2. The Maharashtra Shops and Establishments Act, 1948: Metropolitan Magistrate under Shops & Establishment Act- Sec- 7(1)(4) R-20A levied penalty of ₹ 44,000/- for Churchgate Branch-Registration not done within 30 days from the date of establishment commencing its work (15.05.2017) and name Board not displayed in Marathi Devanagiri Script. The same was paid.

3. **Employees' State Insurance Act, 1948 (Act):**
   (a) Notice dated 19.02.2019 under Section 39(5) of the Act read along with Regulation 31 of The Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 was received by Delhi SME Branch for delay in remittance of employer contribution in respect of Casual Workers for the months of September 2014, November 2014, January 2015 and November 2017 to February 2018 to pay an amount of ₹ 270/- towards Interest. The same was paid.

(b) Notice dated 19.02.2019 under Section 40 of Employees' State Insurance Act, 1948 received by Delhi Metro Branch for delay in employer contribution in respect of Casual Workers for the months of September 2014, November 2014, January 2015 and November 2017 to February 2018 to pay an amount of ₹ 191/- towards penalty. The same was paid.

4. Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (Act), 1952 in respect of 57 Casual

संबंध में सहायक भ.नि. आयुक्त, ईपीएफओ द्वारा अधिनियम की धारा 6,6क तथा 6ग को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 3 तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना,1976 के पैरा 8(1) के साथ पढे जाने के अंतर्गत 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के मध्य ईपीएफ योगदान, ईपीफ प्रशासन/निरीक्षण शुल्क, ईडीएलआई योगदान तथा ईडीएलआई प्रशासन/निरीक्षण शुल्क हेतु कुल ₹43,18,042 की क्षति तथा 24,27,917 के ब्याज के लिये नोटिस जारी किए। कम्पनी द्वारा सहायक पी.एफ. आयुक्त के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है जैसा कि क्षेत्रीय पी.एफ. आयुक्त के आदेशानुसार ईपीएफओ को पी.एफ. अंशदान का भुगतान किया गया था अतः इस मामले में यदि कोई ज़िम्मेदारी बनती है तो वो पी.एफ. अंशदान के विलम्ब से भुगतान के कारण ब्याज के भुगतान की होगी। इस मामले की सुनवाई दिनांक 7 जून, 2019 को हुई थी। अगली सुनवाई/अंतिम आदेश के संबंध में पत्राचार लंबित है।

5. कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952(अधिनियम)–एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा अधिनियम की धारा 6, 6 क तथा 6 ग को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 3 तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना,1976 के पैरा 8(1) के साथ पढे जाने के अंतर्गत जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान ईपीएफ योगदान, ईपीफ प्रशासन/निरीक्षण शुल्क, ईडीएलआई योगदान तथा ईडीएलआई प्रशासन/निरीक्षण शुल्क हेतु कुल 1,12,55,467 ₹ की क्षति तथा 1,03,28,895 के ब्याज के लिये 3 नोटिस जारी किए।कम्पनी द्वारा 3 नोटिसों में से एक नोटिस दिनांक 03 मई, 2019 को सुनवाई, प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, हेतु निर्धारित है।

कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इस लिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक: 61वीं वार्षिक साधारण बैठक दि 26 अगस्त, 2019 को15:30 बजे नई दिल्ली में होगी ।

(ख) 31 मार्च 2019 को शेयर धारण का स्वरूप: कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 20,00,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमे कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।

workers - A Summon dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.6, 6A and 6C of the Act read along with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, 3 of Employees' Pension Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 for payment of damages of ₹ 43,18,042 and interest of ₹ 24,27,917 for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017 towards EPF Contribution, EPF Administration/ Inspection Charges, EDLI Contribution and EDLI Administration/Inspection Charges. The Company is contesting the matter before the Asst. PF Commissioner since PF contribution to EPFO was made by the Company while following the orders of Regional PF Commissioner, hence the liability, if any in the matter would be on account of payment of interest on delayed PF Contribution, at the applicable rate. The matter was heard latest on June 07, 2019. Communication with regard to next hearing/final order is awaited.

5. Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act)- APFC, EPFO has issued 3 notices dated 12.03.2019 under Section 6, 6A and 6C of the Act read with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, 3 of Employees' Pension Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 for the period July 1989 to August 2016 in respect of Casual Workers towards EPF Contributions, EPF Administration/ Inspection Charges, EDLI Contributions and EDLI Administration/ Inspection charges totalling to damages of ₹ 1,12,55,467 and Interest of ₹1,03,28,895. Out of the three notices, one notice is scheduled for hearing on May 03, 2019 for submissions if any, by the Company.

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATIONS

(a) Annual General Meeting: The 61st Annual General Meeting is scheduled to be held on August 26, 2019 at 15:30 hours at New Delhi.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2019: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 20,00,00,000 Equity Shares of rupees 100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(ग) पत्राचार का पता:श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व मे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) एक्सप्रेस टावर, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021.Email-csecgc.in.

संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट cs@ecgc.in पर हमारे बारे में खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूज़र फ्रैंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप मे उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणाम: वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, सदस्यों तथा अन्य अधिकारिता प्राप्त व्यक्तियों को संचारित कर दी गई हैं। प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण अनुलग्नक त में स्थापित निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कृते निदेशक मण्डल

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019

(c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-cs@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at Annexure V forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 31, 2019

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की।

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affimed compliance of the Code of Conduct for Board Membders and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2019.

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मै स्मिता वी पंडित एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय–समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

स्मिता वी. पंडित
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
31 मई, 2019.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: May 31, 2019

मेसर्स डिसेंट दिया ज्वेल्स के लिए सिंडिकेट बैंक, देना बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया को ईसीआईबी दावे की अदायगी.
ECIB-Claim Paid on A/c Decent Dia Jewels Pvt. Ltd. Banks- Syndicate Bank, Dena Bank and Union Bank of India

मेसर्स एंट्रिक्स डायमंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ़ बडौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक को ईसीआईबी दावे की अदायगी
ECIB-Claim Paid on A/c Antrix Diamond Exports Pvt Ltd. Banks- Allahabad Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Punjab National Bank and State Bank of India

क्षे प्र, प क्षे एवं शा प्र वड़ोदरा शाखा द्वारा यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, आई ऍफ़ बी शाखा, वड़ोदरा को ईसीआईबी दावा चेक अदा करते हुए

RM, WR and BM, Vadodara handing over ECIB claim cheque to Union Bank of India, IFB Branch, Vadodara

मेसर्स नेक्टर लाइफ साइंसेस लि को चंडीगढ़ शाखा द्वारा दावा चेक प्रदान किया गया

Chandigarh Branch handing over claim cheque to M/s Nectar Life Sciences Ltd

चेन्नई बी बी बी शाखा द्वारा यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, आई ऍफ़ बी, चेन्नई शाखा को दावा चेक की अदायगी

Claim paid by BBB Chennai to Union Bank of India, IFB Chennai Branch

पूर्व का नि, श्री वी धर्मराजन द्वारा मेसर्स आई आर एम् ऑफ़शोर एंड मरीन इंजीनियर्स प्रा लि को दावा चेक प्रदान करते हुए.

Claim Cheque being handed over to M/s IRM OFFSHORE AND MARINE ENGINEERS PVT LTD by Ex-ED Shri V Dharmarajan

मेसर्स शिप इंजीनियरिंग राजकोट को रु 25,15,898 एवं ₹10,22,701 के पॉलिसी दावों की अदायगी

Policy Claims Cheques of ₹ 25,15,898 and ₹ 10,22,701 paid to M/s Ship Engineering, Rajkot

मेसर्स रघुवीर आयल मिल एवं मेसर्स रणछोड़ आयल मिल के लिए भारतीय स्टेट बैंक, केशोड शाखा को ईसीआईबी डबल्यु टी पी सी के अधीन दो दावों की अदायगी

Two claims under ECIB-WT PC paid to State Bank of India, Keshod Branch for the A/c M/s. Raghuvir Oil Mill and for the A/c M/s. Ranchhod Oil Mill

अनुलग्नक–3

Annexure III

R.S. PADIA & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y. 2018 - 19

To,
The Members
ECGC Limited,
10th Floor, Express Towers,
Nariman Point,
Mumbai – 400021.

1. I have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited (the "Company")** *CIN. U74999MH1957GOI010918* in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2018-19. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from Government of India.

2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

3. On the basis of my examination of the records produced and the explanations and information furnished, I certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31st March 2019

4. I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Mumbai
Date: 10.05.2019

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

R.S. PADIA & ASSOCIATES C. P. No. 7488 MUMBAI

CS Rajshree Padia
FCS: 6804. COP: 7488

Add: Office No. 17, 10th Floor, A Wing, Pinnaacle Corporate Park, G Block, BKC, Bandra (East), Mumbai-400051. Phone: 91 22 26529772, Cell: 91 9819164904 Email: rajshreecs@hotmail.com

CS

Ragini Chokshi & Co.

Company Secretaries

Tel. : 022-2283 1120
022-2283 1134

34, Kamer Building, 5th Floor, 38 Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai - 400 001.
E-mail : ragini.c@rediffmail.com / mail@csraginichokshi.com
web: csraginichokshi.com

FORM NO MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE PERIOD 01/04/2018 to 31/03/2019

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
ECGC LIMITED
EXPRESS TOWERS,
10TH FLOOR, NARIMAN POINT,
MUMBAI 400021
Maharashtra

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC LIMITED (CIN: U74999MH1957GOI010918)** (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering **1st April, 2018 to 31st March, 2019**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

RAGINI CHOKSHI & CO. Company Secretaries C.P. No. 9031 MUMBAI

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period **1st April, 2018 to 31st March, 2019** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

d. The Securities and Exchange Board of India (share based employees Benefits) Regulations 2014**(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(Not applicable to the Company during the Audit Period);**

RAGINI CHOKSHI & CO.
Company Secretaries
C.P. No. 9031
MUMBAI

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**; and

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**.

(vi) We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

1. Insurance Act 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
2. IRDA Act, 1999 and Rules made thereunder;
3. Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
4. The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013;
5. The MSMED Act, 2006.

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
b) The securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and the Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges. **(Not applicable to the Company during the Audit Period).**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except-

1) DPE Guidelines regarding Director's Training Policy.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and

RAGINI CHOKSHI & CO. Company Secretaries C.P. No. 9031 MUMBAI

clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the reporting period, following changes took place in the management:-

(i) Retirement of Mr. A. K. Misra as a Non- Executive Independent Director of the company with effect from 31st July, 2018.

(ii) Retirement of Mr. Rajeev Rishi as a Non- Executive Independent Director of the company with effect from 31st July, 2018.

(iii) Withdrawal of Nomination of Mr. Sunil Kumar as a Government Nominee Director of the Company with effect from 20th April, 2018.

(iv) Withdrawal of Nomination of Mr. Govind Mohan as a Government Nominee Director of the Company with effect from 22nd June, 2018.

(v) Withdrawal of Nomination of Mr. Sunil Barthwal as a Government Nominee Director of the Company with effect from 08th August, 2018.

(vi) Appointment of Mr. Bidyut Bihari Swain as the Government Nominee Director of the Company with effect from 20th April, 2018

(vii) Appointment of Mr. Rajaraman Kalyanaraman as the Government Nominee Director of the Company with effect from 8th August, 2018.

(viii) Appointment of Mrs. Uma Shankar as the Non-Executive Independent Director of the Company with effect from 3rd October, 2018.

For Ragini Chokshi & Co.

RAGINI CHOKSHI & CO. Company Secretaries C.P. No. 9031 MUMBAI

Makrand Patwardhan
(Partner)
C.P.NO. 9031
ACS NO. 11872

Place: Mumbai
Date: **06/05/2019**

निगमित सामाजिक दायित्व — अनुबंध IV

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY — Annexure IV

कंपनी द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

कंपनी द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ मे कंपनी के सीएसआर नीति कि संक्षिप्त रूपरेखा तथा सी.एस.आर. पॉलिसी एवं परियोजना अथवा कार्यक्रम हेतु वेब-लिंक का संदर्भ।

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डी पी ई)के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 मे अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी मे सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग ₹ 7.58 करोड़ का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा टी आई एस एस के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्र की स्थापना एम-वार्ड, वाशी नाका, माहुल गाँव मे की गई तथा देवनार में एक अध्यक्ष केंद्र की स्थापना की गई जिसका लक्ष्य वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करने के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियों भी उपलब्ध कराना है। बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए हाईस्कूल के 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के छात्रों में 140 दिव्यांग छात्रों सहित 1240 वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण को अनुमोदन प्रदान किया है।

कंपनी द्वारा विज्ञान एवं प्रौधोगिकी पार्क(एस.टी.पी.) पुणे के सहयोग से दो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के गाँव में सर्वाइकल कैंसर के शीघ्र पता लगाने हेतु डी.एन.ए. आधारित जांच सम्बधी प्रोजेक्ट तथा सोलर लाल्टेन के वितरण हेतु प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अलप्पुजा जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों को 638 सौर एल ई डी बल्ब भी वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा वर्ष 2018 में केरल मुख्यमंत्री राहत एवं आपदा कोष में 100 लाख रु का योगदान भी दिया गया। मार्च 2019 में कंपनी द्वारा महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में 32 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना एवं 3000 छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक परियोजनाओं के सहयोग के लिए के अंतर्गत रु 250 लाख की राशि प्रतिबद्धता की गई। स्वच्छ भारत अभियान के सहयोग हेतु भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोश में 18.54 लाख रु का अंशदान भी किया गया है। कंपनी द्वारा चयन की गई परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक तीसरे पक्ष, मेसर्स सोलऐस कंसल्टिंग प्रा लि के जरिए अध्ययन भी कराया गया है जिसका परिणाम संतोषजनक है।

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

Company has adopted Department of Public Enterprise (DPE) revised guidelines on CSR in 2014 and has a Board approved CSR Policy. A CSR Committee of Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹ 7.58 Crore was spent on CSR Activities of the Company during FY 2018-19.

The Company has continued to support the five Community Study Centres in Mumbai, M-Ward, Vashi Naka, Mahul Village and introduced a new Study Centre at Deonar through TISS which aims at providing curriculum based education as well as extracurricular activities for the overall development of the under privileged students. The Board has approved distribution of scholarships for FY 2018-19 to 1240 Students including 140 differently abled high school students of 8th, 9th and 10th Standards. The Company along with implementing partner Science & Technology Park, Pune successfully completed projects for DNA based diagnostics for early detection of cervical cancer in Chhattisgarh and distribution of Energy saving devices (Solar LED Lamps) to students of selected villages in Chhattisgarh. The Company also distributed 638 Solar LED Lamps to the people of Alappuzha district, affected by the flood in Kerala during the year. Further, the Company has also contributed ₹ 100 Lakhs to the Kerala Chief Minister's Distress Relief Fund in 2018. The Company in March 2019 made a commitment to contribute ₹ 250 Lakhs for the establishment of 32 smart classes and for supporting 3000 girl students to complete their secondary education in the Aspirational District of Rajgarh, Madhya Pradesh. A contribution of ₹18.54 Lakhs was also made to the Swachh Bharat Kosh in support of Swachh Bharat Abhiyan. The Company conducted an Impact Assessment study through a third party, M/s SoulAce Consulting Pvt. Ltd. on selected projects and the outcome of the study was found to be satisfactory.

सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की सीएसआर समिति में श्रीमती गीता मुरलीधर, अ.प्र.नि., ईसीजीसी, श्री बिद्युत बिहारी स्वैन, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय; श्रीमती उमा शंकर, का.नि., आर. बी.आई.; श्रीमती एलिस जी वैद्यन, अ.प्र.नि., जीआईसी; श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ़आईईओ; श्री मानेक इरुच डावर, अ.प्र.नि., स्पेन्टा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक तथा श्री एम सेंथिलनाथन, का.नि. (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी, सदस्य रूप में डीपीई के 01.04.2014 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं।

सीएसआर पॉलिसी के तहत का नि (पॉलिसी मामले) की अध्यक्षता में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक आंतरिक समिति का भी गठन किया गया है।

कंपनी की अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (करोड़ में)
2015-16	387.36
2016-17	407.49
2018-19	129.78
औसत लाभ	308.21

विहित सीएसआर व्यय

(उपरोक्त के बिन्दु संख्या 3 का 2 प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष	बजट का आवंटन(करोड़ में)
2016-17	7.90
2018-19	7.00
2018-19	7.00

वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए व्यय का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष मे कुल व्यय की जाने वाली राशि
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की गई कुल राशि = ₹ 7.00 करोड़

(ख) व्यय न की गयी राशि, यदि कोई हो;
वित्तीय वर्ष 2018-19 तक व्यय न की गयी राशि (प्रतिबद्ध राशि को छोडकर) = कुछ नहीं

सी एस आर दायित्व वक्तव्य

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डी पी ई)के सीएसआर पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियाँ स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांगो के लिए सेवाओं को मजबूत बनाने और आदिवासी समुदाय को सहायता प्रदान करने हेतु हैं। सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी सी एस आर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

गीता मुरलीधर
सी एस आर समिति के अध्यक्ष

THE COMPOSITION OF CSR COMMITTEE :

CSR Committee of Board comprises of Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC, Shri Bidyut Bihari Swain, AS, MOC &I, Smt. Uma Shankar, ED, RBI, Smt. Alice Vaidyan, CMD, GIC, Shri Ganesh Gupta, President, FIEO, Shri Maneck Eruch Davar, CMD, M/s Spenta Multimedia Pvt. Ltd., Smt. Saranala Malathi Rani, Director and Shri M Senthilnathan, ED(Policy Matters), ECGC as members for monitoring of Company's activities/ initiatives as per DPE revised guidelines effective from 01.04.2014.

As per CSR policy a Committee consisting of internal executives with ED(Policy Matters) as the Chairman is also in place.

NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS AS PER SECTION 198 OF THE COMPANY'S ACT.

Financial Year	Net Profit (₹ in Crore)
2015-16	387.36
2016-17	407.49
2017-18	129.78
Average Profit	308.21

PRESCRIBED CSR EXPENDITURE

(Two per cent of the amount as in item 3 above)

Financial Year	Allocation of Budget (₹ in Crore)
2016-17	7.90
2017-18	7.00
2018-19	7.00

DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR

(a) Total amount to be spent for FY 2018-19 = ₹ 7 Crore

(b) Amount unspent if any: Amount unspent (Excludes committed amount) up to FY 2018-19 = NIL

CSR RESPONSIBILITY STATEMENT

ECGC has adopted CSR Policy as per the Guidelines issued by Department of Public Enterprises and has a Board approved CSR Policy. The Company's CSR activities relate to health, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently abled and support to Scheduled Tribe community. The implementation and monitoring of the CSR activities is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Geetha Murlidhar
Chairman of the CSR Committee

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि एवं उसका विवरण निम्नलिखित है

(c) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANICAL YEAR IS DETAILED BELOW:

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure up to the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency*
1	वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति (2018-19) Scholarship to under privileged students(2017-18)	शिक्षा Education	एम वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र M Ward , Dist. Mumbai, Maharashtra	प्रति वर्ष ₹10000 प्रति दिव्यांग छात्र तथा ₹ 6000 प्रति छात्र Rs.10000 per differently abled student and Rs.6000 per student/p.a	81.68	245.8	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान Tata Institute of Social Sciences (TISS)
2	सामुदायिक अध्ययन केंद्र Community Study Centres	शिक्षा Education	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		72.92	242.87	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान Tata Institute of Social Sciences (TISS)
3	देवनार में नया सामुदायिक अध्ययन केंद्र New Community Centre, Deonar	शिक्षा Education	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		52.87	52.87	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान Tata Institute of Social Sciences (TISS)
4	200 आनंदालय का संचालन Running of 200 Anandalayas	शिक्षा Education	पूर्वोत्तर North East		29.15	45.17	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra
5	आदिवासी छात्रों को ऊर्जा बचत उपकरण (एल ई डी) सौर बल्ब का वितरण Distribution of Energy saving devices(LED) Solar lamps to tribal students	शिक्षा Education	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh		63.15	63.15	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, Pune(STP)
6	दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्मार्ट कक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा Smart Class & secondary education through long distance learning	शिक्षा Education	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh		100.00	100.00	जिला परिषद, राजगढ़, मप्र Zila Parishad, Rajgarh, M.P

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि **CSR project or activity identified**	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है **Sector in which the Project is covered**	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। **Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken**	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार **Amount Outlay (budget) project or programs wise**	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड **Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads**	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय **Cumulative Expenditure up to the reporting period**	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से **Amount spent : Direct or through implementing agency***
7	विद्यालय कक्षा संरचना के लिए सहयोग Support for classroom infrastructure school	शिक्षा Education	वेसंग, अरुणाचल प्रदेश Wessang, Arunachal Pradesh		6.75	6.75	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra
8	चलित पुस्तकालय एवं दृश्य श्रवण वाहन Mobile Library cum Audio Visual van	शिक्षा Education	उड़ीशा Odisha		10.56	10.56	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra
9	सामुदायिक कंप्यूटर केंद्र Community Computer Centre	शिक्षा Education	उड़ीशा Odisha		7.19	7.19	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra
10	आदिवासी छात्रों को स्कूल किट का वितरण Distribution of School kits to Tribal Students	शिक्षा Education	शाहपुर, ठाणे, जिला, महाराष्ट्र Shahpur, Thane District, Maharashtra		10.00	10.00	सुयधा SUADHA
11	कंप्यूटर एवं कक्षा फर्नीचर का वितरण Distribution of Computers and classroom furniture	शिक्षा Education	अमरावती, महाराष्ट्र Amravati, Maharashtra		8.62	8.62	द ब्लाइंड वेल्फेयर एसोसिएशन The Blind Welfare Association
			उपयोग/Subtotal		**442.89**	**792.98**	
12	सर्वाइकल कैंसर हेतु डी.एन.ए. आधारित स्क्रीनिंग उपलब्ध कराना DNA based screening for Cervical Cancer	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh		48.00	48.00	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, Pune
13	400 टी बी रोगियों को सहायता Assistance for treatment of 400 T.B Patients	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	वाराणसी, यू.पी Varanasi, U.P		10.00	20.00	संकल्प Sankalp
14	प्रोजेक्ट सेव अ चाइल्ड Project -Save a child	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	चेन्नई, तमिलनाडु Chennai, Tamil Nadu		2.02	51.00	एकम EKAM
15	शल्य चिकित्सा कैम्प Surgery Camps	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	आसाम Assam		12.91	22.50	विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra Vivekananda Kendra

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि **CSR project or activity identified**	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है **Sector in which the Project is covered**	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। **Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken**	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार **Amount Outlay (budget) project or programs wise**	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड **Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads**	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय **Cumulative Expenditure up to the reporting period**	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से **Amount spent : Direct or through implementing agency***
16	छः सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों का वितरण Distribution of medical Equipment to six Government Hospitals	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	चेन्नई, तमिलनाडु Chennai, Tamil Nadu		6.19	108.22	एकम EKAM
17	चार स्वास्थ्य सेवा कौशल लैब की स्थापना Creation of four healthcare skill labs	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	चेन्नई, तमिलनाडु Chennai, Tamil Nadu		2.57	15.91	एकम EKAM
18	वाटर व्हील का वितरण Distribution of water wheel	स्वास्थ्य सेवा Healthcare	सिलवासा, दादर एवं नागर हवेली Silvassa, Dadra & Nagar Haveli		10.00	10.00	हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया Habitat for Humanity India
			उपयोग/Subtotal		**91.69**	**275.63**	
19	कौशल विकास प्रोजेक्ट Skill Development Projects	कौशल विकास Skill Development	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		31.94	42.60	सोसाइटी फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट Society forHuman Environmental Development
20	वेलफ़ेयर सेवाओं सशस्त्र सेना निधि में योगदान Contribution to Armed forces Corpus for welfare services	कौशल विकास Skill Development	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh		5.00	5.00	उ प्र सैनिक पुनर्वास निधि U.P Sainik Punar-vas Nidhi
21	हॉस्पिटलिटी उद्योग में बहरे और गूंगे युवाओं का प्रशिक्षण Training of deaf & dumb youth in Hospitality Industry	कौशल विकास Skill Development	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		11.00	11.00	डेव्लपमेंट एडुकेशन ऑफ डिसएँडवांटेज इन सोसाइटी (डी ई ई डी एस) Development Education Empowerment of Disadvantage in Society(DEEDS)

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure up to the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency*
22	किसानों का कौशल विकास Skill Development of farmers	कौशल विकास Skill Development	फतेहपुर उत्तर प्रदेश Fatehpur, Uttar Pradesh		16.62	16.62	बायोवेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रिकल्चर टेक्नॉलजी Bioved Research Institute of Agriculture & Technology
23	कौशल विकास में अद्यतन Up gradation of skill development	कौशल विकास Skill development	बाड़मेर राजस्थान Barmer, Rajasthan		14.17	14.17	कंसर्न इंडिया फ़ाउंडेशन Concern India Foundation
			उपयोग/Subtotal		**78.73**	**89.39**	
24	स्वच्छ भारत कोश Swacch Bharat Kosh	स्वच्छता Sanitation	नई दिल्ली New Delhi		18.54	18.54	सीधे Direct
25	स्वच्छता व्यय Swachhta Expenses	स्वच्छता Sanitation	अखिल भारत PAN India		3.61	3.61	सीधे Direct
			उपयोग/Subtotal		**22.15**	**22.15**	
26	केरल मुख्यमंत्री बाढ़ राहत निधि Kerala Chief Minister Flood Relief Fund	केरल बाढ़ राहत Kerala Flood Relief	केरल Kerala		100.00	100.00	सीधे Direct
27	केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए कंबलों का वितरण Contribution of Blankets to people affected by Kerala Flood	केरल बाढ़ राहत Kerala Flood Relief	केरल Kerala		1.79	1.78	सीधे Direct
28	संगीत समारोह के लिए योगदान Contribution to Music Festival	भारतीय संगीत को प्रोत्साहन एवं संरक्षण Promotion and preserva-tion of Indian music	खड़गपुर उत्तर प्रदेश Kharagpur, Uttar Pradesh		1.00	1.00	स्पाइक मैके SPIC MACAY
29	श्री समर्थवयम मंदिर (विश्व मलखंब फेडरेशन), मुंबई Shree Samartha Vyam Mandir (Vishwa Mallakhamb Federation), Mumbai	ग्रामीण खेलों को बढ़ावा Promotion of Rural sport	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		10.00	10.00	मलखंब फेडरेशन Mallakhamb Federation

क्र. सं. Sr. No	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमे परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure up to the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency*
30	मानव निर्मित वन का विकास Development of manmade forest	पर्यावरण स्थिरता Environment Sustainability	मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra		4.00	4.00	हरियाली Hariyali
31	सौलएस कंसल्टिंग प्रा लि Soul Ace Consulting P Ltd	प्रभाव समीक्षा अध्ययन Impact Assessment Study	कोलकाता पश्चिम बंगाल Kolkata, West Bengal		5.31	5.31	
			उपयोग/Subtotal		**122.10**	**122.10**	
			कुल / TOTAL		**757.63**	**1302.24**	

गीता मुरलीधर
Geetha Muralidhar

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष सी एस आर तथा एस डी समिति
Chief Executive Officer & Chairman CSR&SD Committee

ईसीजीसी द्वारा जिला अधीक्षक राजगढ़ को महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए सी एस आर गतिविधियों के अधीन शिक्षा परियोजना के समर्थन के रूप में ₹ 2.5 करोड़ की प्रतिबद्धता एवं अंशदान पत्र प्रदान किया गया

ECGC provided commitment and contribution letter to District Collector, Rajgarh as support of ₹ 2.5 Cr towards education projects under CSR for Aspirational district in Rajgarh, Madhya Pradesh

नागपूर शाखा द्वारा आयोजित सी आर एस गतिविधियाँ
CSR Activities organized by Nagpur Branch

नागपूर शाखा द्वारा छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – महाराष्ट्र सीमा में आयोजित गैर पॉलिसीधारकों की बैठक

Nagpur Branch organized Non-PH meet at Chindwara, MP-Maharashtra border

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

अनुबंध V

Annexure V

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वर्ष 2018 में वैश्विक आर्थिक विकास पर आर्थिक और व्यापार नीति की चिंताओं का असर पड़ा है। पिछले छह महीनों में पंजीकृत 3.6% की मजबूत वृद्धि के बाद, 2018 की दूसरी छमाही में 2017 की विकास दर 3.2% तक गिर गई। यह मुख्य रूप से व्यापार और विनिर्माण गतिविधियों को आसान बनाने, वैश्विक वित्तीय बाजारों को मजबूत करने, कच्चे तेल के बाजार में उतार–चढ़ाव और बढ़ते व्यापार तनाव एवं टैरिफ युद्धों के बीच व्यापार विश्वास में कमी करने के कारण था।

वर्ष 2017 में जो व्यापक विकास रहा वो 2018 में नहीं हुआ। विशेष रूप से, इटली और मैक्सिको में बढ़ती संप्रभुता, ब्रिटेन में नो–डील ब्रेक्सिट, अर्जेंटीना और तुर्की में वित्तीय असंतुलन, चीनी अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन, जर्मनी में ईंधन उत्सर्जन मानक विलंब और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों नवीकृत जैसे देश और क्षेत्र–विशिष्ट कारक विकास की गति में बाधक बने रहे।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ए ई) ने 2017 में विकास दर में 2.4% से लेकर 2018 में 2.2% तक की गिरावट दर्ज की, हालाँकि, अपवादस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, इस अवधि के दौरान एक प्रो–चक्रीय राजकोषीय विकास के साथ 2.2% से 2.9% तक वृद्धि दर्ज की गई। यूरो क्षेत्र 2018 में 1.8% तक की कमी आई, जिसका मुख्य कारण यूरोपीय निर्यात के लिए कम वैश्विक मांग, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति रही।

वर्ष 2018 में बढ़ती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) में भी कमी दर्ज की गई, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% की गिरावट के साथ 2018 में 4.5% की दर से वृद्धि हुई। मौद्रिक कसावट और व्यापार अनिश्चितताओं के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में निवेश, विनिर्माण व व्यापार में कम वृद्धि हुई। ईएमडीई के लिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रोत्साहन के उपायों का विपरीत और अपने स्वयं के देशों के उच्च ऋण स्तरों के कारण राजकोषीय नीति के सीमित अवसरों ने विकास दर को धीमा कर दिया।

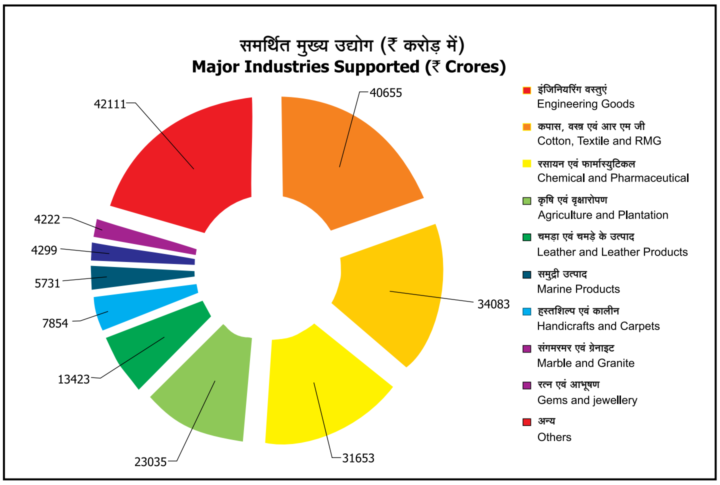

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The persistent economic and trade policy concerns have had a bearing on global economic growth in 2018. The synchronized growth of 2017 decelerated to 3.2% in the second-half of 2018, after a strong growth of 3.6% registered in the previous six months. This was mainly due to softening trade and manufacturing activities, tightening global financial markets, volatility in crude oil market and ebbing business confidence amidst rising trade tensions and tariff wars.

The broad-based growth that characterized 2017 was missing in 2018. Notably, there were country- and sector-specific factors dragging down the momentum; the increased sovereign spreads in Italy and Mexico, the no-deal Brexit in the UK, financial imbalances in Argentina and Turkey, rebalancing of the Chinese economy, fuel emission standard delays in Germany and renewed US sanctions on Iran. The Advanced Economies (AEs) registered a fall in growth rate from 2.4% in 2017 to 2.2% in 2018, however, with USA being an exception, registering an increase in its growth from 2.2% to 2.9% during the period on the back of a pro-cyclical fiscal stimulus. The Euro area slowed down to 1.8% in 2018, largely due to moderating global demand for European exports, increasing energy prices and headline inflation.

The loss in momentum was also felt in the Emerging and Developing Economies (EMDEs) which grew at a rate of 4.5% in 2018, a decline of 0.3% over the previous year. Monetary tightening and trade uncertainties have led to lower investments, manufacturing and trade growth in these economies. For the EMDEs, reversal of stimulus measures in advanced economies and limited space to manoeuvre fiscal policy owing to high debt levels of their own countries added to the woes of slowing growth rates.

संक्षेप में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं और वर्ष 2017 में वैश्विक विकास के पुनर्विकास में उल्लेखनीय योगदान वाले ई एम डी ई ने कमजोर प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018 का वैश्विक विस्तार कमजोर हो गया।

ए ई और ई एम डी ई का विश्व व्यापार (क्रमशः 36% और 35%) में बड़ा हिस्सा होने के परिणामस्वरूप, विश्व व्यापार में वृद्धि, मूल्य में, वर्ष 2017 की 4.7% की प्रभावशाली वृद्धि के बाद वर्ष 2018 में लगभग 3% रही। कुल वस्तु निर्यात और आयात क्रमशः 19.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 19.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। विकसित और विकासशील दोनों देशों में कमजोर आयात मांग, क्रमशः 2.5% और 4.1% के कारण वस्तु व्यापार की वृद्धि में मंदी को प्रभावित किया। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से बढ़ती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण, 5% की सबसे तेज आयात वृद्धि हुई, इसके बाद अफ्रीका, मध्य पूर्व और सीआईएस 2.7% पर रहे। माल-संबंधी सेवाओं ने 10.6% वृद्धि के साथ सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि वाणिज्यिक सेवाएं 7.1% की दर से बढ़ीं।

परिदृश्य

वर्ष 2019 में चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण के जारी रहने का अनुमान है। अमेरिका में मौद्रिक नीति को हटाने को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक समायोजन के साथ देश-विशिष्ट मूल सिद्धांतों के चलते व्यापार विवाद और मुद्राओं में तनाव व्यापार संभावनाओं और निवेश के लिए एक रक्षा के रूप में काम करना जारी रखेगा जिसके कारण उत्पादकता में कमाई और विकास धीमा हो सकता है।

ई एम डी ई में 4.4% की मामूली गिरावट की तुलना में विकिसित अर्थव्यवस्था में 1.8% की गिरावट के साथ 3.5% की गिरावट के साथ वैश्विक विकास का अनुमान है। ई एम डी ई का प्रदर्शन काफी हद तक चीन और भारत पर निर्भर करेगा, जिनके क्रमशः 6.3% और 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2019 में भारत का विकास लगभग 7.3% होने की उम्मीद है, जो कि बेहतर निवेश और खपत के साथ बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और विस्तारवादी पर निर्भर है।

डब्ल्यू टी ओ के अनुसार निर्यात आदेश, अंतरराष्ट्रीय हवाई माल, ऑटोमोबाइल उत्पादन और बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कृषि कच्चे माल के लिए सूचकांक वित्तीय संकट के बाद पिछले गिरावट को पार कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत व्यापार विस्तार द्वारा व्यापार की मात्रा 2.6% बढ़ने की आशा है।

विकास को प्रोत्साहन मुख्य रूप से व्यापार असहमति और नीतिगत अनिश्चितताओं को दूर करने पर टिका है। राजकोषीय और मौद्रिक संतुलन को मजबूत करना और ऋण बोझ को कम करना मुद्रा और

In short, the advanced economies and the EMDEs that notably contributed to the revival of global growth in 2017 performed feebly resulting in weakened global expansion of 2018.

The AEs and the EMDEs have a larger share in world trade (36% and 35% respectively) and consequently the world trade growth, in value terms, was just around 3% in 2018 after an impressive increase of 4.7% in 2017. The total merchandise exports and imports were reported at USD 19.47 trillion and USD 19.87 trillion respectively. Weaker import demand in both developed and developing countries, 2.5% and 4.1% respectively, affected the merchandise trade volume growth. North America, mainly because of the buoyant US economy, had the fastest import growth of 5%, followed by Africa, Middle East and the CIS at 2.7%. Goods-related services registered the strongest expansion with a 10.6% increase while the commercial services grew at a rate of 7.1%.

OUTLOOK

The challenging external environment is expected to continue in 2019. Country-specific fundamentals coupled with monetary adjustments in view of the removal of monetary policy accommodation in the US, trade disputes and strain on currencies will continue to act as a deterrent to business sentiments and investments leading to slower productivity and growth.

The global growth is expected to decline to 3.5% with 1.8% decline in the advanced economies as against a marginal decline to 4.4% in the EMDEs. The EMDEs' performance will largely rely on China and India which are expected to grow at rates of 6.3% and 7.3% respectively. Growth in India is expected to be around 7.3% in 2019 largely on the support of fiscal stimulus and expansionary monetary policy along with improved investments and consumption.

According to the WTO the indices for export orders, international air freight, automobile production and sales, electronic components and agricultural raw materials are surpassing the previous lows since the financial crisis. As a result, the volume of trade is expected to grow at 2.6% largely driven by strong trade expansion in the developing economies.

The stimulus to growth largely hinges on removing trade disagreements and policy uncertainties. Strengthening

परिसंपत्ति मूल्य समायोजन को बनाए रखने की कुंजी साबित होगी।

भारत के निर्यात

वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान भारत के निर्यातों (वस्तु एवं सेवा दोनों) का मूल्य 495.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 31,96,700.32 करोड़) की तुलना में वर्ष प्रति वर्ष पर डॉलर मूल्य में 7.97% की तथा रूपया मूल्य में 17.12% की अनुकूल वृद्धि दर्ज करते हुए 302.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 37,43,866.40 करोड़)* रहा।

वित्त वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए भारत के वस्तु निर्यात का मूल्य 331.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹14 23,14,429.08 करोड़) है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 303.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 5.19,56,514.53 करोड़) था। डॉलर के संदर्भ में 9.06% और रुपये के संदर्भ में 18.29% की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान भारत के आयात पिछले वित्त वर्ष में 581.94 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹ 37,51,185.24 करोड़) की तुलना में अनुकूल वृद्धि दर्ज करते हुए 631.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹44,13,979.68 करोड़) तथा डॉलर मूल्य में यह वृद्धि 8.48% व रुपए मूल्य में यह 17.66% रही।

तथापि वित्तीय वर्ष 2018–19 में सेवा व्यापार * (निर्यात–आयात) शेष 80.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5,63,345.44 करोड़) परिलक्षित हुआ, जबकि वस्तु व्यापार में 507.44 बिलियन (48 35,48,020 करोड़) के आयात वृद्धि के साथ 176.42 बिलियन (12,33,528.64 करोड़) का घाटा प्रतिबिंबित हुआ।

* सेवाओं के निर्यात के लिए मार्च 2019 के अनंतिम आंकड़े सहित।

कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

दिनांक 31 मार्च 2018 को ईसीजीसी के फोल्ड में 8398 बड़े निर्यातकों की तुलना में 31 मार्च 2019 तक ई सी जी सी के फोल्ड में 8449 निर्यातक रहे जो कि 51 निर्यातकों की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान पिछले वित्त वर्ष 201718 के दौरान जारी 13060 की तुलना में 13487 अल्पावधि (आ व) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां जारी तथा नवीकृत की गयीं।

दिनांक 31 मार्च 2019 को दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹41398.70 की कुल अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 11946 पॉलिसियों की तुलना में ₹ 44,077.51 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ कुल 12325 पॉलिसियां प्रभावी रहीं, जो कि प्रभावी पॉलिसियों में 3.17% की वृद्धि तथा प्रभावी अधिकतम

of the fiscal and monetary balance and lowering the debt burdens will be the key to keeping at bay the sharp currency and asset price adjustment.

INDIA'S EXPORTS

The value of India's overall exports (Merchandise and Services combined) for the period 2018-19 are estimated at US $ 535.45 billion* (₹ 37,43,866.40 Cr) as against US $ 495.92 billion (₹ 31,96,700.32 Cr) over the same period last year, registering a positive growth of 7.97% in dollar terms and 17.12% in rupee terms.

The value of India's Merchandise exports for the period 2018-19 is estimated at US $ 331.02 billion (₹ 23,14,429.08 Cr) as against US $ 303.53 billion (₹19,56,514.53 Cr) over the same period last year, registering a positive growth of 9.06% in dollar terms and 18.29% in rupee terms.

During 2018-19, India's overall estimated imports (Merchandise and Services combined) were valued at US $ 631.29 billion (₹ 44,13,979.68 Cr) registering a positive growth of 8.48% in dollar terms and 17.66% in rupee terms over the level of imports valued at US $581.94 billion (₹ 37,51,185.24 Cr) over the same period last year.

While the services trade* (exports-imports) balance reflected surplus of US $80.57 billion (₹ 5,63,345.44 Cr) in financial year 2018-19 the merchandise trade reflected a deficit of US $ 176.42 billion (₹ 12,33,528.64 Cr) with imports growing to US $ 507.44 billion (₹ 35,48,020 Cr).

*Including March 2019 provisional figures for exports of services.

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters in ECGC's fold was 8449 as on 31st March, 2019 as against 8398 as on 31st March, 2018, registering an increase of 51 in number. During the FY 2018-19, the total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed were 13487 as against 13060 issued during previous FY 2017-18. The number of ST Policies in force as on 31st March, 2019 was 12325 with a total Maximum Liability (ML) of ₹ 44,077.51 Crore as against 11946 policies in force with a total ML of ₹ 41398.70 Crore as on 31st March, 2018, showing an increase of 3.17% in number

देयता में 6.47% की वृद्धि को दर्शाता है. वर्ष के दौरान कुल 5386 पॉलिसियां जारी की गयीं जिसमें 1428 सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियां हैं।

31 मार्च 2018 को कंपनी के पॉलिसी उत्पादधारक माइक्रो लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) क्षेत्र से सम्बंधित 95.32% महत्वपूर्ण निर्यातकों की तुलना में 31 मार्च 2019 को 95.37% माइक्रो लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) निर्यातक रहे. (एम एस एम ई वे निर्यातक हैं जिन पर 20 करोड़ रु तक अथवा उससे कम की अधिकतम देयता के साथ पॉलिसी रक्षा जारी की जाती है)।

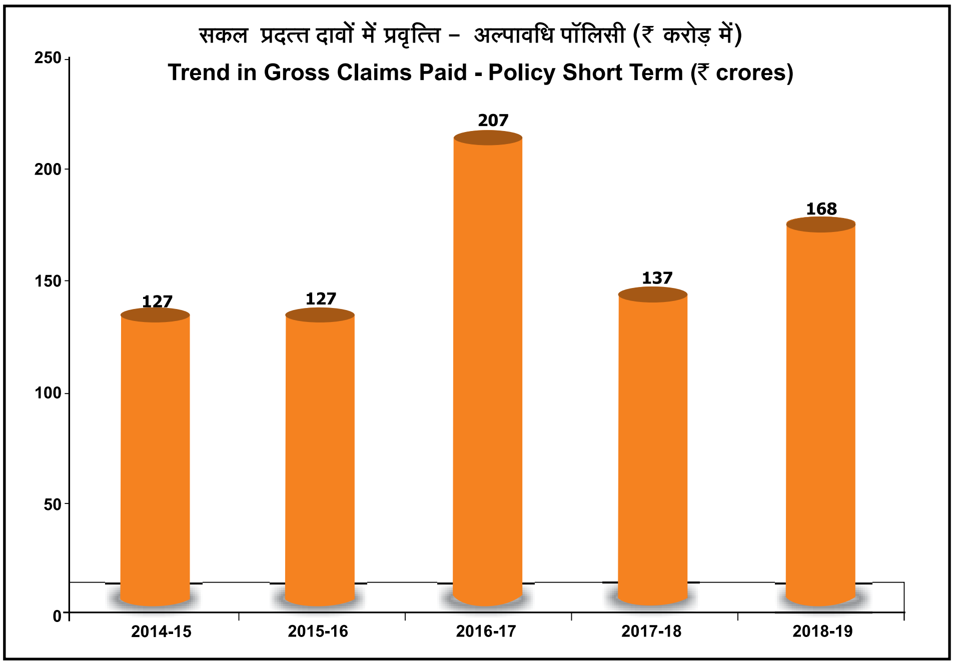

घोषणा आधारित पॉलिसियां जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस सी आर), निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी ई टी पी), सेवा पॉलिसी, लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसी, परेषण पॉलिसियों आदि का हिस्सा वित्त वर्ष 2018-19 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभावी पॉलिसियों में 56.73% पर सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2018-19 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम आधारित पॉलिसियां जैसे एम् बी ई पी, एस बी ई पी, एम् आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि का हिस्सा 43.27% रहा।

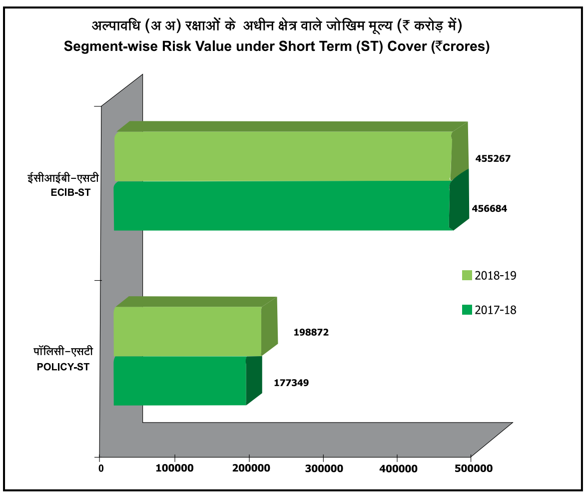

दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्रभावी जोखिम आधारित पॉलिसियों की संख्या यथा बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी (एम् बी ई पी), एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी (एस बी ई पी), एम् आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि दिनांक 31 मार्च , 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 4914 की तुलना में 5333 रहीं, जो कि 419 पॉलिसियों की वृद्धि को दर्शाता है।

of policies in force and a growth of 6.47% in total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was 5386 out of which 1428 were WT policies.

The percentage of distinct exporters belonging to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector, holding the Company's policy products to total no. of distinct exporter clients was 95.37% as on 31st March, 2019 as against 95.32% as on 31st March 2018 (MSME are those exporters with policy covers with ML less than or equal to ₹ 20 Crore).

Declaration based policies viz. the Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policy, the Export Turnover Policy (ETP), Services Policy, Small Exporters Policy (SEP), Buyer wise policy, Consignment Policies etc. continued to maintain the larger share at 56.73% of the policies in force as at the end of FY 2018-19. Exposure based policies like MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. had a share of 43.27% of the policies in force as at the end of FY 2018-19. The total number of exposure based shipment policies in force as on 31st March, 2019 viz. the Multi Buyer Exposure Policy (MBEP), the Single Buyer Exposure Policy (SBEP), MITES, SITES etc. was 5333 as against 4914 as on 31st March, 2018, registering an increase of 419 in number.

Total business covered under the ST Policies during the FY 2018-19 was ₹ 198817 Crore, as against ₹ 177349

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधिक कुल संरक्षित कारोबार 12.10% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष 177349.00 करोड़ रु की तुलना में ₹198817 करोड़ रु रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रीमियम आय 12.05% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष के दौरान 367.95 करोड़ रु की तुलना में 412.26 करोड़ रु रही।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अप्लावधि पॉलिसियों के अधीन कुल ₹136.70 करोड़ रु के 482 दावों की तुलना में कुल 168.13 करोड़ रु के 541 दावों की अदायगी की गयी।

पिछले वर्ष 18.55 करोड़ रु की वसूली की तुलना में 15.74% की वृद्धि दर्ज करते हुए 21.47 करोड़ रु की वसूली की गयी।

ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे आधार पॉलिसी माना जाता है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹ 4520 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 184 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में 7310.17 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 290 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की गईं। 31 मार्च 2019 तक, पिछले वर्ष के ₹ 3435.00 करोड़ रु अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 118 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹ 4643.61 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 148 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹ 68.72 करोड़ की तुलना में 93.39 करोड़ रही। अप्रैल से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के 18.61 करोड़ रु की तुलना में कुल ₹ 21.69 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 4.35% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹ 806.83 करोड़ (₹ 843.55 करोड़) की कुल प्रीमियम आय रही। यह वित्त

Crore during the previous year, thereby registering a growth of 12.10%. The premium income under ST Policies was ₹ 412.26 Crore as against ₹ 367.95 Crore in the previous FY, registering a growth of 12.05%. Total number of claims paid under ST Policies during FY 2018-19 was 541 amounting to ₹ 168.13 Crore as against 482 claims amounting to ₹ 136.70 Crore during the previous FY 2017-18.

Recovery under ST Policy was ₹ 21.47 Crore as against ₹ 18.55 Crore during the previous year, showing a positive growth of 15.74%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) had introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having predominant features of one product which is considered to be the base policy.

During the FY 2018-19, 290 customized policies were issued/renewed with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹ 7310.17 Cr as against 184 customized policies issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹ 4520 Crore during the previous year. As on March 31, 2019, 148 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹ 4643.61 Crore as against 118 CSC policies in force with ML/ALL of ₹ 3435 Crore as on March 31, 2018. Annual premium income under CSC policies was ₹ 93.39 Crore as against ₹ 68.72 Crore during the previous year. During the period April to March 2019, claims paid under customized policies witnessed an increase with the total claims paid being ₹ 21.69 Crore as against ₹ 18.61 Crore during the previous year.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned under ST ECIB for the FY 2018-19 was ₹ 806.83 Crore (previous year ₹ 843.55 Crore), registering a decline of 4.35% over the previous year. ECIB premium accounted for 64.67% of the aggregate premium for the FY 2018-19, from all sectors. While the number of claims paid declined marginally to 184 in FY 2018-19 from 194 in the previous FY, the value of claims

वर्ष 2018-19 के दौरान सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 64.67% है । वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों को अदा किये गए दावों की संख्या में आंशिक गिरावट के साथ वह 184 हो गए परन्तु वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दावों के मूल्य में पिछले वर्ष ₹ 1131.47 करोड़ रु की तुलना में घटकर ₹ 813.39 करोड़ रु हो गए। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान वसूलियां पिछले वर्ष के ₹ 166.39 करोड़ रु की तुलना में घटकर ₹ 129.36 करोड़ रु हो गयीं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गयी औसत अवधि पिछले वर्ष के 60.16 दिनों की तुलना में घटकर 60.10 दिन हुई। जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, औसतन ₹ 1,13,816.79 करोड़ (₹ 1,19,366.71 करोड़ रु) रहा। ईसीआईबी के अधीन संरक्षित एम एस एम ई निर्यातों का हिस्सा (₹ 50 करोड़ रु से कम अथवा बराबर तक मंजूर ऋण सीमा वाले निर्यातक खाते) 89% रहा.

यह अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹ 4,56,684 करोड़ रु की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 4,31,988 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गयी। यह अनुमान आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किये गए। ये अनुमान भा रि बैं तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसारम जोखिम मूल्य की गणना के लिए चार के घटक को कम्पनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण से गुणित कर की गयी है।

संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को तीन वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को छह वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

प्रदत्त सकल दावें में प्रवृत्ति- बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा अल्पावधि - (₹ करोड़ में)
Trend in Gross Claims Paid - Export Credit Insurance for Banks Short Term (₹ crores)

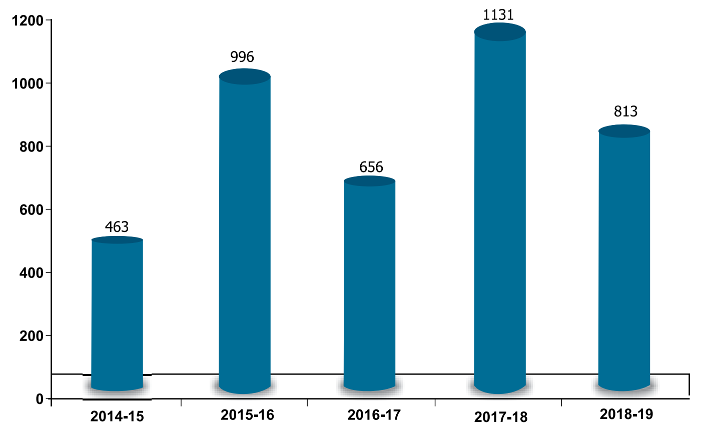

paid during FY 2018-19 also decreased significantly to ₹ 813.39 Crore as against ₹ 1131.47 Crore in the previous year. Similarly the recovery made in the current year was lower at ₹ 129.36 Crore as against ₹ 166.39 Crore during last year. Average number of days taken for claim payment improved to 60.10 days in FY 2018-19 from 60.16 days in the previous FY. The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products (ADP) for the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹ 1,13,816.79 Crore (₹ 1,19,366.71 Crore). The number of accounts covered under the schemes during the year as of 31st March, 2019 is 19,181 compared to 22,602 as of March, 2018. A total of 11,925 distinct exporters of which more than 89% are MSMEs (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹ 50 Crore) have been supported through the covers.

It is estimated that export credit advances worth ₹ 4,31,988 Crore has been supported during this year compared to ₹ 4,56,684 Crore in the previous year. The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover were determined on the six year claim premium ratio. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of Gems, Jewellery and Diamond sector in view of high claim premium ratio with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹ 29.25 करोड़ की तुलना में ₹ 29.25 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पॉलिसी के अधीन ₹ 31.79 करोड़ रु के एक दावे की अदायगी की गयी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा बीमांकित पांच मुख्य देशों में कोट द आईवोईर थाईलैंड, भूटान, मोज़ाम्बिक और अफगानिस्तान शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान संरक्षित जोखिम मूल्य

Value of Risk Covered during 2018-19

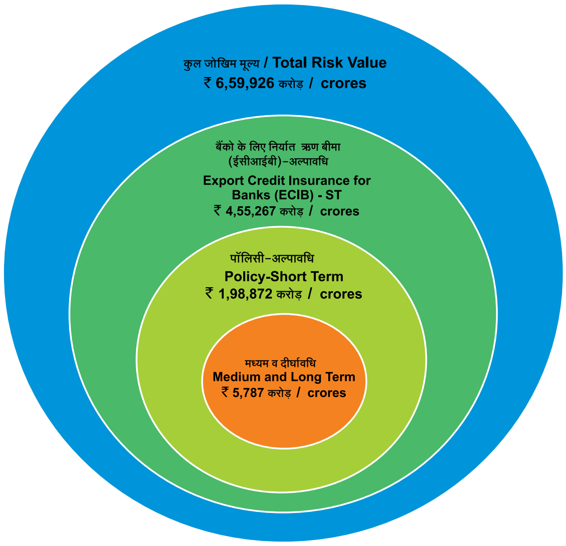

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एम एल टी परियोजनाओं के निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गयी विभिन्न परियोजनाओं पर राजनितिक/ व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए, पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 18 ऋण बीमा रक्षा पॉलिसियों की तुलना में 30 पॉलिसियां जारी की गयीं। संरक्षित प्रमुख क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन एवं वितरण, जल विद्युत् आपूर्ति, इंजीनियरिंग उपकरण आदि शामिल है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों (ई सी आई बी) को निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के दौरान जारी 67 की तुलना में 110 रही। कोई विदेश निवेश बीमा रक्षा जारी नहीं की गयी.

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है।

31 मार्च 2019 तक, ट्रस्ट के पास कुल ₹ 2744.37 करोड़ रु की बीमांकन राशि उपलब्ध थी। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹ 54,887.40 करोड़ है जिसमें से ₹ 13,721.85 करोड़ की 25% राशि को कम्पनी द्वारा जारी एम एल टी रक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है।

24 देशों में 123 परियोजनाओं के सहयोग में जारी 208 रक्षाओं के संबंध में जोखिम के साथ 8180 करोड़ रु तक की सीमा को एन ई आई ए साझा किया गया है।

एन ई आई ए ट्रस्ट (बी सी-एन ई आई ए) के खरीदार क्रेडिट योजना के लिए 54,87.40 करोड़ का 75% शेष राशि 41,165.55 करोड़ निर्धारित किया गया है। मार्च 31,2019 तक, ट्रस्ट द्वारा

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for FY 2018-19 stood at ₹ 28.45 Crore as against ₹ 29.25 Crore in the previous year. One claim of ₹ 31.79 Crore was paid under policy during FY 2018-19. The top five countries in which the Company has underwritten major business during FY 2018-19 are Cote D' Ivoire, Thailand, Bhutan, Mozambique and Afghanistan.

During the FY 2018-19, 30 Credit Insurance Policies were issued to MLT projects exporters against 18 in FY 2017-18, covering political, comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered are- Power Transmission and Distribution, Hydro Power supply Engineering Equipment etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2018-19 was 110 as against 67 in the previous year. There was no Overseas Investment Insurance (OII) cover issued.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term duration (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹ 2744.37 Crore as of March 31, 2019. The underwriting capacity of the Trust is ₹ 54,887.40 Crore of which 25% amounting to ₹ 13,721.85 Crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk in respect of 208 covers issued supporting 123 projects in 24 countries has been shared with NEIA to the extent of ₹ 8180 Crore. Balance 75% of ₹ 54,887.40 Crore amounting to ₹ 41,165.55 Crore is earmarked for Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31,2019, the Trust has issued 21 Buyer's Credit covers with Maximum Liability of ₹ 20,833.14 Crore for 21 projects in Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D' Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania.

श्रीलंका, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोट द आइबोईर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया में 21 परियोजनाओं के लिए 21,833.14 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 21 क्रेता क्रेडिट कवर जारी किए गए हैं। ।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है. ट्रस्ट के प्रीमियम आय के 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में कम्पनी को प्राप्त होता है. वर्ष के दौरान कम्पनी को शुल्क के रूप में ₹ 3.95 करोड़ आय हुई।

फैक्टरिंग

पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (ऍफ़ ऍफ़ ऍफ़ एस)

दिनांक 13 मई 2014 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (ऍफ़ ऍफ़ ऍफ़ एस) को अनुमोदित किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान कम्पनी ने प्रति निर्यातक एवं प्रति खरीदार– जोखिम सीमाओं के निर्धारण हेतु निर्यातक स्तर सीमाएं (ई एल एल) आरंभ की। कंपनी द्वारा 6 निर्यातकों के छह प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

फैक्टर्स पर रक्षा

भारत में फैक्टरिंग कम्पनियों ने उनके द्वारा संचालित निर्यात प्राप्तियों के सम्बन्ध में निर्यात ऋण बीमा रक्षा जारी करने के लिए कम्पनी से संपर्क किया है क्यों कि कई बार किसी कारण स्वरुप आयात फैक्टर उपलब्ध नहीं होता है अथवा बहुत अधिक महंगा होता है।.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of premium income earned by the Trust as management fee and during the year ₹ 3.95 Crore has been earned as fee.

FACTORING

Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors at its meeting held on 13th May 2014 had approved Full Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the current year, the Company has introduced Exporter Level Limits (ELL) to fix exposure ceilings - per buyer and per exporter. The Company has approved six proposals as at March 31, 2019 to six exporters.

Cover to Factors

Factoring Companies in India have approached ECGC Limited for issue of Credit Insurance Cover in respect of export receivables handled by them due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and IRDAI, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter clients.

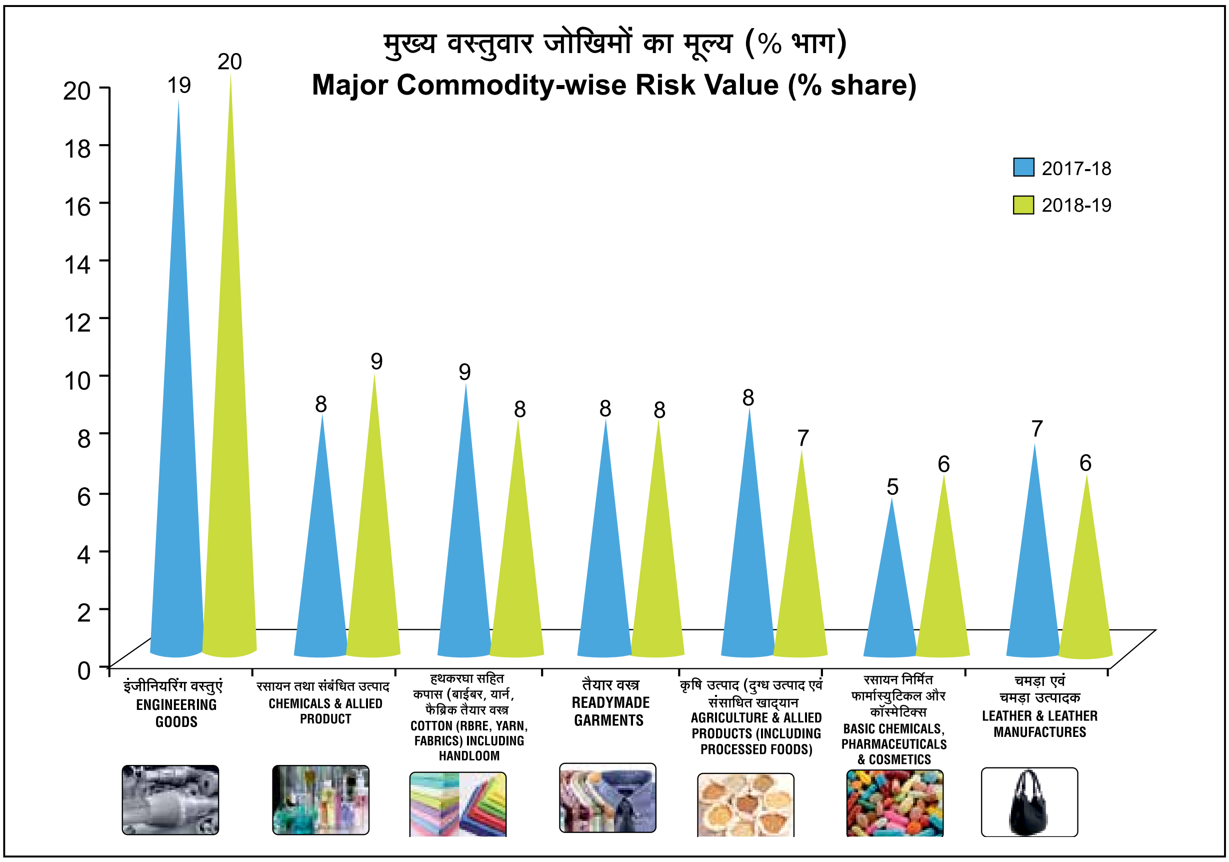

तदनुसार निदेशक मंडल तथा आई आर डी ए आई के अनुमोदनों के साथ कम्पनी ने फैक्टरों/वित्तीय संस्थानों/बैंकों के लिए उनके द्वारा उनके एमएसएमई ग्राहकों के लिए फैक्टर किये गए निर्यात बिलों के लिए जारी की जाने वाले निर्यात प्राप्ति (फैक्टर जोखिमों) बीमा समझौता रक्षा आरम्भ किया है।

निर्यात प्राप्य (फैक्टर जोखिम) उत्पाद बीमा करार फैक्टर्स/वित्तीय संस्थानों/बैंकों की सुरक्षा के लिए होता है, जिसमें विस्तारित फैक्टरिंग बिल के माध्यम से निर्यातकों को उनके द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है, जिनका भुगतान खरीदार के जोखिम और राजनीतिक जोखिमों के कारण नहीं किया होता है।

निवेश

31 मार्च 2019 तक सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी

The product Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks.

INVESTMENTS

As at March 31, 2019, the Investment Portfolio comprising investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹ 10,344.99 Crore as against ₹ 8486.32 Crore as at March 31, 2018, reflecting addition of ₹ 1,858.67 Crore, i.e. increase of 21.90%. The growth in Investment

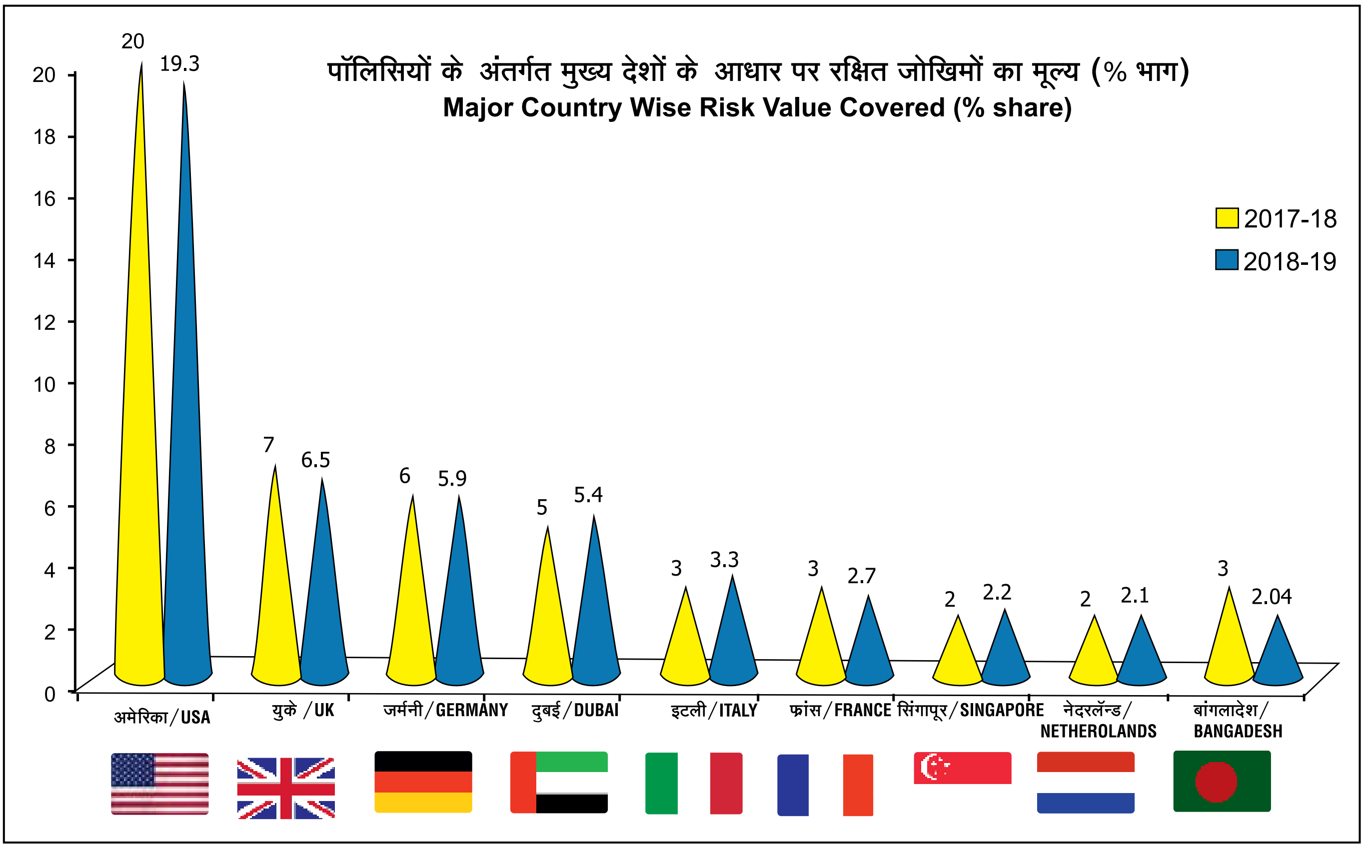

शेयरों, मियादी जमा आदि निवेशों के साथ निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च 2018 को ₹ 8486.32 करोड़ रु की तुलना में, ₹ 10,344.99 करोड़ रु रहा जो कि ₹ 1,858.67 यथा 21.90% की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के निवेश, आयकर विभाग से प्राप्त रिफंड और निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई।

कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा आई आर डी ए आई द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 76.40% का निवेश किया।

Portfolio was on account of infusion of additional capital, refund received from Income Tax Department and surplus generated from investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 76.40% as against 45% prescribed by IRDAI.

Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹ 782.67 Crore in FY 2018-19 from ₹ 689.23 Crore in FY 2017-

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, निवेश परिचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 689.23 करोड़ रु की तुलना में ₹ 782.67 करोड़ के साथ ₹ 93.44 करोड़ रु यथा13.56% की वृद्धि दर्ज की गई। निवेश आय में वृद्धि,जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्यत: निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि के कारण हुई ।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, निवेश परिचालनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के लिए 9.08% की तुलना में 8.76% रही. कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए.

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) भूमिका विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर खरीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण करते हुए ख़रीदारों पर उपयुक्त बीमा निर्णय लेना है। यह विभिन्न कारोबार सूचना एजेंसियों से अद्यतित कारोबार सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण करता है, विदेशी ख़रीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित ख़रीदारों के लेनदेन व्यवहारों की समीक्षा करता है.

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाईज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान स्कोर कार्ड आधारित सीमा के निर्धारण के लिए एच यू सी के अनुमोदन से स्कोर कार्ड में संशोधन किये गए हैं। ये संशोधन खरीदार पर अधिक क्रेडिट सीमा प्रदान करने के उद्देश्य से किए हैं जिससे ग्राहक संतुष्टिकरण में और वृद्धि हो सके।

पिछले वित्तीय वर्ष में, सॉफ्टवेर में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिससे ठोस एवं समय पर निर्णय लेने हेतु स्कोर कार्ड तैयार करने में और तेजी आए।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 32,841 की तुलना में 36,259 रही जो पिछले वर्ष की तुलना में 3418 (10.40%) की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी ख़रीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष ₹ 39,824 करोड़ रु की तुलना में ₹ 43,829 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए ख़रीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 17,038 की तुलना में 17699 रही।

18, recording an increase of ₹ 93.44 Crore i.e. increase of 13.56%. Increase in the investment income during the year is mainly due to increase in the Investment portfolio as mentioned above. The yield on investment for the year FY 2018-19 was 8.76% as against 9.08% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make robust underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters. It obtains and analyses latest business information reports from various Business Information Agencies, reviews the transactional behaviour of buyers on the basis of system generated data, based on which overall credit limits are fixed on overseas buyers.

Reports received on buyers from different Business Information Agencies, as mentioned above, are digitalized to make it accessible in system, to all related officials at any point of time.

During the financial year 2018-19, some changes were made in Score card, with the approval of Head Office Underwriting Committee, for determination of Score based Limit. These changes led to higher credit limit on the buyers, leading to improved customer satisfaction.

In the last financial year, few changes were made in software, which enabled speedier score card preparation resulting in sound and timely decision making.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2018-19 was 36,259 as against 32,841 in the previous year, an increase of 3418 (10.40%) over previous year. During the FY 2018-19, the aggregate exposure underwritten by the Company i.e. through Overall Limits on foreign buyers was ₹ 43,829 Crore as against ₹ 39,824 Crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2018-19 was 17699 as against 17,038 in the previous year.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting involves identification, evaluation, measurement and monitoring of exposure levels to export

देश बीमा

देश बीमा में गंतव्य देशों को निर्यात करने हेतु जोखिम स्तर की पहचान, मूल्यांकन, मापन और निगरानी शामिल है। किसी भी निर्यात ऋण बीमा कम्पनी के लिए देश बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम मूल्यांकन तंत्र होता है। देश बीमा विभाग द्वारा देश जोखिमों के मूल्यांकन क्रियाकलाप किये जाते हैं.

कम्पनी ने उद्देश्यपरक स्कोरिंग प्रणाली स्थापित की है जो कि जोखिम के स्वरुप के आधार पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा कर 'ए1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए2' (निम्न जोखिम), 'बी1' (सीमित निम्न जोखिम), 'बी2' (सीमित जोखिम), 'सी1 (सीमित उच्च जोखिम), तथा 'डी' (अति उच्च जोखिम) के सात स्तरीय वर्गीकरण में वर्गीकृत करता है। स्कोरिंग प्रणाली से कई मानदंडों के आधार पर राजनितिक, आर्थिक तथा व्यापर जोखिमों में शामिल घटकों के मूल्यांकन का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रीमियम की गणना, रक्षा के प्रकार व शर्तों का निर्धारण तथा कई निर्यात गंतव्यों के लिए संव्यवहारों के बीमांकन की क्षमता के निर्धारण में सहायता मिलती है। अल्पावधि (अ व) तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन देशों की रेटिंग के लिए विशेष कारक तथा उनके संबंधित सन्दर्भों के लिए अलग अलग स्कोरिंग मॉडल निर्धारित हैं। इन मॉड्यूलों की आवधिक समीक्षा की जाती है, फरवरी 2018 में नवीनतम समीक्षा की गई है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सभी 239 देशों की समीक्षा की गयी। दिनांक 01 अप्रैल 2018 से एस टी तथा एम एल टी के अधीन वर्गीकरण की संशोधित सूचियों को कार्यान्वित किया गया है। आगे, नवीनतम आर्थिक एवं राजनितिक विकासों के आधार पर देशों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। तदनुसार तुर्की के देश जोखिम को दिनांक 01.11.2018 से तथा पाकिस्तान पर जोखिम दिनांक 01.03.2019 से संशोधित किए गए हैं।

दिनांक 31.03.2019 तक देश जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा निम्नानुसार है:

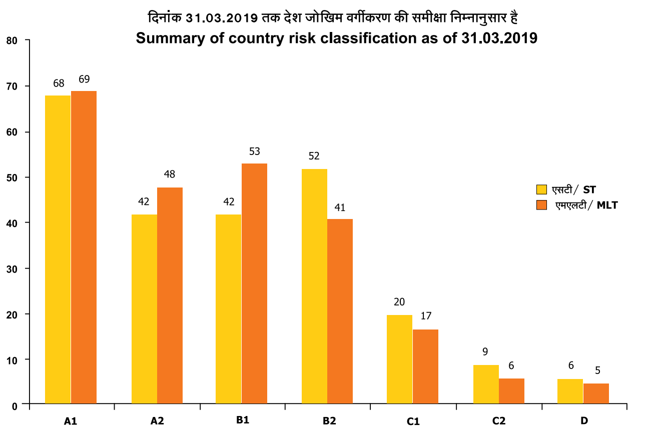

	ए1	ए2	बी 1	बी 2	सी 1	सी 2	डी
एस टी	68	42	42	52	20	9	6
एम एल टी	69	48	53	41	17	6	5

destination countries. It is an important risk management tool for an export credit insurance company. The activity of assessment and evaluation of country risks is carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has in place an objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries into a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk),'A2' (Low Risk), 'B1' (Moderately Low Risk),'B2'(Moderate Risk), 'C1'(Moderately High Risk),'C2'(High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on a host of parameters, including political, economic and trade risks, the country rating so arrived at impacts calculation of premium, determination of type and terms of cover, and measurement of the capacity to underwrite transactions to several export destinations. Separate scoring models, with distinct factors and their relative relevance, are in place for rating of countries under short-term (ST) and medium-and-long term (MLT). These models are reviewed on a periodic basis, the latest such review was carried out in February 2018.

During the FY 2018-19, a review of all 239 countries was carried out. The revised country classification under ST and MLT was implemented w.e.f 1st April 2018. Further, periodic review of countries was carried out on a quarterly basis based on the latest economic and political developments. Accordingly, the country risk classification of Turkey was revised with effect from 01.11.2018 and Pakistan was revised with effect from 01.03.2019.

The summary of country risk classification as of 31.03.2019 was as follows:

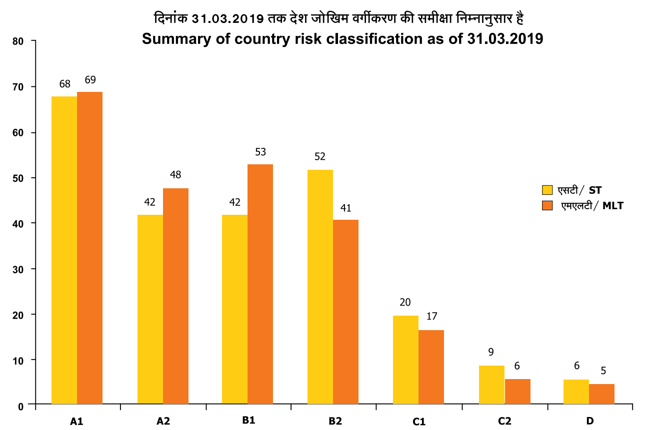

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D
ST	68	42	42	52	20	9	6
MLT	69	48	53	41	17	6	5

देश रक्षा

आगे, प्रभावी जोखिम मॉनिटर करने के लिए वर्गीकरण सूची में से 239 देशों को खुली रक्षा की श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी ख (जहां रिवोल्विंग सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य होती हैं) तथा प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी–II (जहां मामले के आधार पर विशिष्ट स्वीकृति दी जाती है) में रखा गया है। दिनांक 31.03.2019 तक वर्गीकरण सूची में से 216 देशों को खुली रक्षा की श्रेणी जबकि 16 देशों को "प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी तथा 7 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी–II में रखा गया है। कारोबार मात्रा, अनुभव तथा अनुमानित कारोबार के आधार पर सभी 239 देशों में से खुली रक्षा श्रेणी बाले देशों की जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई.।

पुनर्बीमा

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए, कंपनी ने एम एल टी रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई से 5% की अनिवार्य पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित भारतीय एवं विदेशी पुनार्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के लिए 26% की (स्विस आर ई 8%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 9.00%,, पार्टनर री 2%, हैनोवर आर ई 3%) समानुपाती (कोटा शेयर–क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की।

इसके अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन बड़े जोखिमों के लिए इन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ हानि की अधिकता रक्षा भी ली गई हैं।

Country Cover

Further the 239 countries are placed under Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approvals are given on a case-to-case basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As of 31.03.2019, 216 Countries are placed in Open cover, 16 countries in Restricted Cover Category-I and 7 countries in Restricted Cover Category-II.

The Country Exposure Limits (CEL) of all 239 countries under Open Cover Category have been fixed based on the business volume, experience and anticipated business.

REINSURANCE

For the FY 2018-19 the Company had a proportional (quota share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 26% for Short Term Policy (Swiss Re 8%, SCOR 4%, GIC Re 9%, Partner Re 2%, and Hannover Re 3%) and 21.50% for Short Term ECIB (Swiss Re 4%, SCOR 4%, GIC Re 9.50%, Partner Re 1%, and Hannover Re 3%) from Indian and Cross Border Reinsurers along with Obligatory 5% reinsurance (QS) cover form GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सकल प्रदत्त दावों का मूल्य मुख्य देशवार (% भाग)

Major Country-wise Gross Claim Paid for FY 2018-19 (% Share)

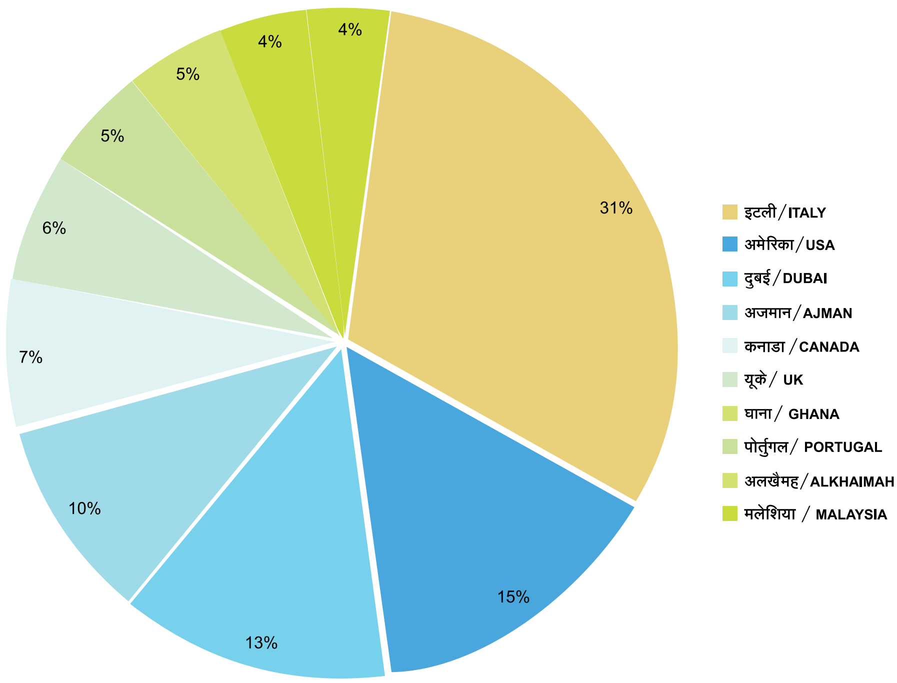

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के सीमाक्षेत्र में इसके द्वारा धारित जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा अंतरण आदि शामिल है ताकि यह जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अपने बीमांकन नीति, इसकी रक्षाओं की शर्तों, विनियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता तथा दीर्घावधिक स्थिरता का निर्धारण किया जा सके. छह दशकों से अधिक की अवधि के दौरान विकसित वर्त्तमान संरचनात्मक विन्यास तथा प्रथाओं को मूलभूत संरचनाओं में शामिल कर उन्हें जोखिम कार्य के रूप में विकसित किया जा सकता हैं. कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कीं हैं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15, के दौरान, सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण तथा हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के निर्यातों के संबंध में नए जोखिमों को अस्थायी तौर पर स्थगित किए गए एवं देश जोखिम सीमाओं निश्चित करने के मानदंड अपनाने जैसे संशोधन किए गए है। इन मानदंडों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार/सा.प. खोलने वाली बैंक पर, अल्पावधि ईसीआईबी योजना के अंतर्गत एकल निर्यातक/समूह निर्यातक पर, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहारों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की ताकि संगठन व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित की जा सके तथा इसके आतंरिक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के ज़रिये कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को नियमित किया जा सके। आतंरिक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। परिचालन तथा वित्तीय जोखिमों के आलावा कम्पनी अब सूचना व् साइबर सुरक्षा जोखिमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी द्वारा अब सूचना व् साइबर सुरक्षा जोखिम ऑडिट किया गया है। कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन क्रिया कलापों में और अधिक गतिशील बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। वर्तमान में, कंपनी एक और

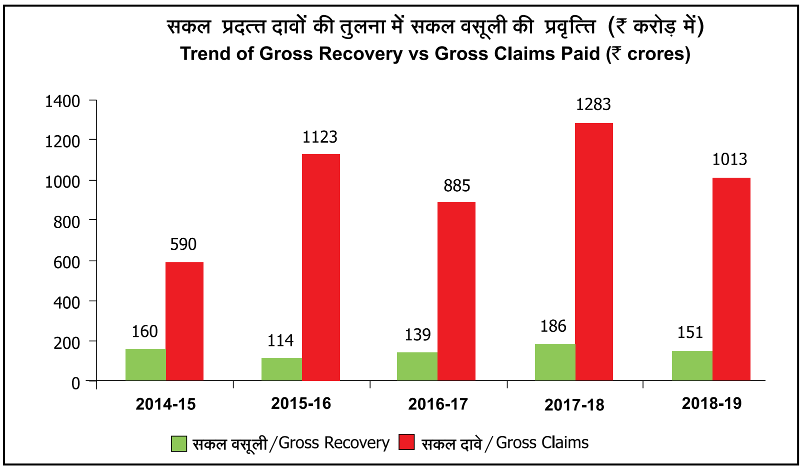

RISK MANAGEMENT

The scope of Risk management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by it so as to decide its underwriting policy and the terms of its cover, based on risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than five decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh Export credit limits to Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers issued to banks and introduced criteria for fixing Country Exposure limits. In addition to these norms, during FY 2015-16, Company has further modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer/LC opening banks under short term policies, individual exporter/group exporter under short term ECIB Schemes, exposure norms for industry sector and Medium and Long Term export transactions.

During FY 2018-19, Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate risk profile through its internal risk management framework.

Besides operational and financial risks, the company is also dedicated to focus on Information & Cyber Security risks. The company has conducted Information & Cyber Security Risk audit. Steps have been initiated to achieve higher maturity level in terms of risk management framework.

Currently, Company is under process of setting up a

अधिक मजबूत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करने और एक जोखिम जागरूक संस्कृति को विकसित करने के लिए एक पूर्ण उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया में है।

वसूलियां

एस.टी. ई.सी.आई.बी.: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए ₹166.39 करोड़ की तुलना में ₹129.36 करोड़ की वसूली की गई.

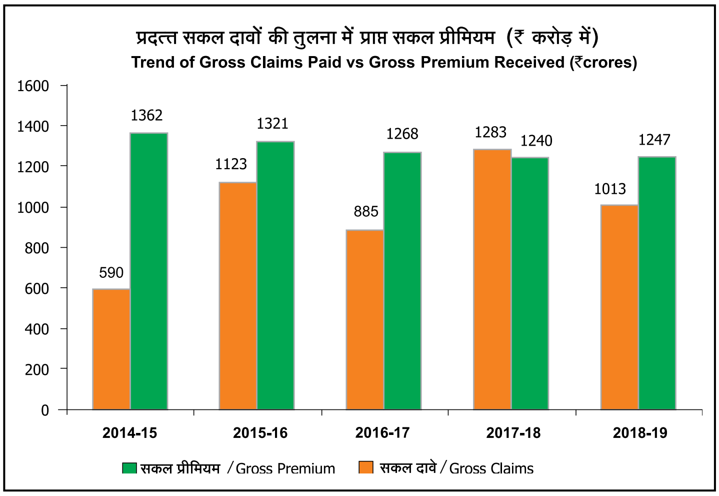

एस.टी. पॉलिसी: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹18.56 करोड़ की तुलना में ₹21.47 करोड़ की वसूली की गई.

एमएलटी ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि की तुलना में "कुछ नहीं "की वसूली की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ)

कंपनी अपने नेटवर्क संरचना को बदलने की प्रक्रिया में है एवं इस प्रक्रिया के वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में पूर्ण होने की आशा है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के साथ ही कंपनी के ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी, कंपनी के सभी स्थानों पर फ़ाल्ट- टोलरेंट, स्केलबल एवं सुरक्षित नेटवर्क उपलब्ध होगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अत्याधुनिक पी सी और बाह्य उपकरणों के साथ उपयोग किए जा रहे प्रयोग किए जा रहे हार्डवेयर को बदल दिया है, ताकि उपयोग और रखरखाव में आसानी हो, साथ ही साथ एंडपॉइंट सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कंपनी ने साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क कार्यान्वयन भी पूरा कर लिया है और इस संबंध में नियामक, आई आर डी ए आई को आवश्यक अनुपालन की सूचना दे दी है। ईसीजीसी ईआरपी परियोजना को सी-डैक द्वारा तैयार किया जा रहा है जो डिजाइन और विकास के चरण में है और ये 2020 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

विपणन एवं जनसंपर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

full-fledged Enterprise wide Risk Management (ERM) framework in order to create a more robust Risk Management framework and cultivate a risk aware culture.

RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2018-19, a sum of ₹129.36 Crore was recovered against claims paid & pending for recovery as compared to ₹166.39 Crore, for the same period, in the previous FY.

ST Policy: A sum of ₹21.47 Crore has been recovered from claims paid & pending for recovery under Short Term Policies during the FY 2018-19 compared to ₹ 18.56 Crore for the same period in the previous FY.

MLT ECIB: During the FY 2018-19, there was NIL recovery against claims paid & pending for recovery in continuation of the same trend, in the previous FY.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company is in the process of replacing its Network Infrastructure and it expects the exercise to be completed by the second quarter of 2019 – 2020, which will result in a fault-tolerant, scalable, secure network for all its locations and better connectivity for its employees as well as clients. The Company has replaced legacy hardware being used by its employees with state-of-the-art PCs and peripherals, to provide ease of use and maintenance, as well as to ensure endpoint security. The Company has also completed a Cyber Security Framework implementation exercise and has reported necessary compliance to the regulator, IRDAI, in this regard. The ECGC ERP revamp project being undertaken by C-DAC is progressing to Design and Development stage, and is likely to be completed by mid – 2020.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the Marketing, advertising and Publicity activities of the Company and related activities.

विभाग की ज़िम्मेदारी में शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण शामिल है. यह विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करता है. प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/विभागों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अप्रनि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए ,कई निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा है ।

विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कॉर्पोरेट ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की जाती है।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों- वित्तीय, जनशक्ति और प्रबंधकीय को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है । राष्ट्रीय विपणन प्रभाग द्वारा 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कोर्पोरेट योजना की समीक्षा तथा अद्यतन किया गया।

कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है. इसमें योजना में कम्पनी का स्वाट विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल हैं। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान और कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली और तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल हैं। कंपनी ने योजना अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

क्रेडिट बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को मजबूत करने और भारत में क्रेडिट बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2019 तक 138 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है।इस चैनल को मजबूत करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एन एम डी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों

The division bears the responsibility of fixing business targets for branches and regions and monitoring the performance vis-à-vis the target fixed under various parameters. The division holds review of the business performance of the Company with the Regional/ Branches/Department heads which is presided over by the CMD.

The Company besides focussing on its core business of export credit risk insurance works in close co-ordination with export promotion bodies like EPCs, Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) etc.

As part of marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, personal visits to corporate clients are undertaken.

CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources- financial, manpower and managerial in a planned and systematic manner. National Marketing Division reviewed and updated the Corporate Plan for the five year period 2018-19 to 2022-23.

The Corporate Plan is a road map of the goal of the Company in the next five years and strategies to achieve the goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organisation, comparison with the overseas counterpart, business trends, global and national environment and projections for next five year period. The projections broadly encompass the Company's growth in premium income, Risk Value coverage, claims pay out and Recoveries anticipated under its different business segments and the resultant projection of financial results. The Company has drawn up its strategies to achieve the plan projections.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase the penetration of credit insurance in India, National Marketing Division (NMD) has empanelled 138 brokers as on March 31, 2019. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. NMD, Regional/ Branch offices conduct workshops for brokers which

के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ये कार्यशालाएं हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिये कुल ₹ 94.53 करोड़ रु का प्रीमियम अर्जन किया गया जो कि ₹ 412 करोड़ रु के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 22.94% है.

कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सी एस आर) पहल तथा धारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की मजबूती तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग ₹ 7.57 करोड़ रु व्यय किये गए. पहले ही आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए ₹ 5.7 करोड़ रु का आबंटन किया गया है। सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस); साइंस एंड टेक्नॉलोजी पार्क (एस टी पी) पुणे; विवेकानंद केंद्र , मुंबई; एकं फ़ौंडेशन, चेन्नई; सोसायटी फॉर ह्युमन एंड एनवायर्नमेंटल डेवलपमेंट (एस एच ई डी); शामिल हैं. शिक्षा , स्वास्थ्य, कौशल विकास, दिव्यांगो को सहायता, केरल में बाढ़ पीड़ितों को सहायता आदि क्षेत्रों में कई सी एस आर पहल की गई। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिये छात्रवृत्ति प्रदान की है जिसके कारण एम वार्ड, वाशी नाका, मुंबई में 1240 छात्र लाभान्वित हुए। आनंदालय को चलाने के लिए आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र, जो कि चाय बागान कर्मियों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, को भी अपना समर्थन प्रदान कर रही है। मार्च 2019 में कंपनी द्वारा महत्वाकांक्षी जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में 32 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना एवं 3000 छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक परियोजनाओं के सहयोग के लिए के अंतर्गत रु 250 लाख की राशि प्रतिबद्धता

help in educating the brokers on the features of various policies, to enable them to effectively market ECGC covers, thereby helping in promoting India's exports on credit terms.

During FY2018-19, the premium earned under the business placed by the brokers was ₹ 94.53 Crore which constitutes 22.94% of the short term policy premium income of ₹ 412 Crore.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

Company has adopted CSR Policy as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it requires to spend at least 2% of its last 3 years average net profit every year for various activities under CSR as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment and strengthening services for the differently abled and support to Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹ 7.57 Crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2018-19. Further, allocation of ₹ 5.17 Crore has been made for projects already initiated.

The implementation partners for CSR activities are TATA Institute of Social Sciences (TISS); Science & Technology Park (STP), Pune; Vivekananda Kendra, Mumbai; Ekam Foundation, Chennai; Society for Human and Environment Development (SHED). A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, skill development, support to differently abled, and support to citizen affected by flood in Kerala etc. The Company continued to support TISS for distribution of scholarships to 1240 students and running of Community Study Centres in M-Ward area of Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to Vivekananda Kendra in Assam and Arunachal Pradesh in running of Anandalayas to provide informal education to school going children of tea garden workers. The Company during March 2019 made a commitment to contribute ₹ 250 Lakhs for the establishment of 32 smart classes and supporting 3000 girl students to complete their secondary education in the Aspirational District of Rajgarh, Madhya Pradesh.

की गई। कंपनी द्वारा चयन की गई परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक तीसरे पक्ष मे सोलऐस कंसल्टिंग प्रा लि के जरिए अध्ययन भी कराया गया है, जिसका परिणाम संतोषजनक रहा।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की है। कंपनी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ख क्षेत्र के लिए राजभाषा कीर्ति तृतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भी वित्त वर्ष 2016-17 में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें कंपनी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई न रा का स द्वारा कम्पनी के प्रधान कार्यालय को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

वर्ष के दौरान माननीय राजभाषा संसदीय समिति द्वारा कंपनी की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। माननीय राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 30.10.2018 को कंपनी की राजकोट शाखा का निरीक्षण किया गया। माननीय आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा दिनांक 08.12.2018 को फ़रीदाबाद, दिनांक 16.02.2019 को ठाणे शाखा एवं प्रधान कार्यालय तथा दिनांक 18.02.2019 को फ़रीदाबाद शाखा का निरीक्षण किया गया। कंपनी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य की माननीय समिति द्वारा सराहना की गई।

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में निरंतर प्रगति कर रही है। कंपनी की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितंबर माह के दौरान दिनांक 3 सितंबर 2018 से 17 सितंबर 2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 26 सितम्बर 2018 को सम्पन्न हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह मनाया गया। इस समारोह में समारोह में श्री मुकेश गौतम सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक एवं हास्य कवि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

दिनांक 10-11 जनवरी 2019 को जयपुर में अखिल भारत राजभाषा अधिकारीयों के सम्मलेन का आयोजन किया गया जिसमें ईसीजीसी के प्रधान कार्यालय के विभागों, शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नामित हिंदी अधिकारीयों ने भाग लिया, इसका उद्देश्य उपलब्धियों एवं हिन्दी अधिकारियों को आने वाली समस्या पर चर्चा

The Company conducted an Impact Assessment study through a third party, M/s SoulAce Consulting Pvt Ltd on selected completed and on-going projects and the outcome of the study was found to be satisfactory.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is very active in the implementation of Official Language Policy of Government of India. The Company has achieved the targets laid down in the annual Rajbhasha program for the FY 2018-19 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Company's Head Office was conferred Rajbhasha Kirti Puraskar Third prize under category of PSU in B region by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During the FY Ministry of Commerce and Industry has announced Rajbhasha Shield for excellent implementation of Official language Policy for FY 2016-17 and the Company has been awarded the First Prize. Company has also been awarded First Prize for effective implementation of Official Language Policy by the Mumbai (PSU) TOLIC.

During the year Honourable Committee of Parliament on Official Language has inspected various branches of our Company. Third Sub-Committee of Committee of Parliament on Official Language had inspected Rajkot branch of Company on 30-10-2018. The Drafting and Evidence Sub-Committee had also visited Faridabad branch on 8-12-2018, Head office and Thane branch on 16-02-2019 and Gurugram Branch on 18-02-2019. The Honourable Committee had appreciated the work being done by the Company.

The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The branch and regional offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from 03-09-2018 to 17-09-2018 during the month of September 2018. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and officers at every level participated enthusiastically. The winners were awarded cash prizes. Hindi Pakhwada Samapan Samaroh was organized on 26-09-2018 and Mr. Mukesh Gautam, a renowned Hindi author and Hasya Kavi was invited as a Chief Guest.

An All India Hindi Officers Conference was organized in Jaipur to discuss the achievements and problems faced

करना था। श्री नगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन आई सी विंग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं राजभाषा में तकनीकी का उपयोग विषय पर सत्र लिया गया।

दिनांक 08.02.2019 को नराकास (उपक्रम), मुंबई के तत्वावधान में ''विपणन में राजभाषा की भूमिका'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मुंबई स्थित तीनों कार्यालयों यथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, हिन्दी शिक्षण संस्थान एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रभारी अधिकारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारीयों व कंपनी के प्रका के विभागों के राजभाषा अधिकारीयों ने भाग लिया. संगोष्ठी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में श्री भास्कर झा, मुख्य प्रबन्धक, लोणी टर्मिनल, एच पी सी एल को आमंत्रित किया गया. इस कार्यक्रम में मुंबई (उपक्रम) नराकास के सदस्य कार्यालयों से कुल 73 प्रतिभागी उपस्थित थे।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारीयों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें लागू की गयी हैं. इसके अतिरिक्त अंतर्विभाग, अंतर्शाखाओं तथा अंतरक्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है. जिसका नाम है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को हिंदी में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है. सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं. कंपनी का वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2018-19, के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीयों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जो कि सभी द्विभाषी हैं. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति पर दो घंटे की एक कार्यशाला आयोजित की गयी ।

कंपनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है तथा उसमें विस्तृत रूप से सम्बंधित शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है, तथा जहाँ भी कमियां पायी गयी हों उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है।

by Hindi Officers at Regional/ Branch/HO(Dept) level on 11-12 January 2019 in which Hindi Officers of various regional and branch offices and Departments of Head Offices of ECGC Ltd. have participated. Shri. Nagendra Singh, Senior Technical Director, NIC Wing, Rajbhasha Dept, MoHA had taken a session on Online Quarterly Reporting and use of technology in Rajbhasha.

We conducted a workshop on “Role of Official Language in Marketing” in association with TOLIC (PSU) Mumbai on 08-02-2019. Shri Bhaskar Jha, Chief Manager, Loni Terminal, HPCL was invited as guest faculty. DGM(Policy Planning) ECGC had taken an introductory session on ECGC. Head of Regional Implementation Office, MoHA, GoI, Head of Hindi Teaching Scheme, MoHA, GoI, and Head of Central Translation Bureau, MoHA, GoI, were also present. Total 73 representative from member offices of Mumbai(PSU) TOLIC were present in the workshop.

Various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company, to encourage and motivate the employees for furtherance of the use of Hindi, in their regular office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the “Chairman and Managing Director’s Official Language Award” for the excellent implementation of the Official Language in their respective offices.

The Company’s correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending Hindi emails to Exporters and Bankers. The Website of the Company is available in bilingual form.

During the FY 2018-19, various training programs, including a training program for the sub-staff were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. A two hour workshop related to the Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Company.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and Head Office of the Company wherein detailed discussions with regard to implementation of Official Language during this quarter are held.

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से, ईसीजीसी बर्न यूनियन (ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर राष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतर राष्ट्रीय संध, का एक सक्रिय सदस्य रहा है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने और उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2018 के दौरान, विश्व व्यापार में बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा 13% को भुगतान जोखिम से सुरक्षा प्रदान की गई। ईसीजीसी द्वारा बी यू की अल्पावधि समिति की प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व किया गया।

ईसीजीसी द्वारा बर्न यूनियन की पेरिस, फ्रांस में अक्टूबर 2018 में आयोजित वार्षिक साधारण बैठक तथा जुलाई 2018, अक्टूबर 2018 एवं जनवरी 2019 में आयोजित एम सी बैठकों में प्रतिभागिता की गई।

बीयू 2019 में अपना 85 वां स्थापना वर्ष मना रहा है। ईसीजीसी को 20-24 अक्टूबर, 2019 के दौरान हैदराबाद, तेलंगाना में बीयू वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी), जिसका 1986 में गठन किया गया, एशिया-पैसिफिक क्षेत्र से बीयू सदस्यों का एक मंच है और बीयू द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल निर्यात ऋण और बीमा व्यवसाय का एक तिहाई से अधिक का योगदान देता है। क्षेत्रीय हितों पर चर्चा करने और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए आरसीजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रतिवर्ष मिलते हैं। ईसीजीसी, इस क्षेत्र की सबसे पुरानी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है, द्वारा दिनांक 3-4 दिसंबर, 2018 को मुंबई में 10 वीं आरसीजी सीईओ की बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता की गई। आठ अलग-अलग एशियाई देशों/क्षेत्रों के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। सदस्यों ने अपने निर्यात उन्मुख छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए शुरू की गई नई पहलों पर अपने विचारों और अनुभव को साझा किया, हामीदारी नीति और जोखिम पर प्रतिबंधों का प्रभाव, और विलंबित निर्यात भुगतानों के प्रति सदस्यों के दृष्टिकोण को साझा किया गया। ।

ईसीजीसी वैश्विक स्तर पर ईसीए के साथ निकटता से काम करता है। दिनांक 16-17 अप्रैल 2018 के दौरान रोम, इटली में आयोजित जी -12 बैठक और दिनांक 25 से 27 जुलाई, 2018 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स बैठक

INTERNATIONAL RELATIONS

Since 1957, ECGC has been an active member of the Berne Union (BU) (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading international association for the export credit and investment insurers, and has been closely associated with its activities. ECGC was the first Asian member to join the BU. The interaction among the members has been instrumental in enhancing common understanding, developing sound principles in export credit insurance and promoting best practices in technical areas including product knowledge, underwriting among others. In 2018, the Berne Union members have collectively provided payment risk protection to approximately 13% of world trade. ECGC is presently represented in the Short-Term Committee of the Management Committee (MC) of the BU.

ECGC actively participated in the Berne Union Annual General Meeting held at Paris, France in October, 2018 and the MC meetings in July 2018, October 2018 and January 2019.

The BU is celebrating its 85th foundation year in 2019. ECGC will have the privilege to host the BU Annual General Meeting in Hyderabad, Telangana during 20-24 October, 2019.

The Regional Cooperation Group (RCG) formed in 1986, is a forum of the BU members from the Asia-Pacific region and contributes to over one-third of the total export credit and insurance business reported by the BU. The Chief Executive Officers (CEOs) of RCG meet annually to discuss matters of regional interest and strengthen mutual understanding. ECGC, the oldest Export Credit Agency (ECA) in the region, hosted and chaired the 10th RCG CEOs' meeting in Mumbai on December 3-4, 2018. Members from eight different Asian countries / region participated in this meeting. Members shared their views and experience on new initiatives introduced for informing and educating its export oriented Small and Medium Enterprises (SMEs), impact of sanctions on underwriting policy and exposure, and members' approach towards delayed export realizations.

ECGC works in close association with ECAs globally. The G-12 meeting held in Rome, Italy during 16-17 April 2018 and BRICS meeting held in Johannesburg, South Africa during 25 – 27 July, 2018 provided opportunities to the Heads of the ECAs to collaborate on trade related projects and have in-depth discussions on issues of common awareness.

में ईसीए के प्रमुखों को व्यापार से संबंधित परियोजनाओं पर सहयोग करने, आम जागरूकता के मुद्दों पर गहन चर्चा के अवसर प्रदान किए। ईसीजीसी के अधिकारियों द्वारा निर्यात क्रेडिट पर इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप (आई डब्ल्यू जी) की 16 वीं, 17 वीं और 18 वीं बैठकों में भाग लिया गया। ईसीजीसी आईडब्ल्यूजी के तहत सात कार्य समूहों का सदस्य है और अंतर-वर्गीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2018 तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान, ईसीजीसी ने 29 अक्टूबर 2018 को निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इंवेस्टमेंट इंश्योरेंस (नेकसी) जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन (सज्ञा) पर हस्ताक्षर किए। इस सज्ञा का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करके व्यापार के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। यह साझेदारी दोनों देशों से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को, विशेष रूप से एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के संदर्भ में, भी बढ़ावा देगी। 29 अक्टूबर 2018 को निक्केई इंक और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाईजेशन द्वारा आयोजित व्यापार संगोष्ठी में मजापान-भारत भागीदारी के माध्यम से अफ्रीकी व्यापार विकास सत्र में वक्ता के रूप में अप्रनि ईसीजीसी को आमंत्रित किया गया ।

भारत सरकार (भारत सरकार) की ओर से, ईसीजीसी द्वारा अफ्रीकी व्यापार निवेश एजेंसी (ए टी आई) में लगभग 12 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगी, जो एक अखिल अफ्रीकी और बहुपक्षीय निवेश और संयुक्त राष्ट्र के साथ पंजीकृत ऋण बीमाकर्ता है, यह निवेश 100 क्लास बी शेयर सदस्यता के जरिए किया जाएगा। भारत सरकार के प्रस्तावित निवेश की घोषणा दिनांक 28 जून, 2018 को अबिडजेन, कोट डी आइवर में आयोजित एटीआई की 18 वीं वार्षिक आम बैठक में की गई थी, जिसमें अप्रनि, ईसीजीसी द्वारा भाग लिया गया। किसी परियोजना में निवेश करने के निर्णय में जोखिम का क्या प्रभाव पड़ता है? अफ्रीका में भरोसेमंद प्रोजेक्ट्स बनाने में बीमा की भूमिका विषय पर ए टी आई द्वारा दिनांक 27 जून 2018 को आयोजित सत्र पर बोलते हुए अप्रनि, ईसीजीसी ने भारत सरकार के फोकस अफ्रीकाफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की दृष्टि में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। अप्रनि, ईसीजीसी को कॉमनवेल्थ बिजनेस फोरम द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2018 को मएसएमई ट्रेड फोरमम पर एक सत्र के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। सत्र के दौरान, अप्रनि, ईसीजीसी द्वारा एस एम ई के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और निर्यात ऋण जोखिम की कमी में ऋण जोखिम सुरक्षा भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया गया। अप्रनि, ईसीजीसी एशिया लीडर्स

The officials of ECGC attended the 16th, 17th and 18th meetings of the International Working Group (IWG) on Export Credit. ECGC is a member of the seven working groups under the IWG and actively participates in the inter-sessional discussions.

During the visit of Honourable Prime Minister of India to Japan from 28 - 29th October 2018, ECGC signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Japan on 29th October 2018. This MoU aims to enhance mutual cooperation and facilitate business opportunities by stimulating trade and investment between the two countries. The partnership will also boost supply of goods and services from the two countries, more specifically in the context of Asia-Africa Growth Corridor. CMD, ECGC, was invited as a speaker on the session 'African Business Development through Japan-India Partnership' at the Business Symposium organized by Nikkei Inc. and Japan External Trade Organization on 29th October 2018.

On behalf of the Government of India (GoI), ECGC will be investing around USD 12 million in African Trade Investment Agency (ATI), a pan-African and multilateral investment and credit insurer registered with the United Nations, by way of subscribing to 100 Class 'B' shares. The proposed investment of the GoI was announced in the 18th Annual General Meeting of the ATI held on 28th June, 2018 at Abidjan, Cote D'Ivoire, which was attended by CMD, ECGC. Speaking on the session 'What impact does risk have in a financer's decision to invest in a project? The role of insurance in creating bankable projects in Africa', organised by ATI on 27th June 2018, CMD, ECCG highlighted the significance of the investment in taking forward GoI's 'Focus Africa program' and its vision of Asia-Africa Growth Corridor CMD, ECGC was invited by the Commonwealth Business Forum as a panellist for a session on 'SME Trade Forum' on 17th April 2018. During the session, CMD, ECGC dwelt on the major areas of concern for the SMEs and the role of credit risk protection in mitigation export credit risks. CMD, ECGC was also a panellist in the Asia Leaders Round Table discussion where global leaders and business delegates shared their views on the sustainability of the success of Asian economies. As a speaker on 'Stimulating Manufacturing Growth:

राउंड टेबल चर्चा में भी एक पैनलिस्ट थे जहां वैश्विक नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सफलता की स्थिरता पर अपने विचार साझा किए। टी एक्स एफ ग्लोबल 2018 के दौरान विनिर्माण विकास को बढ़ावा: ईसीए परिप्रेक्ष्य पर एक वक्ता के रूप में, दिनांक 06-07 जून, 2018 के दौरान प्राग में अप्रनि, ईसीजीसी ने ईसीए की प्रासंगिकता और बीमा जोखिम में उनकी भूमिका पर चर्चा की और साथ ही भारत सरकार की निर्यात नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ईसीजीसी के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

ईसीजीसी ने विभिन्न ईसीए और बहुपक्षीय निकायों के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी की। बहुपक्षीय निवेश और गारंटी एजेंसी (एम आयजीए), ताइपे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना (टीईबीसी) और स्लोवाक रिपब्लिक के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्ज़िमबैंका एस आर) के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जिसमें उत्पाद विकास, पुनर्बीमा के क्षेत्र, संयुक्त समर्थन के लिए तीसरे देशों में परियोजनाओं को सहयोग पर चर्चा की गई।

अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशालाएं निर्यात ऋण बीमा के विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम रुझानों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए संपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। तकनीकी चर्चा को बढ़ावा देने और ज्ञान को साझा करने के उद्देश्य से, ईसीजीसी के अधिकारियों ने एसएमई विशेषज्ञ बैठक, ब्रिक्स ईसीए तकनीकी कार्यशाला, बोर्ड सचिवालय एशियाई कन्वेंशन 2018, बीयू/आईसीआईएसए संयुक्त विशेषज्ञ बैठक में श्योरिटी और बांड, एमएलटी मूल्य निर्धारण और रेटिंग बैठक में भाग लिया। ईसीजीसी के अधिकारियों ने टी एक्स एफ (TXF) एशिया सम्मेलन, आई सी आई एस ए एशिया समिति और द्वितीय हनोवर क्रेडिट, निश्चितता और राजनीतिक जोखिम संगोष्ठी जैसे वैश्विक सम्मेलनों में भाग लिया।

मानव संसाधन व औद्योगिक सम्बन्ध

कंपनी में कुल 606 कार्मिक कार्यरत थे जिनमें 582 कार्यपालक तथा 24 गैर कार्यपालक शामिल हैं। इसमें 177 महिला कर्मचारी शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 30% हिस्सा हैं।

कम्पनी के कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापक भर्ती की गयी जिसमें भर्ती प्रक्रिया के ज़रिये कुल 43 योग्य उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के जरिए चयनित किया गया। वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभिन्न संवर्गों में कुल 51 अधिकारी पदोन्नत किये गए। सतर्कता दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा कंपनी की आवश्यकता के अनुसार कुल 156 अधिकारीयों को शाखा कार्यालयों/विभागों में स्थानांतरित किया गया. भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया में सभी संविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध

The ECA perspective' during the TXF Global 2018, held in Prague during 06-07 June, 2018, CMD, ECGC highlighted the relevance of ECAs and their role in underwriting risk, and the role played by ECGC to take forward the export policies of GoI.

ECGC also hosted delegations from different ECAs and multilateral bodies. Bilateral meetings were held with representatives from Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA), Taipei Export Import Bank of China (TEBC) and Export Import Bank of the Slovak Republic (EXIMBANKA SR) to discuss product development, scope for re-insurance, joint support for projects in third countries.

International seminars and workshops offer exhaustive opportunities to assess and evaluate the latest trends on various aspects of export credit insurance. With a view to promote technical discussions and share knowledge, ECGC officials participated in the SME Specialist meeting, BRICS ECAs technical workshop, Board Secretariat Asian Convention 2018, BU/ICISA Joint Specialist Meeting on Sureties and Bonds, MLT Pricing and Rating Meeting. ECGC officials also participated in global conferences such as TXF Asia Conference, ICISA Asia Committee and Second Hannover Credit, Surety and Political Risk Seminar.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS:

The employee strength of the Company was 606 consisting of 582 executive and 24 non-executive employees. This includes 177 women employees constituting almost thirty per cent of the total workforce.

In order to meet the business requirements of the company an intensive recruitment exercise was carried out and a total of 43 candidates were selected as Probationary Officers through direct recruitment process in the year 2018-19. 51 employees were promoted during the financial year in various cadres based on the vacancies available. Based on the requirement of the Company and in compliance with the vigilance guidelines, 156 officers were rotated among Branch Offices/Departments. All statutory provisions were complied with, in the recruitment and promotion process.

A harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the company. Quarterly meetings were conducted with various employees' representatives.

बने रहे. कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थय, आर्थिक उन्नत्ति सम्बन्धी व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ जारी राखी गईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक संशोधित नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के आधार पर वर्ष में लागू की गई है। उक्त अधिनियम के अनुसार, आंतरिक शिकायत समितियाँ (आई सी सी सी) सभी शाखाओं में जहां 10 से अधिक कार्यरत हैं उन सभी शाखाओं/कार्यालयों में कार्य कर रही हैं । एक आई सी सी का गठन प्रका में किया गया है जिसमें प्रका के सभी विभाग, वे विशेष शाखाएँ शामिल हैं जहाँ कर्मचारी की संख्या 10 से कम है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस अधिनियम के तहत दायर मामलों की संख्या शून्य है।

वर्ष के दौरान 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी प्रारम्भ किया गया।

प्रशिक्षण :

इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रशिक्षण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कारोबार आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों को प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता प्राप्त हो जाती है. ये बेहतर निष्पादन के लिए नए कौशल की प्राप्ति तथा वर्त्तमान क्षमता में विकास में सहायक साबित होती है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सभी स्तरों के कर्मचारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नामित किया गया. भारतीय प्रबंध संस्थान रांची में उच्च प्रबंधन वर्ग हेतु स्वयं और टीम में उच्च प्रदर्शन संस्कृति को प्रोत्साहन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबन्धक, शाखा प्रबन्धकों सहित समबन्धित विभाग प्रमुखों के लिए सेवा विपणन पर हैदराबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नव नियुक्त अधिकारीयों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एन आई बी एम), पुणे में दो आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए. वर्ष के दौरान पॉलिसी एवं ई सी आई बी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग दावा एवं हामीदारी कार्यशालाओं का अखिल भारतीय स्तर पर मुंबई में आयोजन किया गया। साथ ही क्षेत्र अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वरिष्ठ प्रबंधन जैसे महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक तथा सहायक महाप्रबंधकों को दक्षता वर्धन जैसे लीडरशिप आदि के लिए आई आई एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में नामित किया गया. समूह सी व समूह डी के कर्मियों के लिए कौशल विकास एवं व्यवहार विज्ञान पर बोधगया में प्रशिक्षण प्रदान किया गया. एडवांस एक्सेल पर मुंबई में दो प्रशिक्षण

During the year, the company continued comprehensive welfare facilities to its employees to take care of their health, economic betterment etc.

A revised Policy on The Prevention of Sexual Harassment of Women at work place based on the The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been implemented in the year. In accordance with the said Act, Internal Complaints Committees (ICC) are functioning in all the branches/offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at HO which includes all the Departments at HO, special branches wherever employee strength is less than 10. During the financial year 2018-19, the number of cases filed under this Act is Nil.

Paternity leave of 15 days was introduced during the year.

TRAINING:

The role of Training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the financial year 2018-19, employees at all level were nominated to various in-house and sponsored training programs. A program on "Inculcating High Performance Culture in Self and Team" for Top Management was conducted at Indian Institute of Management, Ranchi. A workshop on service Marketing was conducted at Hyderabad for General Managers, Regional Managers, Branch Managers including Heads of relevant departments. Two Induction Training Programs were conducted at National Institute of Bank Management (NIBM), Pune for the newly recruited officers. During the year, claim and underwriting Workshop were separately organised for both Policy and ECIB Sectors at All-India level in Mumbai. Further, Training Programmes were conducted for the benefit of Field Officers in the Company.

The senior level executives like General Managers, Deputy General Managers and Assistant General Managers were nominated for various Management Development Programmes for upgradation of skills like leadership etc. conducted by reputed institutes like IIMs. Training on skill upgradation and behavioural science was given to Group C and D employees at Bodhgaya. Two Programs on Advanced Excel Training were also

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पोंसरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 569 अधिकारीयों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया है।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के रोल्स में 15 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं. 31 मार्च,2019 तक कंपनी के कुल श्रमबल में अनु. जा. और अजजा. का विभिन्न संवर्गों में प्रतिनिधित्व तथा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भीगीदारी) अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण क्रमशः अनुलग्रक VI में है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अनु.जा./अजजा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने पद–आधारित रोस्टर प्रणाली अपनाई गयी है। सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण क्रमशः अनुलग्रक VII और अनुलग्रक VIII में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन:

1. कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित हुआ है।
2. सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल, 2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी कहती है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 25% की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों तथा 05% अ.जा. और अजजा के स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का उप–लक्ष्य निर्धारित किया है.

conducted in Mumbai. Apart from this, employees were sponsored for the trainings as per their functional areas. During the year, total 569 Officers were nominated in various In-house and Sponsored Training Programs.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with disabilities. As of March 31, 2019, the Company has 15 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on March 31, 2019 and representation of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, are furnished in **Annexure VI.**

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST and OBC are furnished in Annexure VII and VIII.

GENERAL ADMINISTRATION

1. Revenue and Capital Expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.
2. All the Branch Offices/Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 25% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprise (MSEs). Government has also prescribed a sub–target of 3% procurement of goods and service from women entrepreneurs and 5% from SC/ST entrepreneurs.

3. कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची बनाई तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला नहीं है.
4. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में चुना गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस सी/एस टी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।
5. कंपनी नें ई-प्रकाशन पॉलिसी का भी अनुपालन किया है जो कि भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 का एक भाग है.
6. शासकीय ई बाजार (जी ई एम) के जरिए खरीद के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु जी ई एम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है .

भारतीय लेखांकन मानकों कार्यान्वयन

परिपत्र सं IRD/F/CIR/CTS/146/06/2017 दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार इंड-ए एस जो कि भारत में आई एफ़ आर एस का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्रपर वित्तीय वर्ष 2020-21 से एक वर्ष के लिए लागू होगा. आई आर डी ए आई ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर इंड ए एस के अनुसार प्रोफ़ार्मा वित्तीय विवरण तैयार करना जारी रखा जाए तथा तिमाही आधार पर उसकी सूचना बोर्ड को दी जाए. इसे नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में तैयार कर निदेशक मंडल एवं आई आर डी ए आई को सूचित किया जाता है.

इंड ए एस जब भी लागू हो उसके कार्यान्वयन हेतु हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019

3. The Company has identified a list of items which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs
4. During the Financial year 2018-19 the Company has been selected as the Best Performer in general category and awarded for exemplary work under Public Procurement Policy for promotion of SC/ST entrepreneurs by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India
5. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e- procurement policy of 2012 of Govt. of India.
6. As per the directions received from Ministry of Commerce & Industry regarding Procurement through Government e Marketplace (GeM) the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

IRDAI vide circular IRDA/F&A/CIR/ACTS/146/06/2017 dated 28th June 2017 informed that implementation of Ind-AS in the insurance sector in India shall be effective from FY 2020-21. IRDAI has directed that the requirement of submitting Proforma Ind-AS financial statements on a quarterly basis shall be continued as per earlier directions issued in this regard. Company is preparing the proforma financial statements as per Ind AS and report to the Board of Directors and IRDAI every quarter.

We are preparing ourselves for implementation of Ind AS, as and when it is implemented by Insurance sector regulator (IRDAI).

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 31, 2019

अनुलग्नक–VI Annexure VI

दिनांक 31.03.2019 तक कंपनी कि सेवा में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	दिव्यांग व्यक्तियों की सं			कुल
	दृ दि	श्र दि	शा दि	दृ दि + श्र दि + शा दि
क	2	0	5	7
ख	3	2	2	7
ग	0	0	0	0
घ	1	0	0	1
कुल	**6**	**2**	**7**	**15**

दृ दि – दृश्य दिव्यांग
श्र दि – श्रव्य दिव्यांग
शा दि – शारीरिक दिव्यांग

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as on 31.03.2019

Group	No. of Disabled Persons			Total
	VI	HI	OC	VI+ HI+OC
A	2	0	5	7
B	3	2	2	7
C	0	0	0	0
D	1	0	0	1
Total	**6**	**2**	**7**	**15**

VI Visually Impaired
HI Hearing Impaired
OC Orthopaedically Challenged

अनुलग्नक–VII / Annexure VII

अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों दर्शाते हुए विवरण

Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes pertaining to recruitment

ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Ltd	समूह Group	कर्मचारियों की कुल संख्या Total Number of Employees	कुल नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या Total No. of Candidates recruited	अजा कर्मचारियो की संख्या No. of SC Employees	अजा के नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या No. of SC Category Candidates recruited	अजजा कर्मचारियो की संख्या No. of ST Employees	अजजा के नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या No. of ST Category candidate recruited	अपिजा कर्मचारियो की संख्या No. of OBC Employees	अपिजा के नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या No. of OBC category candidate recruited	अजा अजजा के आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो भरी नहीं गई हैं No. of vacancies reserved for SC and ST which remained unfilled
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	समूह क Group A	246	0	44	0	15	0	41	0	0
	समूह ख Group B	336	43	58	8	26	2	83	16	0
	समूह ग Group C	18	0	5	0	3	0	1	0	0
	समूह घ (स्वीपर को छोडकर) Group D (excluding sweeper)	6	0	1	0	0	0	1	0	0
	समूह घ (केवल स्वीपर) Group D (sweeper only)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक–VIII

दिनांक 31.03.2019 तक कंपनी में कार्यरत कंपनी श्रमबल के में अनु जा/अजजा तथा अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल श्रम बल का प्रतिशत		
	अनु. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. जा.
क	17.88	6.09	16.67
ख	17.26	7.73	24.7
ग	27.78	16.67	5.56
घ	16.67	0	16.67
कुल %	**17.82**	**7.26**	**20.79**

Annexure VIII

Representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Castes in the services of the Company's workforce as on 31.03.2019

Group	Percentage of Total Workforce		
	SCs	STs	OBCs
A	17.88	6.09	16.67
B	17.26	7.73	24.7
C	27.78	16.67	5.56
D	16.67	0	16.67
Total %	**17.82**	**7.26**	**20.79**

नासिक महाराष्ट्र में क्षे प्र/शा प्र सम्मेलन
RMs/BMs Conference held at Nashik

विशाखापट्टनम शाखा द्वारा आयोजित “अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस” के अवसर पर आयोजित समारोह जिसमें श्रीमती सरनाला मालती रानी, निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड शामिल हुईं

Event organized by Vishakapatnam Branch on the occasion of “International Women’s Day” which was attended by Smt Saranala Malathi Rani, Director, ECGC Limited

लोगों को प्लास्टिक बैगों के उपयोग को रोकने के प्रति जागरुक करते हुए कपडे की थैलियों का वितरण किया गया

Cloth bags were distributed and prople were sensitized about non-use of plastic bags

स्वच्छ भारत के अधीन कूपर अस्पताल, मुंबई को वर्मीकोम्पोस्टिंग मशीन प्रदान किया गया

Vermicompost machine provided by ECGC Limited to Cooper Hospital, Mumbai under Swacch Bharat

वित्तीय विवरण
FINANCIAL STATEMENTS

फॉर्म बी-आरए / FORM B - RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सीआईएन : यू74999एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2019 तक का राजस्व लेखा

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net)	1	854,42,28.04	839,23,70.16
2	बिक्री पर लाभ/निवेश का मोचन Profit on Sale/Redemption of Investment		38,42,17.56	35,83,87.47
3	बिक्री पर हानि/निवेश का मोचन Loss on Sale/Redemption of Investment		(11,99,71.39)	-
4	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		1,50,32.06	1,35,05.56
	- दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज / Interest on Claims & Premium		59,93.74	2,21,80.11
	- Exchange Fluctuation Profit (net)		-	-
	- विविध आय / Miscellaneous Income		15,93.45	23,46.33
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		8,19.65	4,73.23
5	ब्याज एवं लाभांश- सकल / Interest & Dividend - Gross		466,64,80.95	391,48,42.02
	कुल (क) / TOTAL (A)		**1349,83,94.06**	**1270,41,04.88**
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	1141,16,19.58	1138,58,81.99
2	कमीशन / Commission	3	(51,56,04.98)	(58,09,97.22)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	243,04,84.57	190,30,45.75
4	अन्य / Others			
	- प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		28,33,00.00	121,05,00.00
	- निवेश पर व्यय /Expenses towards Investments		8,73,36.16	6,13,77.26
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि - Provision, Write Off towards Investments		22,89,22.03	2,48,00.00
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**1392,60,57.36**	**1400,46,07.78**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क–ख) **Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C =(A-B)**		**(42,76,63.30)**	**(130,05,02.90)**
	विनियोजन / **APPROPRIATIONS**			
	- शेयरधारकों के खाते में अंतरण – Transfer to Shareholder's Account		(42,76,63.30)	(130,05,02.90)
	- आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण – Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	- अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण – Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) /TOTAL (C)		**(42,76,63.30)**	**(130,05,02.90)**

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं।
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman cum Managing Director

(बिद्युत बिहारी स्वाईं)
निदेशक
(Bidyut Behari Swain)
Director

(सरनला मालती रानी)
निदेशक
(Saranala Malathi Rani)
Director

(उमा शंकर)
निदेशक
(Uma Shankar)
Director

(माणेक एरूच डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M Senthilnathan)
Executive Director

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकरी
(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:

As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

कृते एबीएम एंड एसोसिएट एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडि)
भागीदार- M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

फॉर्म बी– पी एल / FORM B - PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सीआईएन : यू74999एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	परिचालन लाभ/(हानि) **OPERATING PROFIT/(LOSS)**			
	(क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance		(42,76,63.30)	(130,05,02.90)
2	निवेशों से आय **INCOME FROM INVESTMENTS**			
	(क) ब्याज व लाभांश– सकल (a) Interest & Dividends-Gross		274,06,31.67	239,94,19.30
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		22,56,51.58	21,96,56.83
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		(7,04,59.39)	-
3	अन्य आय **OTHER INCOME**			
	(क) एन ई आई ए आय (a) NEIA Income		2,95,01.51	2,06,24.30
	(ख) किराया व अन्य प्राप्तियाँ (b) Rent & Other receipts		5,67.92	5,30.25
	(ग) अन्य ब्याज प्राप्तियाँ (c) Other Interest Income		88,46,29.94	1,09,43.03
	(घ) अन्य विविध आय (d) Other Miscellaneous Income		5.34	-
	कुल (क) / TOTAL (A)		**338,28,65.27**	**135,06,70.81**
4	प्रावधान (कराधान के अलावा) **PROVISIONS (Other than Taxation)**			
	(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
	(ख) प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डालना (b) Provision, Write Off - Investments			
	– मानक आस्ति - Standard Asset		-	-

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	– निम्न मानक आस्ति - Sub Standard Asset		13,44,46.27	-
	–संदिग्ध आस्ति - Doubtful Asset		-	1,52,00.00
	– हानि संपत्ति - Loss Assets		-	-
	(ग) सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		-	-
5	**अन्य व्यय** **OTHER EXPENSES**			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	– निवेशों के लिए किए गए व्यय - Expenses towards Investments		5,12,92.67	3,76,18.32
	– निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय - Expenses towards Corporate Social Responsibility		5,32,36.89	6,36,82.66
	– विविध व्यय - Miscellaneous Expense		9.54	(0.04)
	(ख) अन्य – फ़ैक्टरिंग व्यय (b) Others - Factoring expenses		-	-
	कुल (ख)/ TOTAL (B)		**23,89,85.37**	**11,65,00.94**
	कर पूर्व लाभ (क – ख) / Profit Before Tax (A - B)		**314,38,79.90**	**123,41,69.87**
	घटाएँ / Less:			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
	– आस्थगित कर - Deferred Tax		(8,76,70.87)	(2,57,31.23)
	– वर्तमान कर - Current Tax		84,00,00.00	40,00,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		1,19,29.30	49,46.45
	(ग) कर समायोजन – पूर्व वर्ष (c) Tax Adjustments - Earlier years		(6,42,05.66)	17,57,82.39
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for appropriation**		**244,38,27.13**	**67,91,72.26**
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	(c) Proposed Final Dividend		-	-
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend		-	-
	(ङ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में अंतरण (e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	-
	(च) सामान्य निधियों में अंतरण (f) Transfer to General Reserve		172,04,95.37	67,91,72.26
	पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष Balance of profit/loss brought forward from last year		-	-
	तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष Balance carried forward to Balance Sheet		72,33,31.76	-

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman cum Managing Director

(बिद्युत बिहारी स्वाईं)
निदेशक
(Bidyut Behari Swain)
Director

(सरनला मालती रानी)
निदेशक
(Saranala Malathi Rani)
Director

(उमा शंकर)
निदेशक
(Uma Shankar)
Director

(माणेक एरूच डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M Senthilnathan)
Executive Director

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकरी
(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:
As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

कृते एबीएम एंड एसोसिएट एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

(अनिल चिकोडि)
भागीदार- M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

फॉर्म बी–बी एस / FORM B - BS
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सीआईएन : यू74999एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918
31 मार्च 2019 तक का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. Sr. No.	Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ '000)
I.	**निधियों के स्रोत**			
	SOURCES OF FUNDS			
	शेयर पूंजी			
	Share Capital	5	2000,00,00.00	1500,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष			
	Reserves and Surplus	6	2463,41,14.66	2237,11,20.47
	शेयर पूंजी पर अग्रिम			
	Advance Against Share Capital		-	-
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
	Fair Value Change Account		333,71,71.35	320,36,98.57
	ऋण			
	Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता			
	Deferred Tax Liability		-	-
	कुल / Total		**4797,12,86.01**	**4057,48,19.04**
II.	**निधियों का प्रयोग**			
	APPLICATION OF FUNDS			
	निवेश			
	Investments	8 & 8A	10033,05,42.14	8311,94,10.36
	ऋण			
	Loans	9	-	-
	अचल संपत्ति			
	Fixed Assets	10	270,84,72.22	231,06,34.26
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
	Deferred Tax Assets		30,69,52.63	21,92,81.76
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	Current Assets			
	नकद व बैंक शेष			
	Cash and Bank Balances	11	651,99,97.87	504,86,59.57
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ			
	Advances and Other Assets	12	853,89,66.67	1377,27,26.70
	उप कुल (क) / Sub Total (A)		**1505,89,64.54**	**1882,13,86.27**
	वर्तमान देयताएँ			
	Current Liabilities	13	6296,49,35.90	5740,59,11.94

Sr. No.	Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹ '000)
	प्रावधान Provisions	14	746,87,09.62	648,99,81.67
	उप कुल (ख) / Sub Total (B)		**7043,36,45.52**	**6389,58,93.61**
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)= (क–ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(5537,46,80.98)	(4507,45,07.34)
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		-	-
	विविध व्यय Miscellaneous Expenditure	15	-	-
	(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) (to the extent not written off or adjusted)			
	लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
	कुल / TOTAL		**4797,12,86.01**	**4057,48,19.04**
	महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
	लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman cum Managing Director

(बिद्युत बिहारी स्वाईं)
निदेशक
(Bidyut Behari Swain)
Director

(सरनला मालती रानी)
निदेशक
(Saranala Malathi Rani)
Director

(उमा शंकर)
निदेशक
(Uma Shankar)
Director

(माणेक एरूच डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M Senthilnathan)
Executive Director

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकरी
(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:
As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनुज बी. गोलचा)
भागीदार – M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

(अनिल चिकोडि)
भागीदार– M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -1 / SCHEDULE -1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

विवरण / **Particulars**	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित **Current Period Audited (₹ '000)**	पिछली अवधि लेखा परीक्षित **Previous Period Audited (₹ '000)**
सीधे कारोबार से प्रीमियम / Premium from Direct Business Written	1247,54,25.98	1240,41,70.70
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	377,52,18.84	401,59,21.75
शुद्ध प्रीमियम / **Net Premium**	**870,02,07.14**	**838,82,48.95**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(15,59,79.10)	41,21.21
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	**854,42,28.04**	**839,23,70.16**

अनुसूची -2 / SCHEDULE -2
उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण / **Particulars**		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित **Current Period Audited (₹ '000)**	पिछली अवधि लेखा परीक्षित **Previous Period Audited (₹ '000)**
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		1013,30,71.71	1283,16,55.91
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा / Less : Reinsurance ceded		292,70,68.13	471,80,34.72
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	150,82,70.98		185,61,14.03
घटाएँ: पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए / Less: Share of reinsurer	39,55,68.37		46,09,70.75
	111,27,02.61	111,27,02.61	139,51,43.28
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid	**(क) (A)**	**609,33,00.97**	**671,84,77.91**
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		5877,71,65.60	5345,88,46.99
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)		-	-
	(ख) (B)	**5877,71,65.60**	**5345,88,46.99**
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)		5345,88,46.99	4879,27,35.21
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)	-	12,92.30	
	(ग) (C)	**5345,88,46.99**	**4879,14,42.91**
कुल उपगत दावे (क + ख + ग) / **Total Claims Incurred (A + B - C)**		**1141,16,19.58**	**1138,58,81.99**

अनुसूची -3 / SCHEDULE -3
कमीशन / COMMISSION

विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	7,08,15.74	4,99,67.06
कुल (क) / **TOTAL (A)**	**7,08,15.74**	**4,99,67.06**
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ: सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	58,64,20.72	63,09,64.28
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(51,56,04.98)**	**(58,09,97.22)**
नोट: लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए **Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.**		
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	7,07,74.43	4,99,66.93
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	41.31	0.13
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / **TOTAL (B)**	**7,08,15.74**	**4,99,67.06**
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए **Note: Total (A) and (B) above should tally.**		

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं Employees' Remuneration and Welfare benefits	143,83,23.55	93,85,08.00
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	11,31,20.38	11,01,31.84

Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	1,83,96.43	1,80,82.14
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	25,31,88.55	21,89,45.01
5	मरम्मत / Repairs	18,97,21.20	17,15,71.26
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,59,04.48	1,34,39.29
7	सूचना व्यय / Communication expenses	2,28,10.55	2,58,73.14
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	4,08,21.45	4,44,22.02
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	67,80.53	68,85.39
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में		
(b)	As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामल / Taxation matters	18,27.44	12,84.06
	(ii) बीमा मामले / Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	66,48.20	73,84.10
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	6,52,89.84	11,15,41.36
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	6,45.13	7,14.36
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	21,33,27.05	20,24,52.84
13	मूल्यह्रास / Depreciation	4,36,79.79	3,18,10.94
	कुल / TOTAL	**243,04,84.57**	**190,30,45.75**

अनुसूची -5 / SCHEDULE -5
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंज / Authorised Capital 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)	5000,00,00.00	5000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 15,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	2000,00,00.00	1500,00,00.00

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
3	अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 15,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	2000,00,00.00	1500,00,00.00
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 15,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	2000,00,00.00	1500,00,00.00
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	-	-
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य Less : Par Value of Equity Shares bought back	-	-
	घटाएँ : आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses	-	-
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	- -	- -
	कुल / TOTAL	**2000,00,00.00**	**1500,00,00.00**

अनुसूची -5क / SCHEDULE -5 A
शेयर धारण की पद्धति/ PATTERN OF SHAREHOLDING
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) (As Certified by the Management)

शेयरधारक / Shareholder	वर्तमान अवधि / Current Period		पिछली अवधि / Previous Period	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	200,000,000.00	100.00	15,00,00,000.00	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	**200,000,000.00**	**100.00**	**15,00,00,000.00**	**100.00**

अनुसूची -6 / SCHEDULE -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा		
	General Reserve - Opening Balance	2177,11,20.47	2109,19,48.21
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	172,04,95.37	67,91,72.26
		2349,16,15.84	2177,11,20.47
	वर्ष के दौरान कटौती - लाभांश एवं डी डी टी हेतु वित्त वर्ष 2017-18		
	Deduction during year - For Dividend and DDT		
	Financial Year 2017-18	18,08,32.94	-
		2331,07,82.90	2177,11,20.47
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	Other Reserves (to be specified)	-	-
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	72,33,31.76	-
	कुल / TOTAL	**2463,41,14.66**	**2237,11,20.47**

अनुसूची -7 / SCHEDULE -7
उधार / BORROWINGS

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य)		
	Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8
निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय राजकोषीय बिल		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	752,45,79.37	701,65,84.54
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	459,05,25.73	510,64,92.49
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	35,16,96.36	24,72,76.60
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी		
	aa. Equity	527,89,02.82	462,15,24.99
	ककक. अधिमानित शेयर		
	aaa. Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड		
	b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र		
	c. Derivative Instruments	-	-
	घ. ऋणपत्र/बॉन्ड		
	d. Debentures/Bonds	-	-
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश / Investment in housing sector Bonds	364,91,79.31	356,45,10.40
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड/ Market sector Bonds	126,11,00.77	130,83,13.28
	e. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य) / Other Securities (to be specified)	-	-
	f. गौण मद / Subsidiaries	-	-
	g. संपत्ति निवेश-भूमि भवन / Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investments in Infrastructure and Social Sector	954,88,65.19	686,03,25.08
5	अन्य निवेश / Other Investments	103,51,22.60	44,05,27.63
	कुल (क) Total (A)	**3323,99,72.15**	**2916,55,55.01**

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय राजकोषीय बिल Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	52,29,44.65	31,22,90.89
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	126,53,43.21	19,24,75.18
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. निवेश a. Shares		
	कक. इक्विटी aa. Equity	-	-
	खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
	ख. म्यूचल फंड b. Mutual Funds	29,26,96.58	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds	-	-
	ख . आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I . Investment in housing sector Bonds	81,36,42.49	83,58,34.99
	खख . बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II . Market sector Bonds	19,62,55.34	24,33,04.82
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ e. Other Securities	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	56,96,31.12	72,19,14.94
5	अन्य निवेश Other Investments	22,18,15.05	11,40,00.10
	कुल (ख) Total (B)	**388,23,28.44**	**241,98,20.92**
	कुल (क + ख) TOTAL (A + B)	**3712,23,00.59**	**3158,53,75.93**
नोट /Note: **सदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु किए गए प्रावधानों को अनुसूची 14 के अंतर्गत अनुसूची 8 एवं अनुसूची 8 ए में वर्णित परिसंपत्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है।** **Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A**		**31,25,00.00**	**5,00,00.00**

अनुसूची -8A / SCHEDULE -8A
निवेश (पॉलिसीधारक) / IINVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
	1 सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय राजकोषीय बिल Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government Securities	1281,21,21.63	1144,81,11.63
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	781,63,00.57	833,16,45.64
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	59,88,34.35	40,34,51.30
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर a. Shares		
	कक. इक्विटी aa. Equity	898,84,02.11	754,03,82.89
	खख. अधिमानित शेयर bb. Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds	-	-
	I . आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in housing sector Bonds	621,34,67.47	581,57,80.13
	II . बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market sector Bonds	214,72,79.70	213,46,16.39
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1625,88,78.58	1119,31,61.98
5	अन्य निवेश Other Investments	176,25,06.05	71,87,55.60
	कुल (क) Total (A)	**5659,77,90.46**	**4758,59,05.56**

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय राजकोषीय बिल		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	89,04,19.26	50,95,27.25
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	215,45,03.29	31,40,38.46
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
	Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश		
	Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी		
	aa. Equity	-	-
	खख. अधिमानित शेयर		
	bb. Preference	-	-
	ख. म्यूचल फंड		
	b. Mutual Funds	49,83,75.25	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र		
	c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड		
	d. Debentures/Bonds	-	-
	ख . आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश		
	I . Investment in housing sector Bonds	138,53,91.26	136,37,30.76
	खख . बाजार क्षेत्र के बॉन्ड		
	II . Market sector Bonds	33,41,64.51	39,69,71.03
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्देष्ट किए जाए योग्य)		
	e. Other Securities	-	-
	च. गौण मद		
	f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन		
	g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investments in Infrastructure and Social Sector	96,99,12.44	117,78,61.21
5	अन्य निवेश		
	Other Investments	37,76,85.08	18,60,00.16
	कुल (ख) Total (B)	**661,04,51.09**	**394,81,28.87**
	कुल (क + ख) TOTAL (A + B)	**6320,82,41.55**	**5153,40,34.43**

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9
ऋण / LOANS

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / **SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर/ Outside India	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए / Less : Provision for doubtful debts	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर		
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	-	-
	(ग) अन्य		
	(c) Others	-	-
	गैर जमानती / Unsecured	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
2	**लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार		
	(a) Central and State Governments	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान		
	(b) Banks and Financial Institutions	-	-
	(ग) अनुषंगी		
	(c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम		
	(d) Industrial Undertakings	-	-
	(ड़) अन्य		
	(e) Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
3	**निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard		
	भारत में/ In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	भारत में/ In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
4	**परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY -WISE CLASSIFICATION**		
	(क) अल्पावधि		
	(a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि		
	(b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची – 10 / SCHEDULE -10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

Figures in (₹ '000)

		सकल ब्लॉक / Gross Block					मूल्यहास / Depreciation					परिसंपत्तियों का अनर्जन Impairment of Assets				निवल ब्लॉक Net Block	
क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	प्रारंभिक Opening	समायोजन Adjustment	परिवर्धन Additions	कटौतिया± Deductions	अंतिम Closing	प्रारंभिक Opening	समायोजन Adjustment	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री पर/ समायोजन On Sale / Adjustments	दिनांक तक To date	प्रारंभिक Opening	अतिरिक्त अनर्जन Additional Impairment	उत्क्रमण Reversal	दिनांक तक To date	तक / As at 31.03.2019	तक / As at 31.03.2018
1	साख/ Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त / Intangibles	5,05,06.25	-	1,31,10.39	-	6,36,16.64	4,26,50.30	-	38,99.82	-	4,65,50.12	-	-	-	-	1,70,66.52	78,55.95
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति Leasehold Property	6,89,31.54	-	-	-	6,89,31.54	1,49,93.99	-	8,14.51	13,53.01	1,44,55.49	-	-	-	-	5,44,76.05	5,39,37.55
5	भवन / Building	43,55,57.41	-	5,56.28	-	43,61,13.69	13,70,32.14	-	74,98.10	(12.70)	14,45,42.94	-	-	-	-	29,15,70.75	29,85,25.27
6	फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture & Fittings	17,36,82.23	-	99,11.81	29,13.85	18,06,80.19	14,20,29.94	-	53,87.22	24,63.26	14,49,53.90	-	-	-	-	3,57,26.29	3,16,52.29
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	16,83,80.68	-	4,05,27.62	2,90,70.99	17,98,37.31	15,20,42.72	-	1,73,61.47	2,90,61.84	14,03,42.35	-	-	-	-	3,94,94.96	1,63,37.96
8	वाहन / Vehicles	7,32,26.67	-	-	6,53.61	7,25,73.06	6,80,08.31	-	16,60.52	6,53.61	6,90,15.22	-	-	-	-	35,57.84	52,18.36
9	कार्यालयी उपकरण Office Equipment	8,02,18.07	-	46,33.89	26,55.31	8,21,96.65	6,04,85.86	-	70,58.15	26,34.97	6,49,09.04	-	-	-	-	1,72,87.61	1,97,32.21
कुल / Total		179,86,55.18	-	6,87,39.99	3,52,93.76	183,21,01.41	61,72,43.26	-	4,36,79.79	3,61,53.99	62,47,69.06	-	-	-	-	120,73,32.35	118,14,11.92
प्रगतिरत कार्य Work in Progress																150,11,39.87	112,92,22.34
कुल योग / Grand Total		179,86,55.18	-	6,87,39.99	3,52,93.76	183,21,01.41	61,72,43.26	-	4,36,79.79	3,61,53.99	62,47,69.06	-	-	-	-	270,84,72.22	231,06,34.26
पिछले वष Previous Year		177,26,93.37	-	3,63,75.02	1,04,13.21	179,86,55.18	59,57,26.21	17.05	3,18,10.94	1,03,10.94	61,72,43.26	-	-	-	-	231,06,34.26	233,00,01.84

अनुसूची - 11 / SCHEDULE -11
नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	40,41.79	66,64.35
2	बैंक शेष/Bank Balances		
	(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts		
	अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास/ With Banks	289,00,00.00	283,40,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	349,00,00.00	208,70,00.00
	अन्य / Others		
	बैंकों के पास/ With Banks	-	-
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	13,58,56.08	12,08,95.22
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
3	मांग एवं अल्प नोटिस मुद्रा Money at Call and Short Notice		
	बैंकों के पास/ With Banks	-	-
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Other Institutions	-	-
	कुल / TOTAL	**651,99,97.87**	**504,86,59.57**
	नोट : गैर अनुसूचित बैंकों में शेष, उपरोक्त 2 एवं 3 में शामिल है Note : Balances with Non-Scheduled Banks included in 2 and 3 above.	150,00,00.00	-

अनुसूची - 12 / SCHEDULE -12
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
3	समय पूर्व भुगतान		
	Prepayments	6,77,67.02	8,84,69.14
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम		
	Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)		
	Advance Tax paid (Net of provision for taxation)	163,74,33.16	713,65,33.81
6	बैंकों को लेखागत दावा अदायगी		
	On account claim payment to Banks	-	-
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान		
	Less: Provision for Doubtful Recovery	-	-
7	कर्मचारियों को अग्रिम		
	Advances to Employees	26,70,34.04	24,16,44.99
8	व्ययों के लिए अग्रिम		
	Advance for Expenses	2,59,43.84	7,84.06
	कुल (क) / TOTAL (A)	**199,81,78.06**	**746,74,32.00**
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रौद्भूत आय		
	Income accrued on Investments	268,11,35.18	227,93,42.90
2	बकाया प्रीमियम		
	Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष		
	Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		
	Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय		
	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	326,02,85.13	320,62,56.11
6	गौण/धारक इकाइयों से देय		
	Due from subsidiaries/holding	-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		
	Deposit with Reserve Bank of India	-	-
	(बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)		
	(Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)		
8	आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज		
	Interest accrued on Housing Loan	2,58,85.22	2,94,29.67

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars		वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
9	विविध देनदार– Sundry Debtors-			
	मानक परिसंपत्तियाँ **Standard Asset**	-		
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	-		
	(I)	-	-	
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ Sub - Standard Asset	-	-	
	घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-	-	
	(II)	-	-	-
	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)	-	-	-
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	24,08,11.52		50,29,04.95
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30		94,71.30
		23,13,40.22	23,13,40.22	49,34,33.65
11	विविध जमाएँ Sundry Deposits	32,55,99.20		27,93,31.90
	घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		-
		32,55,99.20	32,55,99.20	27,93,31.90
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावा राशि Unclaimed Amount for Policyholder Assets		1,65,43.66	1,75,00.47
	शाखाओं के मध्य / Inter - branch		-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**654,07,88.61**	**630,52,94.70**
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		**853,89,66.67**	**1377,27,26.70**
	नोट : अनुसूची 12 में उल्लेखित निवेशों पर उपगत एवं बकाया ब्याज के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत सदिंग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान **Note:** Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Interest Accrued and Due on Investment appearing in Schedule 12.		10,08,68.30	-

अनुसूची –13 / SCHEDULE -13
वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	एजेन्टों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	120,27,13.25	93,58,81.16
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	प्राप्त अग्रिम प्रीमियम Premiums received in advance	193,68,36.58	221,50,68.67
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	34,54,37.58	28,17,83.33
6	पॉलिसीधारकों की अदावित राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,66,34.60	1,59,83.04
7	विविध लेनदार Sundry Creditors	28,13,06.53	24,75,45.97
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	-	-
9	बकाया दावे Claims outstanding	5877,71,65.59	5345,88,46.99
10	कर्मचारियों को देय Due to Employees	18,13,74.55	3,03,13.00
11	अन्य / Others		
	– एन ई आई ए - NEIA	17,10,70.36	16,40,40.73
	– फ़ैक्टरिंग - Factoring	-	-
	– विविध - Miscellaneous	4,20,44.25	4,01,80.52
	– जी एस टी/सेवा कर देयता - GST Liability	1,03,52.61	1,62,68.53
12	बैंक बही ओवरड्राफ्ट–अस्थाई/Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
	कुल / TOTAL	**6296,49,35.90**	**5740,59,11.94**

अनुसूची –14 / SCHEDULE -14
प्रावधान / PROVISIONS

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	435,01,03.57	419,41,24.48

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	191,38,00.00	163,05,00.00
3	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	-	2,25,25.75
4	कराधान के लिए For Taxation		
	– आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	-	-
6	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	-	-
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits		
	– छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	45,12,51.38	41,50,84.89
	– उपादान - Gratuity	1,51,39.00	17,77,46.55
	– पेंशन - Pension	32,50,47.37	-
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	-
9	सदिंग्ध परिसंपत्तियों हेतु–निवेश For Doubtful Assets - Investment	41,33,68.30	5,00,00.00
	कुल / TOTAL	**746,87,09.62**	**648,99,81.67**

अनुसूची –15 / SCHEDULE -15
विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000)	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed on issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रणाली

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1); बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा ये कंपनी (लेखमानक) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखा मानकों की आवश्यकताओं की लेखामानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे/सामने आएंगे।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास

2.1 अचल सम्पत्तियों का, अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/निपटान की गयी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उन्हें शामिल किए जाने/निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनके उपयोग की अवधि के दौरान हुआ है।

2.3. पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया

SCHEDULE 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly

सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस 26 अमूर्त परिसंपत्तियाँ – के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, को अमूर्त शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित संविदाकारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है। जहां कहीं भी परिसंपत्ति की अग्रेषित की जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है ।

4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर, बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री की संविदा को, संव्यवहार की तारीख पर निवेश के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में, अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति/सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश/डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ/हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के

bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head “Intangibles” and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as “Investments” as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/

निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (एफआईएफओ) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गयी है तथा मूल्य/बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है।

loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/ Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost.

तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित/असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों/इक्विटी संबन्धित साधनों/अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/– रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

अ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :– लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/–रु लिया गया है।

ब) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में: लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/–रु लिया गया।

स) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो:– अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी/इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती । तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/– रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/–रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

ख) एक बार जब उपरोक्त नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ईक्विटी संबन्धित साधनों/अधिमानित शेयर्स

However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs.1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference

में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व/लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 **रिवर्स रेपो** संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना गया है। ट्रेप्स के जरिये ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है ।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को अंकित मूल्य परिवर्तन खाता शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित, अंकित मूल्य परिवर्तन खाता में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेशों का आबंटन:- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः शेयरधारकों की निधियाँ व पॉलिसीधारकों की निधियाँ शीर्ष शेयरधारकों व पॉलिसीधारकों की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/अग्रिमों/डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)/भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 “Tri Party Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head “Fair Value Change Account” and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the “Fair Value Change Account” is not available for distribution.

4.15 “Allocation of Investments into Shareholders’ & Policyholders’ Funds”: Investments of the Company are allocated to Shareholders’ and Policyholders’ funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders’ Fund and Policyholders’ Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब प्रत्यक्ष होती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो।

8. बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

8.1 रिपोर्ट की जानेवाली तारीख को बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियों के निर्धारण को मध्यम व दीर्घ अवधि (एम एल टी) रक्षाओं/पॉलिसियों के अधीन सभी दावा मामलों में तथा अल्पावधि पॉलिसियों/रक्षाओं के अधीन प्रक्रियाधीन दावों के मामलों में देय राशि के अनुसार किया गया है। अल्पावधि रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया के लिए शेष बकाया दावों के लिए, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों संबंध में हमारे अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार पर औसत दर की गणना के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान को आगे की जानकारी की उपलब्धता/उपलब्ध दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा।

8.2 आगे, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।

8.3 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है:

(i) कंपनी द्वारा नामंज़ूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को देयता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा/अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है। ऐसे मामलों को वित्तीय विवरण में दावों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से किया गया है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के सभी संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

9.2 पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में की गई है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः शेयर धारक निधि व पॉलिसीधारक निधि के रूप में प्रभाजित किया गया है। शेयरधारक निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा कंपनी में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा रखी

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the

गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। कंपनी, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है कि प्राप्तियों में हुई कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई कंपनी करेगी।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों

Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of

के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं । वे कर्मचारी जिन्होने 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगी तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगी।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ/हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी), कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में की जाएगी। यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए प्रमाण प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के गणना की

the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Company will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation,

जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाती बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान/मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :–

deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as

अवमानक परिसंपत्तियाँ	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii.आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
–सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक –20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक –30%
	iii. तीन वर्षों से अधिक–100%
–असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्ति	100%

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab- initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	i. Upto one year – 20%
	ii. One to three years – 30%
	iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 संपरिवर्तन–विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व उन्हें राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है ।

prescribed below by the IRDA :

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची 17

लेखा से संलग्न तथा उनका भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता

प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल आस्तियां

अचल परिसंपत्तियों में, ₹ 398.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 398.47 हज़ार) के वे बिल्डिंग शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹ 5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 5,77,43.90 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं/ वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास सहकारी संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियां :

4(क) अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

कंपनी के खिलाफ दायर मामलों तथा निर्णय हेतु प्रतीक्षित मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुकरण में न्यायालयों में कुल ₹1,29,428.77 हज़ार (पिछले वर्ष ₹8,42,06.53 हज़ार) जमा किए गए हैं। उसे विविध जमाओं के अधीन दर्शाया गया है।

4(ख) कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

4(ग) समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) के लिए सू.प्रौ विक्रेता से वसूली योग्य ₹17,23,92.70 हज़ार (पिछले वर्ष के लिए ₹17,23,92.70 हज़ार) का प्रावधान शामिल है जिसे अन्यों से वसूलीयोग्य राशि में दर्शाया गया है। मामला मध्यथता के अधीन है, क्योंकि

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS

"Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹ 3,98.47 thousands (previous year ₹ 3,98.47 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹ 5,77,43.90 thousands (previous year ₹ 5,77,43.90 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

4. ADVANCES AND OTHER ASSETS

4 (a) Advances and other assets include:

An amount of ₹ 1,29,428.77 thousands (previous year ₹ 8,42,06.53 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4(b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4(c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹ 17,23,92.70 thousands for the year ended (previous year ₹ 17,23,92.70 thousands) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as "Amount Recoverable from Others". This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter

विक्रेता ने कम्पनी के ₹ 39,98,77.56 की मांग के खिलाफ ₹183,32,00.00 हजार दावा दायर किया है। आकस्मिक देयता में ₹183,32,00.00 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिम एवं अन्य अस्तियां (अनुसूची 12) में एक पुनर्बीमा कम्पनी से उनके साथ जून 2014 में की गयी अतिरिक्त हानि सम्बन्धी संधि के कारण उनके द्वारा दायर किये गए दावे के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्राप्यों में ₹ 171,78,48.42 शामिल हैं। कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा कम्पनी के साथ कई अनुकूल विचार विमर्श किये गए एवं संभावना है कि इस राशि की वसूली की जाएगी।

4(च) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूचि12) में ₹ 7,00,00.00 हजार (पिछले वर्ष ₹. 7,00,00.00 हजार के जमा) के जमा शामिल है जो कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में नकद सीमा के रूप में गिरवी रखे गए है।

5. चालू देयताएं :

5(क) चालू देयताओं में, कम्पनी के कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पी एल एल आई) के लिए ₹ 2,02,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 64,90.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2019 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

5(ख) कंपनी ने, प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए देय वेतन संशोधन हेतु ₹ 13,63,11.00 हज़ार का प्रावधान किया है जिसमें दिनांक 01 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए ₹ 5,39,63.00 हज़ार के विभेदक प्रावधान शामिल है तथा कर्मचारियों को उसकी अदायगी वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

5(ग) कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया

claim of ₹183,32,00.00 thousands as against company's demand of ₹39,98,77.56 thousands. The amount of ₹ 183,32,00.00 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).

4(d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹171,78,48.42 thousands as receivables from one of the Reinsurance companies on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. Company had several rounds of positive discussions with the Reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered.

4(e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes deposits of ₹ 7,00,00.00 thousands (previous year deposits of ₹ 7,00,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as cash margin.

5. CURRENT LIABILITIES

5(a) Current Liabilities include ₹ 2,02,00.00 thousands (previous year ₹ 64,90.00 thousands) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2019 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5(b) The Company has made a provision of ₹ 13,63,11.00 thousands towards wage revision due to its employees based on prevalent Industry practices which includes differential provision of ₹ 5,39,63.00 thousands attributable to the period 1st August, 2017 to 31st March, 2018 and the same will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India.

5(c) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and

दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹ 3484,42,37.66 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 3665,03,27.47 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

6. प्रावधान

6(क) कम्पनी का ₹ 5,00,00.00 हजार के डिबेंचरों में किये गए निवेश को पूर्ण रूप से अशोध्य माना गया है एवं आई आर डी ए आई ए के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पूर्व के वर्षों में उसके लिए लेखों में प्रावधान किया गया है। इसे अशोध्य आस्तियों के लिए प्रावधान निवेश शीर्ष में अनुसूची 14 में दर्शाया गया है ।

6(ख) कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लि (आई एल एंड ऍफ़ एस) द्वारा जारी अपरिवर्तनीय सुरक्षित डिबेंचरों में ₹ 105,00,00.00 हजार का निवेश किया। वर्ष के दौरान कम्पनी ने इन निवेशों के अंतर्गत, बीमा कंपनियों के लिए लागू आई आर डी ए आई द्वारा जारी आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के अधीन, आय के रूप में पहचान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में आवश्यकता से अधिक प्रावधान करते हुए, अशोध्य आस्तियों के लिए प्रावधान निवेश शीर्ष में अनुसूची 14 के अधीन ₹ 26,25,00.00 हजार का प्रावधान किया है ।

7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) तथा तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹ 7,04,26.80 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 7,04,26.80) प्रावधान किया है।

8. पुनर्बीमा

कंपनी द्वारा, भारतीय साधारण बीमा कंपनी के लिए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकतानुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 26% (पिछले वर्ष 27%), जी आई सी (9%), स्विस आर ई आर ई (8%), स्कोर आर ई (4%), पार्टनर आर ई (2%), हैनोवर आर ई (3%), एवं ईसीआईबी के अधीन 21.50% (पिछले वर्ष 23%) जी आई सी आर ई (9.5%), स्विस आर ई (4%), स्कोर आर ई (4%), पार्टनर आर ई (1%), हैनोवर आर ई (3%) के साथ कोटा शेयर के अध्यार्पण की संधि की गयी ।

additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹3484,42,37.66 thousands (previous year ₹ 3665,03,27.47 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

6. PROVISIONS

6(a) Investment in Debentures of a company ₹ 5,00,00.00 thousands is fully treated as doubtful and provided in the accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Doubtful Assets - Investment – Schedule 14.

6(b) The Company has invested of ₹105,00,00.00 thousands in Non-Convertible Secured Debenture issued by Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd (IL&FS) as on 31st March, 2019. During the Year, the Company has made a provision of ₹ 26,25,00.00 thousands under the head Provision for Doubtful Assets - Investment -Schedule 14 against these investments as considered appropriate by the management which is higher than the provision required to be made as per Prudential Norms for Income Recognition, Asset Classification and Provisioning issued by IRDAI applicable to Insurance Companies.

7. FACTORING

The Company has made provision of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) on account of sub-standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹ 7,04,26.80 thousands in line with IRDAI norms.

8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance Company of India. Quota Share cession under Policy is 26% (previous year 27%) – with GIC Re (9%), Swiss Re (8%), SCOR Re (4%), Partner Re (2%), Hannover Re (3%) and under ECIB is 21.50% (Previous year 23%) – with GIC Re (9.5%), Swiss Re (4%), SCOR Re (4%), Partner Re (1%) and Hannover Re (3%). The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Term (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier year was as under:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		(अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (सिर्फ एस टि)	15%	20%	कोइ एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	कोइ एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्स ओ एल उपलब्ध

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (एआरटी)

कंपनी ने, कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए 43 म व दी रक्षाओं (पिछले वर्ष 30 म व् दी र) के लिए शुल्क की अदायगी कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 3,14,54.60 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 3,99,82.31 हज़ार) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL availabl
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available

9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 43 MLT covers (previous year 30 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2018-19. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹3,14,54.60 thousands (previous year ₹3,99,82.31 thousands) to NEIA Trust.

10. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2019 के अंत तक, किए गए पोतलदानों/प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹ 44,43,87.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 58,91,88.86 हज़ार)के प्रीमियम को पिछले वर्ष के प्रीमियम के रूप में स्वीकार किया है। आई आर डी ए आई के पत्र सं FN/GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई ।

11. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹ 2,95,01.51 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 2,06,24.30 हज़ार) को अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹17,10,70.36 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 16,40,40.73 हज़ार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं अन्य एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

12. अन्य ब्याज आय में ₹ 87,03,50.69 हजार को वर्ष के दौरान प्राप्त आय कर वापसी में शामिल किया गया है।

13 (क) कम्पनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंजूर कर दिया है, जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक ने संविदा के निष्पादन के लिए कम्पनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया है एवं मामला दिनांक 31.03.2019 तक निर्णयाधीन है। आगे अनुसूची 13 चालू देयताएं ङ के अधीन विभिन्न पॉलिसी धारकों से प्रीमियम के रूप में प्राप्त ₹ 2,32,44.55 हज़ार की राशि का पॉलिसी धारक से धोषणा की अप्राप्ति के कारण समायोजन नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कम्पनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में कंपनी को ₹ 2,40,00.00 हज़ार की अदायगी की थी। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का प्रावधान है तथा विचाराधीन मामला होने के कारण ₹ 2,32,44.55 हजार की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम के अतिरिक्त के ₹ 30,000 हजार ₹ सहित) अनुसूचि 13 के विविध देनदार शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

10.PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2019 at ₹ 44,43,87.00 thousands (previous year ₹ 58,91,88.86 thousands) which is recognised in subsequent year. IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

11. NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from NEIA Trust of ₹ 2,95,01.51 thousands (previous year ₹ 2,06,24.30 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹ 17,10,70.36 thousands (previous year ₹16,40,40.73 thousands), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

12. Other Interest Income includes ₹ 87,03,50.69 thousands towards Interest on Income Tax Refund received during the year.

13. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2019 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹ 2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹ 2,40,00.00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹ 2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00.00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

13 (ख) आगे अनुसूची 13 के अधीन, विविध देनदार– चालू देयताओं में, निर्यातक – उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले गारंटियों के लिए कंम्पनी द्वारा प्रदान की गयी रक्षा में विस्तार के रूप में, विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के रूप में ₹ 6,714.06 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3,42,64.07 हजार) शामिल है. कम्पनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है एवं रक्षा को विस्तार करने में अपनी असमर्थता को बैंकों को सूचित कर दिया है. कम्पनी द्वारा उक्त राशि को, बैंकों को वापस लौटा दी गयी है, परन्तु कुछ बैंकों ने सम्बंधित वापसी को स्वीकार नहीं किया है. तदनुसार कम्पनी ने कथित राशि को विविध देनदार शीर्ष के अधीन दर्शाया है.

14. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन होंगे।

15. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

16. पूर्व अवधि समायोजन

नामे :

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	21,45.80	–
अन्य	5.68	11.50
मूल्यहास	12.70	17.05
किराया	–	38.94
संपत्ति कर – अंधेरी परिसर	1,35,12.35	–
सदस्यता शुल्क	–	71,03.65
एजेंसी कमीशन	60.72	94.68
डी डबल्यु ई ई एस आई सी	–	13,72.73
परामर्श प्रभार	–	30.12
कुल	**1,57,37.25**	**86,68.67**

13. (b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹ 6,714.06 thousands (previous year ₹ 3,42,64.07 thousands) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including amount recoverable, Deposits premium accounts including personal ledger balances of insured's, minimum premium account, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

15. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

16. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS INCLUDE

Debits:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	21,45.80	-
Others	5.68	11.50
Depreciation	12.70	17.05
Rent	-	38.94
Property Tax - Andheri Premises	1,35,12.35	-
Membership Fee	-	71,03.65
Agency Commission	60.72	94.68
DWE ESIC	-	13,72.73
Consultancy Charges	-	30.12
Total	**1,57,37.25**	**86,68.67**

जमा :

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
अन्य	34.24	38.35
नियुक्ति शुल्क	–	34,70.80
प्रदान किये गए दावे की अतिरिक्त राशि की वसूली	–	2,13.06
आवास ऋण पर ब्याज	24,20.70	–
मूल्यह्रास	13,53.01	–
कुल	**38,07.95**	**37,22.21**
पूर्व अवधि समायोजन में निवल नामे / (जमा)	**1,19,29.30**	**49,46.46**

Credit

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Others	34.24	38.35
Recruitment Fee	-	34,70.80
Excess Claim paid Recovery	-	2,13.06
Interest On Housing Loan	24,20.70	-
Depreciation	13,53.01	-
Total	**38,07.95**	**37,22.21**
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	**1,19,29.30**	**49,46.46**

17. विदेशी विनिमय में अर्जन व व्यय

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	गत वर्ष
वसूल किए गए दावे	10,09.48	–
पुनर्बीमा	107,18,38.48	121,41,52.95

व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
सदस्यता शुल्क व अन्य व्यय	42,63.85	67,16.76
यात्रा व्यय	52,11.12	63,62.98
हैसियत जांच शुल्क	98,91.58	1,33,89.71
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	36,51.88	5,26.67

* पुनर्बीमा प्रीमियम में प्रदत्त दावों के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा में की गयी वसूलियों को पुनर्बीमा अर्जन माना जाएगा।

18 कम्पनी के किसी भी प्रकार के व्युत्पन्न अनुबंध अथवा वायदा अनुबन्ध नहीं हैं। कम्पनी का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का जोखिम नहीं है (अरक्षित)।

19. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड निर्यात ऋण बीमा में परिचालान करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है, परंतु अब तक कोई बिल फैक्टर नहीं किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान कोई राजस्व उपार्जित नहीं हुआ है (पिछले वर्ष कुछ नहीं)।

20. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

17. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	10,09.48	-
Re-insurance*	107,18,38.48	121,41,52.95

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	42,63.85	67,16.76
Travelling expenses	52,11.12	63,62.98
Status Enquiry Fees	98,91.58	1,33,89.71
Books and periodicals	36,51.88	5,26.67

* Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

18. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (unhedged).

19. SEGMENTAL REPORTING (Accounting Standard 17)

The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided. Though the Company has initiated activities to start factoring of export bills, no bills have been factored and correspondingly no revenue accrued during the year (previous year NIL).

20. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

क्र सं	नाम	पदनाम
1	सुश्री गीता मुरलीधर	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अ प्र नि)
2	श्री एम् सेंथिलनाथन	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
3	श्री वी धर्मराजन	कार्यपालक निदेशक (परिचालन)
4	सुश्री आर पद्मावती	महाप्रबंधक मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी)
5	सुश्री तापसी डे	महाप्रबंधक (मा सं वि)
6	श्री सी एन ए अन्बरसन	महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (ईसीआईबी, एस टी)
7	श्री सुनील जोशी	महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी आतंरिक लेखा परीक्षा प्रमुख
8	श्री पी एल ठाकुर	महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (पॉलिसी एस टी)
9	श्री राजीव मानवी	महाप्रबंधक, मुख्य वित्त अधिकारी
10	श्री शिवाजी नार्वेकर	महाप्रबंधक, मुख्य विपणन एवं पारदर्शिता अधिकारी (दिनांक 04.07.2018 तक मुख्य निवेश अधिकारी)
11	सुश्री स्मिता पंडित	मुख्य अनुपालन अधिकारी
12	सुश्री योगिता अरोरा	नियुक्त बीमांकिक
13	श्री ईश नाथ झा	दिनांक 04.05.2018 से मुख्य जोखिम अधिकारी
14	श्री आर के पांडियन	दिनांक 05.07.2018 से मुख्य निवेश अधिकारी
15	श्री गौरव अंशुमन	दिनांक 04.05.2018 तक मुख्य जोखिम अधिकारी

Sr. No.	Name	Designation
1	Smt. Geetha Muralidhar	Chairman-cum-Managing Director (CMD)
2	Shri M Senthilnathan	Executive Director (Policy Matters)
3	Shri V Dharmarajan	Executive Director (Operations)
4	Smt. R Padmavathy	General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT)
5	Smt. Tapasi De	General Manager (HRD)
6	Shri C N A Anbarasan	General Manager, Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)
7	Shri Sunil Joshi	General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit
8	Shri P L Thakur	General Manager, Chief Underwriting Officer (Policy-ST)
9	Shri Rajiv Manavi	General Manager, Chief Financial Officer
10	Shri Shivaji Narvekar	General Manager, Chief Marketing Officer and Transparency Officer, (Chief Investment Officer upto 04.07.2018)
11	Smt. Smita V Pandit	Chief Compliance Officer
12	Smt. Yogita Arora	Appointed Actuary
13	Shri Ish nath Jha	Chief Risk Officer since 04.05.2018
14	Shri R K Pandian	Chief Investment Officer since 05.07.2018
15	Shri Gaurav Anshuman	Chief Risk Officer upto 04.05.2018

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां :

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	3,89,92.41	3,79,20.55
नियुक्त बीमांकिक	51,92.00	42,21.00

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

(₹ '000)

Particulars	Current year	Previous Year
Salary and Allowances	3,89,92.41	3,79,20.55
Appointed Actuary	51,92.00	42,21.00

(iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पार्टियों के साथ किये गए संव्यवहार
(क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र सं	संव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,95,01.51	2,06,24.30
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	17,10,70.36	16,40,40.73
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम (आज की तारीख तक बकाया)	4,23,91.41	5,86,36.24
4	वर्ष के अंत तक बकाया शेष – नामे शेष	3,95,03.27	29,40,56.07
5	प्रदत्त गारंटी शुल्क	3,14,54.60	3,99,82.31

21. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹ 8,76,70.87 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 2,57,31.23 हज़ार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक ₹ 30,69,52.63 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 21,92,81.76 हज़ार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ '000)

विवरण	01/04/2018 तक	वर्ष के दौरान प्रभारित/जमा	31/03/2019 तक
देयता			
मूल्यहास	3,55,36.71	11,35.56	36,672.27
कुल	**3,55,36.71**	**11,35.56**	**36,672.27**
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	14,50,47.26	1,26,38.02	15,76,85.28
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	4,53,91.59	12,69,75.42	17,23,67.01
उपदान हेतु प्रावधान	6,21,11.75	(6,21,11.75)	–
पी एल एल आई	22,67.87	47,90.82	70,58.69
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	–	65,13.92	65,13.92
कुल	**25,48,18.47**	**8,88,06.43**	**34,36,24.90**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	21,92,81.76	8,76,70.87	30,69,52.63

(iii) Transactions during the year with related parties:
(a) NEIA Trust

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	2,95,01.51	2,06,24.30
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	17,10,70.36	16,40,40.73
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	4,23,91.41	5,86,36.24
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	3,95,03.27	29,40,56.07
5	Guarantee Fees paid	3,14,54.60	3,99,82.31

21. DEFFERED TAX ACCOUNTING

During the year, the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Debit during the year amounting to ₹ 8,76,70.87 thousands (previous year debit ₹ 2,57,31.23 thousands). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹ 30,69,52.63 thousands (previous year Deferred Tax Assets ₹ 21,92,81.76 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01-04-2018	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2019
Liability			
Depreciation	3,55,36.71	11,35.56	36,672.27
Total	**3,55,36.71**	**11,35.56**	**36,672.27**
Assets			
Provision for leave encash-ment	14,50,47.26	1,26,38.02	15,76,85.28
Provision for doubtful debts	4,53,91.59	12,69,75.42	17,23,67.01
Provision for gratuity	6,21,11.75	(6,21,11.75)	-
PLLI	22,67.87	47,90.82	70,58.69
Wage Revi-sion(PF& leave encashment)	-	65,13.92	65,13.92
Total	**25,48,18.47**	**8,88,06.43**	**34,36,24.90**
Deferred Tax Asset/(Liability)	21,92,81.76	8,76,70.87	30,69,52.63

22. प्रति शेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

(₹ '000)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ 000)	244,38,27.13	74,28,54.92
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्य	18,21,91,781.00	14,92,46,575.00
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	13.41	4.98
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रति शेयर अर्जन एक समान हैं।

23. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	208,95,14.00	189,47,83.00
3	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	953,71,19.00	829,06,18.00
4	कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	आय कर (लंबित मामले)	378,98,00.00	254,99,00.00
6	ई एस आई, ई पी एफ़, एवं स्टैम्प अधिनियम	47,64.75	कुछ नहीं

24. पूंजीगत दायित्व

बकाया पूंजीगत दायित्वों की राशि ₹127,09,49.00 हजार (पिछले वर्ष ₹161,18,37.76 हजार) रही। राशि लागू करों को छोड़कर हैं।

25. नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आईआरडीएआई की आवश्यकताओं के अनुसार ₹191,38,00.00 हजार (पिछले वर्ष ₹163,05,00.00 हजार) की प्रीमियम कमी रिजर्व का प्रावधान किया गया है।

22. Earnings Per Share is calculated as under:

(₹ '000)

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹000)	244,38,27.13	74,28,54.92
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	18,21,91,781.00	14,92,46,575.00
c)	Earnings per share: Basic (₹)	13.41	4.98
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

23. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current year	Previous Year
1	Partly paid up investments	Nil	Nil
2	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	208,95,14.00	189,47,83.00
3	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	953,71,19.00	829,06,18.00
4	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5	Income Tax (Pending Litigation)	378,98,00.00	254,99,00.00
6	ESI, EPF and Stamp Act.	47,64.75	Nil

24. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹ 127,09,49.00 thousands (previous year ₹ 161,18,37.76 thousands). The amount is exclusive of applicable taxes.

25. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, premium deficiency reserve of ₹ 191,38,00.00 thousands (previous year ₹ 163,05,00.00 thousands) is provided as per IRDAI requirements.

26. निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा 198 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए सी एस आर प्रावधान अभिकलित किए हैं। आरंभिक प्रारक्षण, किए गए भुगतान एवं समाप्ति प्रारक्षण निम्नानुसार हैं

(₹ '000)

विवरण	राशि
सी एस आर गतिविधियों के लिए आरंभिक प्रारक्षण (क)	2,25,25.75
वर्ष के दौरान व्यय के लिए निर्धारित राशि (ख)	3,49,72.34
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन व्यय की गयी राशि (ग)	7,00,00.00
कुल उपलब्ध राशि (घ = क + ख + ग)	12,74,98.09
वर्ष के दौरान कुल व्यय (ङ)	7,57,63.00
सी एस आर गतिविधियों के अधीन व्यय न की गयी कुल राशि/शेष (च=घ-ङ)	5,17,35.09
सी एस आर के लिए निर्धारित कुल राशि	5,17,57.00

27. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

28. अनुसूचित बैकों के साथ अल्पावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹ 40,00,00.00 हज़ार की सावधि जमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा के लाभ हेतु सुरक्षा के रूप में रखा गया है।

29. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में:

(क) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹ 4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 4,99,25 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

(ख) निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹ 93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 93,17.00 हज़ार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

30. निवेश

(क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को ₹ 275,00,00.00 हज़ार अंकित मूल्य (बुक वैल्यू ₹ 290,58,37.42 हज़ार) को अलग कर दिया है जहां

26. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company has computed CSR provision for the year 2018-19 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ '000)

Particulars	Amount
Opening Reserve for CSR activities (A)	2,25,25.75
Amount committed to be spent (B)	3,49,72.34
Amount to be spent as per section 135 of Companies Act, 2013 (C)	7,00,00.00
Total available amount (D=A+B+C)	12,74,98.09
Amount actually spent during the year (E)	7,57,63.00
Total unspent amount balance under CSR activities (F=D-E)	5,17,35.09
Total Committed CSR	5,17,57.00

27. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

28. Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include Fixed Deposits of ₹ 40,00,00.00 thousands is kept with Bank as collateral security for availing overdraft facility.

29. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

(a) 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹ 4,99,25 thousands (previous year ₹ 4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

(b) 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹ 93,17 thousands (previous year ₹ 93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

30. Investments

(a) During the year, Company has segregated ₹ 275,00,00.00 thousands Face Value (Book Value ₹ 290,58,37.42 thousands) the value of the same as on 31st March, 2019 is ₹ 293,10,32.29 for

निवेश परिसंपत्तियों में से शेयरधारक फंड हेतु सॉल्वेंसी मार्जिन के रूप में रु. 293,10,32.29 म उपलब्ध है।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी का टाटा संस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में टाटा संस लिमिटेड) के डिबेंचर में कुल ₹ 70,00,00.00(अंकित मूल्य) का निवेश है। निवेश के समय यह बीमा अधिनियम तथा आईआरडीएआई निवेश शर्तों के अंतर्गत था। हालांकि, टाटा संस लिमिटेड का पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन के कारण यह निवेश बीमा अधिनियम,1938 (जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 27(क) 4 के अनुरूप नहीं रह गए हैं तथा इस अनुसार इन्हें अन्य निवेशों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है।

31. कर्मचारी लाभ:

(क) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

(ख) कंपनी प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

(ग) निश्चित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

(घ) आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को निश्चित लाभ योजना माना जाये।

(ङ) भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि, भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखा में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

(च) कंपनी के कर्मचारी कंपनी के छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टियों के पात्र हैं। लेखा वर्ष के अंतिम तारीख को जमा छुट्टी के कारण उत्पन्न देयता की, बीमांकिक मूल्यांकनों के

Shareholders Fund in excess of solvency margin out of the Investment assets.

(b) Company have investments of ₹70,00,00.00 thousands (Face Value) as on March 31, 2019 in the debentures of Tata Sons Private Limited (erstwhile Tata Sons Limited). At the time of investments these were within the ambit of both Insurance Act as well as IRDAI Investment regulations. However, subsequent to change in status of Tata Sons Limited from a Public Limited Company to a Private Limited Company, these investments are not in accordance with Section 27 (A) (5) of Insurance Act 1938 (as duly amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015), and accordingly have been classified as 'Other Investments'.

31. EMPLOYEE BENEFITS:

(a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

(b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.

(c) In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

(d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

(e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

(f) The employees of the company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of

आधार पर तुलन पत्र की तारीख को निश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर पहचान की गयी है।

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**तुलन पत्र में दर्शाया गया**		
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	45,12,51.38	41,50,84.89
	वर्ष के आरंभ में देयता	41,50,84.89	42,40,43.87
	तुलन पत्र में दर्शायी गयी अतिरिक्त देयता	(3,61,66.49)	(89,58.98)

(छ) उपदान तथा सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न ''निश्चित कर्मचारी लाभ योजना'' के अधीन कर्मचारी लाभ जिन पर वित्त व्यवस्था की गयी है, के विवरण निम्नानुसार हैं :-

पेंशन

(₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	314,44,07.54	314,54,62.46
	ब्याज मूल्य	24,40,06.03	23,59,09.68
	चालू सेवा लागत	10,71,90.84	10,87,67.37
	स्थानांतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(41,39,00.00)	(24,85,15.18)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	28,17,42.96	(9,72,16.79)
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	336,34,47.37	314,44,07.54
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	316,04,11.52	304,53,72.33
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन	24,52,47.93	22,84,02.92
	अंशदान	3,32,00.00	13,51,34.00
	स्थानांतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(41,39,00.00)	(24,85,15.18)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1,34,40.55	17.45
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	303,84,00.00	316,04,11.52

नोट: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैलेंस शीट में उपरोक्त ₹1,60,03.98 हज़ार की शुद्ध संपत्ति के विरुद्ध वास्तविक निवल देयता कुछ नही है। नतीजतन, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व खाते में स्वीकृत व्यय ₹ 35,82,87.37 हजार है।

the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current year	Previous Year
1	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	45,12,51.38	41,50,84.89
	Liability at the beginning of the year	41,50,84.89	42,40,43.87
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	(3,61,66.49)	(89,58.98)

(g) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

Pension

(₹ '000)

	Category	Current year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	314,44,07.54	314,54,62.46
	Interest Cost	24,40,06.03	23,59,09.68
	Current Service Cost	10,71,90.84	10,87,67.37
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(41,39,00.00)	(24,85,15.18)
	Actuarial (Gain) / Loss	28,17,42.96	(9,72,16.79)
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	336,34,47.37	314,44,07.54
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	316,04,11.52	304,53,72.33
	Expected return on Plan Assets	24,52,47.93	22,84,02.92
	Contributions	3,32,00.00	13,51,34.00
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(41,39,00.00)	(24,85,15.18)
	Actuarial Gain / (Loss)	1,34,40.55	17.45
	Plan Assets at the end of the year at fair value	303,84,00.00	316,04,11.52

Note: In FY 2017-18 net liability actually recognised in balance sheet is NIL as against net asset of ₹1,60,03.98 thousands disclosed as above. Consequently, expense recognised in Revenue Account for FY 2018-19 is ₹ 35,82,87.37 thousands.

	श्रेणी	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**तुलन पत्र में दर्शाया गया**		
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	336,34,47.37	314,44,07.54
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	303,84,00.00	316,04,11.52
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	32,50,47.37	(1,60,03.98)
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	10,71,90.84	10,87,67.37
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	(12,41.90)	75,06.76
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	26,83,02.41	(9,72,34.24)
	राजस्व खाते में दर्शाये गए व्यय	37,42,51.35	1,90,39.89

32. परिचालन पट्टे

कंपनी के पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जा सकता है। परिचालन पट्टों के लिए

उपदान

(₹ '000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	46,00,53.03	314,54,62.46
	ब्याज लागत	3,60,22.15	2,85,89.37
	चालू सेवा लागत	67,56.16	1,04,34.26
	विगत सेवा लागत – निहित लाभ		8,98,04.98
	प्रदत्त लाभ	(7,55,23.86)	(2,54,28.50)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	82,66.70	(3,55,19.53)
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	43,55,74.18	46,00,53.03
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	28,23,06.47	28,56,31.13
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन	2,21,04.60	2,08,22.51
	अंशदान	18,11,48.91	5,87.96
	स्थानांतरित परिसंपत्तियाँ	–	4,36.71
	प्रदत्त लाभ	(7,55,23.86)	(2,54,28.50)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1,03,99.06	2,56.66
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	42,04,35.18	28,23,06.47
3	**तुलन पत्र में दर्शाये गए**		

	Category	Current year	Previous Year
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	336,34,47.37	314,44,07.54
	Plan Assets at the end of the year at fair value	303,84,00.00	316,04,11.52
	Liability recognised in the Balance Sheet	32,50,47.37	(1,60,03.98)
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	10,71,90.84	10,87,67.37
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	(12,41.90)	75,06.76
	Actuarial (Gain) / Loss	26,83,02.41	(9,72,34.24)
	Expense recognised in the Revenue account	37,42,51.35	1,90,39.89

32. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are

Gratuity

(₹ '000)

	Category	Current year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	46,00,53.03	39,21,72.45
	Interest Cost	3,60,22.15	2,85,89.37
	Current Service Cost	67,56.16	1,04,34.26
	Past Service Cost – Vested Benefit		8,98,04.98
	Benefits paid	(7,55,23.86)	(2,54,28.50)
	Actuarial (Gain) / Loss	82,66.70	(3,55,19.53)
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	43,55,74.18	46,00,53.03
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	28,23,06.47	28,56,31.13
	Expected return on Plan Assets	2,21,04.60	2,08,22.51
	Contributions	18,11,48.91	5,87.96
	Assets Transferred In	-	4,36.71
	Benefits paid	(7,55,23.86)	(2,54,28.50)
	Actuarial Gain / (Loss)	1,03,99.06	2,56.66
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	42,04,35.18	28,23,06.47
3	**Recognized in the Balance Sheet**		

	श्रेणी	चालू वर्ष	गत वर्ष
	निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	43,55,74.18	46,00,53.03
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां	42,04,35.18	28,23,06.47
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	1,51,39.00	17,77,46.56
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	67,56.16	1,04,34.26
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	1,39,17.55	77,66.86
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(21,32.26)	(3,57,76.19)
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ	–	8,98,04.98
	राजस्व खाते में दर्शाये गए व्यय	1,85,41.35	7,22,29.91
5	अनुमान		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.78% (7.76%	7.79% (7.83%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन दर	7.78% (7.76%	7.79% (7.83%)
	वेतन वृद्धि	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यावर्त की दर	0.50%	0.50%
6	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**	
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

₹12,79,71.68 हज़ार (पिछले वर्ष रु 14,44,39.85 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है। ए एस 19 के अनुसार परिचालन पट्टे के लिए न्यूनतम भविष्य भुगतान की पट्टे की राशि रु ₹ 62,86,69.64 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 48,87,27.02 हज़ार) है।

33. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

(क) बकाया राशि ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)

(ख) वर्ष भर में किए गए विलंबित भुगतान ₹ (कुछ नहीं) पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) नहीं हैं।

(ग) देय ब्याज जहां देय तारीख के पश्चात देय मूलधन की अदायगी की गयी हो ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)

	Category	Current year	Previous Year
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	43,55,74.18	46,00,53.03
	Plan Assets at the end of the year at fair value	42,04,35.18	28,23,06.47
	Liability recognised in the Balance Sheet	1,51,39.00	17,77,46.56
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	67,56.16	1,04,34.26
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	1,39,17.55	77,66.86
	Actuarial (Gain) / Loss	(21,32.26)	(3,57,76.19)
	Past Service Cost – Vested Benefit	-	8,98,04.98
	Expense recognised in the Revenue account	1,85,41.35	7,22,29.91
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting	7.78% (7.76%)	7.79% (7.83%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.78% (7.76%)	7.79% (7.83%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%
6	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**	
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹12,79,71.68 thousands (previous year ₹14,44,39.85 thousands). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹62,86,69.64 thousands (previous year ₹48,87,27.02 thousands).

33. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

(a) Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

(b) Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

34. कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों के व्ययों (अनुसूची 2) को ₹ 150,82,70.98 (पिछले वर्ष ₹ 185,61,14.03) निवल व्ययों में दर्शाया गया है जैसे वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि।

35. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 067/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मार्च 08 दिनांक 28.03.2008 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i	आउटसोर्सिंग व्यय	15,27,74.40	8,11,43.89
ii	कारोबार विकास	1,52,98.19	1,39,38.23
iii	विपणन समर्थन	4,99,91.65	9,76,03.13

36. गैर–जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध 2 में संलग्न है।

37. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम हानि अधिकता तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़

	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	धारण	%	पुनर्बीमा को सौंपा गया	%
2018-19	1247,54,25.98	870,02,07.14	69.74%	377,52,18.84	30.26%
2017-18	1240,41,70.70	838,82,48.95	67.62%	401,59,21.75	32.38%

38. आई आर डी ए आई परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 तथा परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / 114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावित राशि की अवधि वार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 3क तथा 3ख में दर्शाया गया है।

39. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मई 09 दिनांक 07.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

(c) Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ` NIL).

34. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹ 150,82,70.98 thousands (previous year ₹ 185,61,14.03 thousands) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

35. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Outsourcing Expenses	15,27,74.40	8,11,43.89
ii	Business Development	1,52,98.19	1,39,38.23
iii	Marketing Support	4,99,91.65	9,76,03.13

36. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

37. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

	Premium Statistics for the Period April 2018 to March 2019				
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2018-19	1247,54,25.98	870,02,07.14	69.74%	377,52,18.84	30.26%
2017-18	1240,41,70.70	838,82,48.95	67.62%	401,59,21.75	32.38%

38. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 and Circular no. IRDA/F&A/CIR/114/05/2015 dated 28/05/2015 is given in Annexure – 3A & 3B.

39. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

			राशि ₹ '000		
क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कमी
1	बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	जीएसटी प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /फेमा के अधीन ट्रिब्यूनल अथवा अन्य कोई प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	कंपनी अधिनयम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड , जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है।			
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	अन्य कोई केंद्र/ राज्य/स्थानीय शासन/सांविधिक प्राधिकारी	*क) ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 57 दैनिक वेतन अर्जक कर्मकारो के संबंध में	43,18.04	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		**ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948.	0.19	0.19	कुछ नहीं
		***ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976.	1,12,55.47	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		****घ) महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958	4,46.71	कुछ नहीं	कुछ नहीं

			Amount in ₹ '000		
Sr. No	Authority	Non-ompliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2	GST Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3	Income Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
4	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under The Companies Act, 2013	NIL	NIL	NIL	NIL
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority	*a) EPF & MP Act, 1952 in respect of 57 casual workers.	43,18.04	NIL	NIL
		**b) Employee State Insurance Act, 1948.	0.19	0.19	NIL
		***c) Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952, and Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976.	1,12,55.47	NIL	NIL
		****d) The Maharashtra Stamp Act, 1958	4,46.71	NIL	NIL

नोट:-

*क) ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 57 दैनिक वेतन अर्जक कर्मकारो के संबंध में-सहायक भ.नि. आयुक्त, ईपीएफओ द्वारा अधिनियम की धारा 6,6क तथा 6ग को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 3 तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना,1976 के पैरा 8(1) के साथ पढे जाने के अंतर्गत 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के मध्य ईपीएफ योगदान, ईपीफ प्रशासन/निरीक्षण शुल्क, ईडीएलआई योगदान तथा ईडीएलआई प्रशासन/निरीक्षण शुल्क हेतु कुल रु 43,18.04 हज़ार की क्षति तथा 24,27.92 हज़ार के ब्याज के लिये नोटिस जारी किए। कम्पनी द्वारा सहायक पी.एफ. आयुक्त के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है जैसा कि क्षेत्रीय पी.एफ. आयुक्त के आदेशानुसार ईपीएफओ को पी.एफ. अंशदान का भुगतान किया गया था अतः इस मामले में यदि कोई ज़िम्मेदारी बनती है तो वो पी.एफ. अंशदान के विलम्ब से भुगतान के कारण ब्याज के भुगतान की होगी। इस मामले की सुनवाई 11.04.2019 को तय की गई है।

**ख) सितंबर 2014, नवंबर 2014, जनवरी 2015 और नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के महीनों के लिए अस्थायी कामगार के संबंध में नियोक्ता के योगदान में देरी के लिए दिल्ली मेट्रो शाखा को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 40 के तहत 19.02.2019 को जुर्माने की रु. 0.19 हज़ार की राशि का भुगतान करने के लिये नोटिस प्राप्त हुआ है। उक्त का भुगतान कर दिया गया।

***ग) ई.पी.एफ. तथा एम.पी. अधिनियम, 1952(अधिनियम)- एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा अधिनियम की धारा 6, 6 क तथा 6 ग को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 3 तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना,1976 के पैरा 8(1) के साथ पढे जाने के अंतर्गत जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि के दौरान ईपीएफ योगदान, ईपीफ प्रशासन/निरीक्षण शुल्क, ईडीएलआई योगदान तथा ईडीएलआई प्रशासन/निरीक्षण शुल्क हेतु कुल 1,12,55.47 हज़ार रु की क्षति तथा 1,03,28.89 हज़ार के ब्याज के लिये 3 नोटिस जारी किए ।कम्पनी द्वारा तीन नोटिसों में से एक नोटिस दिनांक 03 मई,2019 को सुनवाई,प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, हेतु निर्धारित है।

Note:-

*a) EPF & MP Act, 1952 in respect of 57 casual workers - A Summon dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.6, 6A and 6C of the Act read along with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, 3 of Employees' Pension Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 for payment of damages of ₹43,18.04 thousands and interest of ₹ 24,27.92 thousands for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017 towards EPF Contribution, EPF Administration/ Inspection Charges, EDLI Contribution and EDLI Administration/Inspection Charges. The Company is contesting the matter before the Asst. PF Commissioner since PF contribution to EPFO was made by the Company while following the orders of Regional PF Commissioner, hence the liability, if any in the matter would be on account of payment of interest on delayed PF Contribution, at the applicable rate. Presently, the matter has been scheduled for hearing on 11.04.2019.

**b) Notice dated 19.02.2019 under Section 40 of Employees' State Insurance Act, 1948 received by Delhi Metro Branch for delay in employer contribution in respect of Casual Workers for the months of September 2014, November 2014, January 2015 and November 2017 to February 2018 to pay an amount of `0.19 thousands towards penalty. The same was paid.

***c) Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act)- APFC, EPFO has issued 3 notices dated 12.03.2019 under Section 6, 6A and 6C of the Act read with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, 3 of Employees' Pension Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 for the period July 1989 to August 2016 in respect of Casual Workers towards EPF Contributions, EPF Administration/ Inspection Charges, EDLI Contributions and EDLI Administration/ Inspection charges totalling to damages of ₹1,12,55.47 thousands and Interest of ₹1,03,28.89 thousands. Out of the three notices, one notice is scheduled for hearing on May 03, 2019 for submissions if any, by the Company.

**** घ) महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु 7,20.50 हज़ार रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत 4,46.71 हज़ार रुपए का दंड लगाया था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु, आईआरडीआईए के दिनांक 07.05.2009 को जारी परिपत्र के अनुसार आवश्यक, अतिरिक्त प्रकटीकरण

हालाँकि, हमने 22/01/2015 को पंजीकरण उप महानिरीक्षक के समक्ष हमारे मामले का प्रतिनिधित्व जुर्माने की छूट के सम्बंध में किया तथा मामले के शीघ्र निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकरण के साथ लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।

40. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए /एफ एंड आई / परि/ एफ ए /126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

41. बैठक के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा 3 रु प्रति शेयर का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा गया है जो कि वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदन पर निर्भर करता है। कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार संशोधित ए एस-4 के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद आकस्मिकताओं और घटनाओं के संदर्भ में, कंपनी द्वारा ₹ 72,33,31.76 हजार रुपये के कर सहित प्रस्तावित लाभांश का विनियमन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से नहीं किया गया है।

42. कंपनी द्वारा वर्तमान वर्ष में बकाया दावों के लिए प्राक्कलन के अपने तरीके को बदलाव किया है। संशोधित नीति का उल्लेख अनुसूची 16 के पैरा 8 में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत किया गया है। बकाया दावों के प्रावधान के अनुमानों में इस तरह के बदलाव का प्रभाव ₹ 199,29,85.37 हजार से कम है, एवं लाभ को भी उक्त राशि के रूप में दर्शाया गया है।

43. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की तुलना हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/वर्गीकृत किया गया है।

****d) The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46.71 thousands, for non-payment of stamp duty of ₹7,20.50 thousands payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

Additional Disclosure for the Financial Year 2018-19 as required under IRDAI Circular dated 07.05.2009

However, we have represented our case on 22/01/2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. The matter is pending for hearing.

40. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated on pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

41. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of `3 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend including tax amounting to ₹ 72,33,31.76 thousands from the Profit Loss Account for the year ended on March 31, 2019.

42. The Company has changed its method of estimating provision for outstanding claims in the current year. The revised policy is mentioned at para 8 in Schedule 16 'Significant Accounting Policies'. The impact of such change in estimates of provision for outstanding claims is lower by ₹ 199,29,85.37 thousands.

43. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures.

(गीता मुरलीधर) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक **(Geetha Muralidhar)** Chairman cum Managing Director	**(बिद्युत बिहारी स्वाईं)** निदेशक **(Bidyut Behari Swain)** Director

(सरनाला मालती रानी) निदेशक **(Saranala Malathi Rani)** Director	**(उमा शंकर)** निदेशक **(Uma Shankar)** Director	**(माणेक एरूच डावर)** निदेशक **(Maneck Eruch Davar)** Director
(एम सेंथिलनाथन) कार्यपालक निदेशक **(M Senthilnathan)** Executive Director	**(ईशनाथ झा)** मुख्य वित्तीय अधिकरी **(Ishnath Jha)** Chief Financial Officer	**(स्मिता वी पंडित)** कम्पनी सचिव **(Smita Pandit)** Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:
As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स चार्टेड एकाउंटेट फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W **For Banshi Jain & Associates** Chartered Accountants Firm Registration No. 100990W	**कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी** चार्टेड एकाउंटेट फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015 **For abm & associates LLP** Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015
(अनुज बी. गोलेचा) भागीदार - M. No. 117617 **(Anuj B. Golecha)** Partner - M.No. 117617	**(अनिल चिकोडि)** भागीदार- M. No. 107659 **(Anil Chikodi)** Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध – 1(क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं		
	The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में		
	a) In India	Nil	Nil
	ख) भारत के बाहर	कुछ नही	कुछ नही
	b) Outside India	Nil	Nil
2	बकाया दायित्व	कुछ नही	कुछ नही
	Commitments Outstanding		
	(प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार)		
	(as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता		
	a) Commitments made and outstanding for loans and investments	Nil	Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित)	कुछ नही	कुछ नही
	b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	127,09,49.00	161,18,37.76
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर		
	Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में		
	a) In India	720,60,03.58	811,36,21.19
	ख) भारत के बाहर		
	b) Outside India	Nil	Nil
4	जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, किसी भी प्रकार	कुछ नही	कुछ नही
	Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	Nil	Nil
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे	कुछ नही	कुछ नही
	Claims outstanding for more than six months		
	(सकल – भारतीय)		
	(Gross - Indian)		
	दावों की संख्या		
	Number of Claims	129	144
	राशि		
	Amount	1306,89,77.88	1160,08,61.16
	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे		
	Claims outstanding for less than six months		
	(सकल – भारतीय)		
	(Gross - Indian)		
	दावों की संख्या		
	Number of Claims	467	409
	राशि		
	Amount	1944,46,32.12	1134,57,52.97
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल – भारतीय)		
	Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	596	553
	राशि		
	Amount	3251,36,10.00	2294,66,14.13

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	870,02,07.14	838,82,48.95
	भारत के बाहर Outside India	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	435,01,03.57	419,41,24.48
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की सं. 4.6 का संदर्भ ले।	Refer Point No. 4.6 of Significant Accounting Policy
12	ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर निवेशमेन कमी का प्रावधान है। Basis of amortisation of debt securities Provision for diminution in the value of the investments	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	333,71,71.35	320,36,98.57
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	333,71,71.35	320,36,98.57

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited	पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited
14	निगम ने रीयल स्टेट निवेश संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15			
	क तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं A Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या Number of claims	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
	राशि Amount	Nil कुछ नही	Nil कुछ नही
	ख वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं B All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
C			
1	वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में – बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000.00 lacs)	N.A लागू नही	N.A लागू नही
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	N.A लागू नही	N.A लागू नही
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश / Performing(Standard) Investments	10561,05,42.14	8799,04,10.36
	अनर्जक निवेश / Non Performing Investments	110,00,00.00	5,00,00.00
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) / Total Book Value(Closing Value)	10671,05,42.14	8804,04,10.36
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise		
	जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है । A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	अनुसूची 1(ख) के अनुसार As per Annexure 1b	अनुसूची 1(ख) के अनुसार As per Annexure 1b

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited	पछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited	वृद्धि % Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम / Gross Premium	1247,54,25.98	1240,41,70.70	0.57
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	870,02,07.14	838,82,48.95	3.72
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) / Net Retention Ratio (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) (Net Premium/Gross Premium)	69.74	67.62	3.13
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	15.72	8.23	91.05
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	7.04	3.30	113.33
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	5.48	1.82	201.10
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	24.07	16.87	42.68
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	52,61.06	20,76.55	153.36
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	435,01,03.57	419,41,24.48	3.72%
	बकाया दावे / Outstanding Claims	5877,71,65.59	5345,88,46.99	9.95%
	प्रीमियम में कमी / Premium Deficiency	191,38,00.00	163,05,00.00	17.38%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण/ Total Technical Reserves	6504,10,69.16	5928,34,71.47	9.71%
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	870,02,07.14	838,82,48.95	3.72%
	अनुपात / Ratio	7.48	7.07	5.78

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध – 1 (ख) Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ 000)

		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
	परिचालन परिणाम **OPERATING RESULTS**					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1247,54,25.98**	1240,41,70.70	1267,62,48.71	1320,72,97.15	1362,39,79.11
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95	839,64,91.37	903,49,64.18	1054,37,98.10
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**484,33,90.96**	421,18,52.23	377,94,12.18	352,13,64.65	294,39,41.80
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts)	**2,34,38.90**	3,85,05.23	2,48,01.65	4,33,22.99	3,17,39.19
5	कुल आय Total Income	**1356,70,37.00**	1263,86,06.41	1220,07,05.20	1259,96,51.82	1351,94,79.09
6	कमीशन (शुद्ध) (दलाली सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	**(51,56,04.98)**	(58,09,97.22)	(70,04,80.73)	(67,71,01.89)	(57,48,18.88)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	**265,94,06.60**	192,78,45.75	195,49,31.98	185,56,64.81	205,16,70.95
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	**1141,16,19.58**	1138,58,81.99	1056,65,01.81	1000,62,50.19	1163,50,03.52
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	**(15,59,79.10)**	41,21.21	31,92,36.41	(34,75,83.63)	(35,10,70.70)
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	**(42,76,63.30)**	(130,05,02.90)	138,09,89.14	106,72,55.08	5,65,52.80
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' account	**357,15,43.20**	253,46,72.77	269,39,52.70	280,63,42.87	249,50,85.62
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	**314,38,79.90**	123,41,69.87	407,49,41.84	387,35,97.95	255,16,38.42
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	**70,00,52.77**	55,49,97.61	125,35,00.55	111,13,31.25	75,06,81.65
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	**244,38,27.13**	67,91,72.26	282,14,41.29	276,22,66.70	180,09,56.77

		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारक खाता* Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**6923,69,85.54**	6289,14,37.20	5640,60,00.59	5150,48,47.08	4390,03,38.53
	कुल निवेश Total Investments #	**6722,76,41.55**	5458,50,54.42	4996,80,82.41	4294,57,16.75	3853,64,62.72
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.76**	9.08	8.50	8.40	8.65
16	शेयरधारक का खाता * Shareholders Account' *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**4066,29,91.51**	3854,63,64.73	3760,40,00.39	3579,15,03.91	3449,31,23.13
	कुल निवेश Total Investments #	**3948,29,00.59**	3345,53,55.94	3331,20,54.94	2984,36,33.68	3027,86,49.28
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.76**	9.08	8.50	8.40	8.65
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	**2000,00,00.00**	1500,00,00.00	1450,00,00.00	1300,00,00.00	1200,00,00.00
18	निवल मालियत Net Worth	**4463,41,14.66**	3737,11,20.47	3619,19,48.21	3279,34,83.97	2988,95,41.98
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	**11840,49,31.53**	10447,07,12.65	9775,15,06.80	8899,09,10.64	8047,60,82.85
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	**8.76**	9.08	8.50	8.40	8.65
21	प्रति शेयर आय (रु) Earnings Per Share (Rs.)	**13.41**	4.98	20.90	22.15	15.70
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (रु) Book Value per share (Rs.)	**2,23.17**	2,70.50	2,70.45	2,59.51	2,63.49
23	कुल लाभांश Total Dividend	**-**	15,00,00.00	72,50,00.00	65,00,00.00	48,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रु) Dividend per share (Rs.)	**-**	1.00	5.00	5.00	4.00

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

\# अनुसूची 11–नकद बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं ।

\# Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918/ **CIN: U74999MH1957GOI010918**

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि को विश्लेषण अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March 2019

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / **Annexure 2 to Schedule 17**

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1247,54,25.98**	1240,41,70.70
	वृद्धि Growth	**0.57%**	-2.15%
2	निवल मूल्य के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	**1247,54,25.98**	1240,41,70.70
	निवल मूल्य (समाप्ति) Net Worth (Closing)	**4463,41,14.66**	3737,11,20.47
	अनुपात (गुना) Ratio (times)	**0.28**	0.33
3	निवल मूल्य की वृद्धि दर Growth Rate of Net Worth		
	निवल मूल्य (प्रारंभिक) Net Worth (Opening)	**3737,11,20.47**	3619,19,48.21
	निवल मूल्य (समाप्ति) Net Worth (Closing)	**4463,41,14.66**	3737,11,20.47
	निवल मालियत की Growth rate of Net Worth	**19.43%**	3.26%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1247,54,25.98**	1240,41,70.70
	निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio	**69.74%**	67.62%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	**(51,56,04.98)**	(58,09,97.22)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	अनुपात Ratio	**-5.93%**	-6.93%

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात की तुलना में प्रबंधन व्यय का अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**300,33,06.98**	209,20,08.35
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1247,54,25.98**	1240,41,70.70
	अनुपात Ratio	**24.07%**	16.87%
7	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय का अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**300,33,06.98**	209,20,08.35
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम Net Written Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	अनुपात Ratio	**34.52%**	24.94%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1141,16,19.58**	1138,58,81.99
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**854,42,28.04**	839,23,70.16
	अनुपात Ratio	**133.56%**	135.67%
9	सम्मिलित अनुपात Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1141,16,19.58**	1138,58,81.99
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**854,42,28.04**	839,23,70.16
	अनुपात (क) Ratio (a)	**133.56%**	135.67%
	प्रबंधन व्यय Expenses of management	**241,68,86.26**	146,10,44.07
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Written Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	अनुपात (ख) Ratio (b)	**27.78%**	17.42%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) Combined Ratio (a + b)	**161.34%**	153.09%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims	**5877,71,65.59**	5345,88,46.99

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks	**435,01,03.57**	419,41,24.48
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि Reserve for Premium Deficiency	**191,38,00.00**	163,05,00.00
	कुल Total	**6504,10,69.16**	5928,34,71.47
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**7.48**	7.07
11	हामीदारी शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio		
	हामीदारी लाभ Underwriting Profit	**(538,18,29.32)**	(561,22,37.62)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**854,42,28.04**	839,23,70.16
	अनुपात Ratio	**-62.99%**	-66.87%
12	परिचालन लाभ अनुपात Operating Profit Ratio		
	हामीदारी लाभ Underwriting Profit	**(538,18,29.32)**	(561,22,37.62)
	निवेश आय Investment Income	**493,07,27.12**	427,32,29.49
	राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account	**2,34,38.90**	3,85,05.23
	परिचालन लाभ Operating Profit	**(42,76,63.30)**	(130,05,02.90)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**854,42,28.04**	839,23,70.16
	अनुपात Ratio	**-5.01%**	-15.50%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ Liquid Assets	**1701,26,77.40**	1141,65,09.36
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ Policy Holder Liabilities	**6504,10,69.16**	5928,34,71.47
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**0.26**	0.19

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
14	शुद्ध अर्जन अनुपात Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**244,38,27.13**	67,91,72.26
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**870,02,07.14**	838,82,48.95
	अनुपात Ratio	**28.09%**	8.10%
15	शुद्ध मूल्य पर प्राप्ति Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**244,38,27.13**	67,91,72.26
	निवल मालियत Net Worth	**4463,41,14.66**	3737,11,20.47
	अनुपात Ratio	**5.48%**	1.82%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता Available Solvency Margin	**3929,70,51.64**	3561,22,06.93
	आवश्यक शोधन क्षमता Required Solvency Margin	**377,78,26.05**	361,17,23.43
	अनुपात(गुना) Ratio (Times)	**10.40**	9.86
17	अनर्जक खाता अनुपात NPA Ratio		
	निवेश Investment	**1.031%**	0.057%
	फ़ैक्टरिंग Factoring	**100%***	100%*

*अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया.

*No fresh business done since April 2010.

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए अनुपातों की गणना, आई आर डी ए के दिनांक 05 दिसंबर 2012 के मास्टर परिपत्र आई आर डी ए/एफ आई/परि/एफ ए/ 231/10/212 एवं दिनांक 03 जुलाई 2013 के शुद्धि पत्र आई आर डी ए/एफ ए/परि/126/07/2013 जो कि 2013-14 से प्रभावी हैं, के अनुसार की गई है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman cum Managing Director

(बिद्युत बिहारी स्वाईं)
निदेशक
(Bidyut Behari Swain)
Director

(सरनला मालती रानी)
निदेशक
(Saranala Malathi Rani)
Director

(उमा शंकर)
निदेशक
(Uma Shankar)
Director

(माणेक एरूच डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M Senthilnathan)
Executive Director

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकरी
(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी पंडित)
कम्पनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:
As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

(अनिल चिकोडि)
भागीदार- M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 01091 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31.03.2019 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि

Due to Insured - Unclaimed as on 31st March, 2019

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क / Annexure 3(A) to Schedule 17

Amount in ₹ ' 000

क्रं. सं. Sl. No	विवरण / Particulars	कुल राशि Total Amount	1–6 माह 1-6 months	7–12 माह 7-12 months	13–18 माह 13-18 months	19–24 माह 19-24 months	25–30 माह 25-30 months	31–36 माह 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकद्मेबाजी को छोडकर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders / insureds due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	80,96.26	-	13.32	9.35	6,84.61	1,26.17	74.90	71,87.91
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉ.धा. द्वारा भुनाए नहीं गये Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured	60,27.84	95.09	8,50.90	1,28.76	2,01.69	74.24	14,40.14	32,37.02
	Total	**1,41,24.10**	**95.09**	**8,64.22**	**1,38.11**	**8,86.30**	**2,00.41**	**15,15.04**	**1,04,24.93**

नोट: उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।

Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 01091 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2019 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण
Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31st March, 2019

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (I) / **Annexure 3(B) to Schedule 17**

Amount in ₹ '000

विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 तक As on 31-March-2019	31 मार्च 2018 तक As on 31- March-2018
आरंभिक शेष Opening Balance	1,59,83.04	1,69,71.57
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अदावित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Amount during the year	14,09.83	13,85.63
जोड़ें: अदावित राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	16,87.17	54.34
जोड़ें : निवेश आय Add: Investment Income	8,11.66	7,70.63
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि Less: Amount paid during the year	32,57.10	31,99.13
अदावित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount	1,66,34.60	1,59,83.04

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918/ **CIN: U74999MH1957GOI010918**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा/(नकद प्रवाह) विवरण

Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2019

Amount in ₹ '000

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
क A	**संचालन की गतिविधि से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY**		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	**1291,09,27.54**	1228,58,30.36
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	**132,26,61.48**	188,68,14.06
3	कमीशन और दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	**(41,02,62.61)**	17,05,28.68
4	दावों का भुगतान Payments of Claims	**(1013,30,71.71)**	(1283,16,55.91)
5	कमिशन और दलाली के भुगतान Payments of Commission & Brokerage	**(4,06,71.04)**	(4,99,67.06)
6	अन्य परिचालन खर्च का भुगतान Payments of Other operating expenses	**(193,34,10.79)**	(181,28,28.61)
7	जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	**(12,42,88.84)**	(11,15,89.24)
8	आयकर अदा (शुद्ध) Income Tax Paid (Net)	**542,60,86.32**	(116,13,41.98)
9	जीएसटी / सेवा कर का भुगतान किया GST/ Service Tax Paid	**(2,64,24.10)**	(4,29.12)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध) Other Paymens/ Collection (net)	**(10,77,15.22)**	(1,17,26.44)
	असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	**688,38,31.03**	**(163,63,65.24)**
11	**अतिरिक्त साधारण संचालन से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations**	**-**	**-**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**688,38,31.03**	**(163,63,65.24)**
	प्रधान कार्यालय से शाखाओं को निधी अंतरण Fund Transfer received from HO to Branches		
	प्रधान कार्यालय के अंतर्गत निधी अंतरण Fund Transfer within HO		
ख B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजी कार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	**(44,68,01.95)**	(18,49,55.39)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	**1,43.56**	5,75.50
3	निवेश की खरीद और बिक्री की शुद्ध राशि Net of Purchase and Sale of Investments	**(1693,55,48.49)**	(356,11,69.17)
4	किराया / ब्याज / लाभांश प्राप्त हुआ Rent / Interest / Dividends Received	**716,04,57.51**	630,44,99.31
5	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च 2019 31 March 2019	31 मार्च 2018 31 March 2018
6	निवेश से संबंधित खर्च Expenses related to investments	**(96,82.82)**	(1,73,23.80)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**(1023,14,32.19)**	**254,16,26.45**
ग C	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
1	शेयर पूँजी जारी करने की कार्यवाही Proceeds from issuance of share capital	**500,00,00.00**	50,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान Interest / Dividend paid	**(15,00,00.00)**	(72,50,00.00)
3	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	**(3,08,32.94)**	(14,75,92.94)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (घ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**481,91,67.06**	**(37,25,92.94)**
घ D	**नकद और नकद समकक्ष, शुद्ध पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net (D)**	**(2,27.60)**	**(1,61.38)**
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ) Net Cash Flow (A+B+C+D)	**147,13,38.30**	**53,25,06.89**
ड़ E	**नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि: Net increase in Cash and Cash equivalents:**		
1	-- साल की शुरुआत में -- at the beginning of the year	**504,86,59.57**	451,61,52.68
2	-- साल के अंत में -- at the end of the year	**651,99,97.87**	504,86,59.57
	नकद और नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	**147,13,38.30**	**53,25,06.89**

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(Geetha Muralidhar)
Chairman cum Managing Director

(बिद्युत बिहारी स्वाईं)
निदेशक
(Bidyut Behari Swain)
Director

(सरनला मालती रानी)
निदेशक
(Saranala Malathi Rani)
Director

(उमा शंकर)
निदेशक
(Uma Shankar)
Director

(माणेक एरूच डावर)
निदेशक
(Maneck Eruch Davar)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M Senthilnathan)
Executive Director

(ईशनाथ झा)
मुख्य वित्तीय अधिकरी
(Ishnath Jha)
Chief Financial Officer

(स्मिता वी पंडित)
कम्पनी सचिव
(Smita Pandit)
Company Secretary

समान दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार:
As per our report of even date attached

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडि)
भागीदार- M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019

Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

प्रबंधन की रिपोर्ट

MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV की आवश्यकतानुसार।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2018-19 के लिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है/प्रावधान किया जा चुका है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों-ऋणों, निवेशों, विविध देनदारों, नकद तथा चालू परिसंपत्तियों के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ₹ 100000,00,00 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹ 97870,52,00 हजार है। कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए आई द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधिवार विवरण अनुबंध ख के अनुसार है।
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि अनुबंध खख के अनुसार है।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2018-19.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.
7. The overall exposure of the Company is ₹ 97870,52,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.
8. We do not have any overseas operations.
9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per Annexure I.
10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per Annexure II.

11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।
12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है ।
13. हम पुष्टि करते हैं कि :–
    क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।
    ख. वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा
    ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।
    घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।
    ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।
14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले समव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
12. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on IRDAI norms.
13. We hereby confirm:
    a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.
    b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.
    c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
    d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
    e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.
14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited

(गीता मुरलीधर) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक **(GEETHA MURALIDHAR)** Chairman cum Managing Director	**(बिद्युत बिहारी स्वाईं)** निदेशक **(BIDYUT BEHARI SWAIN)** Director	**(सरनला मालती रानी)** निदेशक **(SARANALA MALATHI RANI)** Director
(उमा शंकर) अध्यक्ष **(UMA SHANKAR)** Director	**(मानेक एरुच डावर)** अध्यक्ष **(MANECK ERUCH DAVAR)** Director	**(एम् सेंथिलनाथन)** कार्यपालक निदेशक **(M SENTHILNATHAN)** Executive Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

अनुबंध I
Annexure I

वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर बकाया लंबित दावे
Ageing of Claim outstanding as on Financial Years end

(₹ '000)

अवधि Period	2018-19		2017-18		2016-17		2015-16		2014-15	
	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	137	433,26,82.28	152	222,40,53.78	100	289,62,03.90	145	217,79,07.35	124	385,48,79.31
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	330	1511,19,49.84	257	912,16,99.19	185	1010,91,08.40	194	615,90,11.25	163	902,22,13.37
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	94	761,31,39.08	84	730,94,48.66	145	1113,28,86.64	90	603,93,29.10	26	243,57,75.35
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	35	545,58,38.80	60	429,14,12.50	36	391,34,63.50	27	178,98,69.62	3	74,09,81.73
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग Total	**596**	**3251,36,10.00**	**553**	**2294,66,14.13**	**466**	**2805,16,62.44**	**456**	**1616,61,17.32**	**316**	**1605,38,49.76**

अनुबंध II
Annexure II

वित्तीय वर्षों के दौरान दावा निपटान के मामलों मे लगने वाला समय
Ageing of Claim settlement during Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2018-19		2017-18		2016-17		2015-16		2014-15	
	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved	सं No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	48	8,36,74.42	79	20,10,79.22	126	25,98,28.19	144	38,34,82.06	116	33,19,92.26
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	538	313,44,99.37	481	262,48,56.37	538	376,97,39.86	345	172,36,21.94	378	274,93,34.63
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	88	292,01,80.79	91	847,69,72.78	84	242,82,44.91	76	646,47,23.07	48	233,53,19.89
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	51	399,47,17.13	27	152,87,47.54	30	239,55,77.20	14	265,65,80.20	3	48,16,64.90
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग **Total**	**725**	**1013,30,71.71**	**678**	**1283,16,55.91**	**778**	**885,33,90.16**	**579**	**1122,84,07.27**	**545**	**589,83,11.68**

* कम्पनी केवल एक खंड 'निर्यात ऋण बीमा' में परिचालन करती है । अत: किसी प्रकार की खंडवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

*** The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided.**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITOR'S REPORT

बंशी जैन एण्ड एसोसिएट चार्टेड एकाउंटेंट 5वां तल, ला मैगसिन, रूपकला स्टोर के उपर, एस.वी. रोड, सांताक्रूज़ पश्चिम मुम्बई – 400054	एबीएम एंड एसोसिएट्स एल एल पी चार्टेड एकाउंटेंट कार्यालय संख्या. 1, अभिषेक बिल्डिंग, बी– 72/2, सेक्टर 23, सीवुड्स, नेरूल, नवी मुम्बई – 400706

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

राय

हमने ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता, तत्समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ और भुगतान खाता) तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश, जिसमें भारत में स्थित साठ शाखाओं की प्राप्तियां शामिल है एवं जिसमें से अट्ठावन शाखाएं नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आई.आर.डी.ए.आई) और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत बनाये गए नियमो को इस प्रकार बनाया गया है, जैसा कि आवश्यक हो तथा कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने में सक्षम हो । 31 मार्च, 2019 को अब तक इससे संबंधित है:

i. तुलन पत्र के विषय में दिनांक 31 मार्च 2019 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति

ii. राजस्व खाते के विषय में, उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष से ;

iii. लाभ तथा हानि खाते के विषय में, उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु लाभ से ;

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियां तथा भुगतान खाते) के संदर्भ में, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान;

Banshi Jain and Associates Chartered Accountants 5th Floor, La Magasin, Above Roopkala Store S V Road, Santacruz West,Mumbai – 400054	abm & associates LLP Chartered Accountants Office No. 1, Abhishek Building, B-72/2, Sector 23, Seawoods, Nerul, Navi Mumbai – 400706

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, which includes the returns of sixty branches situated in India out of which fifty eight branches are audited by appointed branch auditors.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 ("IRDAI") and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013 ("the Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019 in so far as it relates to:

i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019

ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;

iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व नामक हमारी रिपोर्ट के एक भाग के अंतर्गत आगे वर्णित किया गया है। हम, भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार, साथ ही बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण बीमा अधिनियम1999 के अंतर्गत स्थापित तथा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं हेतु बने अधिनियम और प्रावधान के नियमों के अधीन कंपनी से स्वतंत्र हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो हमें प्राप्त हुए है वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का विश्लेषण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

क. इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जोखिम के संबंध में अनुसूची (17) के नोट सं. 6 (बी)।

ख. टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (पहले टाटा संस लिमिटेड) में निवेश के संदर्भ में अनुसूची 17 का नोट सं 30 (बी) बीमा अधिनियम 1938(बीमा कानून (संशोधित) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित) के अनुभाग 17 (क)(4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है.

ग. अनुसूची 17 में नोट सं 3 उन सम्पत्तियों के विषय में है जहाँ उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकतायें पूरी नहीं हुई हैं और संपत्तियां जहाँ समझौते खो गए है/वर्तमान में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि मूल प्रमाणपत्र कम्पनी के कब्ज़े में हैं जो कम्पनी को संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ निहित करती हैं.

घ. देनदारियों के संबंध में उन सम्पत्तियों का सक्रिय मूल्यांकन जिन्हें व्यक्त किया गया है परन्तु रिपोर्ट नहीं किया गया है,जिन्हें व्यक्त किया गया है परन्तु जिसकी पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं की गई है तथा 31 मार्च 2019 के अनुसार प्रीमियम में कमी को कम्पनी के नियुक्ति अधिनियम द्वारा बिधिक रूप से प्रमाणित किया गया है तथा हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है. कम्पनी के नियुक्ति बीमांकिक में भी प्रमाणित किया कि इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणाएं आईआरडीए और इंसटीट्यूट ऑफ एक्चुरीज़ ऑफ इंडिया के साथ सहमती में निर्धारित दिशा निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 6(b) to Schedule 17 regarding exposure of Non-Convertible Debentures of the Company to Infrastructure Leasing & Finance Company.

b. Note no. 30 (b) to Schedule 17 with respect to investment in Tata Sons Pvt. Ltd. (erstwhile Tata Sons Ltd.) are not in accordance with the provisions of section 27 (A) (4) of Insurance Act 1938 (as duly amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015).

c. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;

d. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2019 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Company and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI;

ङ. अनुसूची 17 में नोट सं. 14, विविध देनदार के अंतर्गत कुछ शेषों के अनुवर्ती समायोजन के लम्बित मिलान, विविध लेनदार एवं जमाएं, अन्य देनदारियाँ, ऋण, अग्रिम तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य सम्पत्तियां तथा रक्षित के व्यक्तिगत बही बकाया सहित विविध जमाएँ न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खाते के सम्बन्धित है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत मे सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार इन वित्तीय विवरणों, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह (प्राप्तियाँ तथा वसूलियां) का सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है। इस ज़िम्मेदारी में, बीमा अधिनियम 138, भारतीय बीमा एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, तथा धोखों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचाननें, उचित लेखा नीतियो के चयन तथा प्रयोग करने, उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा बनाने, उन्हें कार्यान्वियित करने तथा उनके रखरखाव के लिए ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक तथा सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने वाले तथा धोखे अथवा चूक के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त लेखा रिकॉर्डो की सटीकता तथा पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके , पर्याप्त लेखा रिकॉर्डो का रखरखाव भी शामिल है ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन, कंपनी की जारी चिंता, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबन्धित मामलों में क्षमता का आंकलन करने तथा लेखांकन के चलते चिंता के आधार के उपयोग हेतु जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को खत्म करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता, अथवा ऐसा करने के अतरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि सम्पूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, एवं एक लेखा परीक्षक के रूप में रिपोर्ट जारी करने के लिए हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी महत्वपूर्ण गलत

e. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act,1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that

विवरण का पता लगाएगी। धोखाधड़ी अथवा त्रुटी से गलत विवरण उत्पन्न होते हैं एवं यदि वे व्यक्तिगत रूप से अथवा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करें तो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं।

निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, तथा उन जोखिमो हेतु लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निर्माण एवं निष्पादन करना, एवं उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभाव शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितीनुसार उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशाली है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना ।
- व्यापरिक संस्था के लेखांकन के आधार पर प्रबंधन का उपयोग, तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारण कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो एक व्यापारिक संस्था के रूप में कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है, की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, अथवा यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख

includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's

तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियां से एक व्यापारिक संस्था के रूप में कंपनी समाप्त हो सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारित करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति की संज्ञा प्राप्त कर सकें।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम और समय एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते है।

हम शासन हेतु प्राधिकृत लोगों को एक बयान भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधो और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किये है।.

अन्य मामले

हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल साठ शाखाओं, जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी, 31 मार्च 2019 तक के ₹ 2910,11,59.08 हजार की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1247,54,25.98 हजार ₹ के कुल राजस्व (निवल प्रीमियम) तथा 1013,30,71.71 ₹ के प्रदत्त दावों में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। अट्ठावन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में यह पूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों के की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 तक वित्तीय विवरण, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और विनियमों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाया गया है।

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार , हमारे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

We did not audit the financial statements/information of sixty branches included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2910,11,59.08 thousands as at 31st March, 2019, total operating revenues in terms of Premium of ₹ 1247,54,25.98 thousands and Claims paid of ₹1013,30,71.71 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/information of fifty eight branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The financial statements as at March 31, 2019 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.

1. As required by section 143(3) of the Act, we report that

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ख) लेखा बहियों की जाँच पर, हमारी राय में शाखा द्वारा, विधिक रूप से आवश्यकतानुसार उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया गया हैं

ग) शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी के अट्ठावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;

घ) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप हैं जिन शाखाओं का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

ङ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में हैं;

च) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता हमारी पृथक रिपोर्ट अनुबंध क का संदर्भ लें।

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों–वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद सं 23 का संदर्भ लें, में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;

ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है;

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है;

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the branch so far as appears from our examination of those books;

c) The reports on the accounts of the fifty eight branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;

e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company;

g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “Annexure A” and;

h) With respect to other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer note 23 to Schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

2. Report u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, को दर्शायें.	i) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोडकर सू.प्रौ. सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है;– • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों में पूंजी के मूल्यह्रास की गणना। हालांकि मैनुअल नियंत्रण उपलब्ध हैं परन्तु वें पर्याप्त नहीं हैं एवं सिस्टम के माध्यम से पुनर्बीमा तथा अचल परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाना आवश्यक हैं। • निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नही है एवं निवेश विभाग के अंतिम परीक्षण शेष को सूप्रौ प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है। हांलकि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष राशि में निवेश परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है और निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सूप्रौ प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।
2	क्या किसी वर्तमान ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा दिए गए ऋण/ऋण / ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने के मामले हों? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	i) The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following:- • Working of Reinsurance Business & Depreciation Working of Fixed Assets. Though manual controls are available, they may not suffice and Reinsurance & Fixed Assets are also required to be routed through system. • Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation. Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trail Balance, it may not suffice and Investment Software should also be merged with the main IT system.
2	Whether there are any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/interest etc. made by lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	Not Applicable Company has not availed any loan.

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्ये का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, केंद्र सरकार से शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण अनुसार/ उपयोग किया जाता है।

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
3	Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, funds received in the form of share capital from central government were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

क्र. सं.	उप निर्देश	उत्तर
1	भौतिक / डीमेट रूप में उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बॉड्स / डिबेंचर्स आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाता हो, का सत्यापन किया जाये तथा यदि कोई विसंगति पायी जाये तो उसे रिपोर्ट किया जाये।	सी जी एस / एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं तथा उनका रिकोर्डों के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है।सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सी बी एल ओ परिचलनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। बॉड्स/डिबेंचरों को स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संरक्षक) के पास डीमेट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों को छोडकर, किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को भारतीय रेलवे वित्त निगम (ISIN: INE053F09FU0), फेस वैल्यू ₹ 5.00 करोड़) के बॉन्ड की 50 इकाइयों के लिए मोचन की तारीख 15-01-2019 की परिपक्वता तिथि प्राप्त हुई है। तथापि, 31 मार्च 2018 तक, ये स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल) के होल्डिंग विवरण में प्रदर्शित हो रहे हैं क्यूंकि एस एच सी आई एल को एन एस डी एल नामे पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

S. No.	SUB – DIRECTIONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the Stock Holding Company of India Limited (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found except in case of the following: During the financial year 2018-19, the Company has received redemption proceeds for 50 units of bonds of Indian Railway Finance Corporation (ISIN: INE053F09FU0), Face Value ₹5.00 Crores) on 15-01-2019 maturity date. However, as on 31st March 2019, these were still appearing in the holding statement of Stock Holding Corporation of India Ltd (SHCIL) as NSDL debit confirmation is not received by SHCIL.

क्र. सं.	उप निर्देश	उत्तर
3	क्या निवेशों के संबंध में हानि रोकने की सीमा निर्धारित है यदि हाँ, तो क्या सीमाओं का पालन किया गया। यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए।	कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड–टू– मेच्योरिटी)/ ए एफ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। तदनुसार, कंपनी के पास हानि रोकने की पॉलिसी/ हानि रोकने की सीमा नहीं है।

3. वे मामले जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, परंतु बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 की अनुसूची ग, विनियम 3 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही आवश्यक है:

क. निगम द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियाँ उचित हैं तथा इस संबंध में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले नियम 7 एवं विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आई आर डी ए द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों/निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में है;

ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट, शाखा स्तर पर की गयी समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंधन रिपोर्ट, की समीक्षा की है तथा वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट त्रृटियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी हैं।

ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4, में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों पूरा अनुपालन किया गया है;

घ. हमने (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा ऐसी शाखाओं जिनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ के मामले शाखा प्रबन्धकों द्वारा सत्यापित किए गए हैं) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत , सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टीकरण प्राप्त हो चुका है, से संबन्धित नकद शेषों

S. No.	SUB – DIRECTIONS	ANSWER
3	Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	As informed by the Company, the Company does not have trading portfolio. Company's entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity) / AFS (Available-for-Sale) category. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.

3. Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

a. the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDAI in this regard;

b. we have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there are no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

c. as per the explanation given by the management, the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. we have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary

तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है ;

ङ. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशों का मूल्यांकन अधिनियम एवं इसके दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है;

च. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा

छ. कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1ख) की शर्तों के अनुसार शेयरधाकों तथा पॉलिसीधारकों से संबन्धित कोई अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के आधार पर हमें ऐसे कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया हो।

evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations;

f. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

g. the Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडि)
भागीदार- M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (ळ) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा, ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की गई है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों साथ समतारीख को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक दिशानिर्देशों लेखों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और बनाए रखना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है।

इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित कंपनी के कारोबार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने, के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन करें।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा एवं आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10), आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, के अंतर्गत निर्धारित समझा जाए, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं के लेखा परीक्षा नोट के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है।

इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा उन्हें बनाए रखा गया है और ये नियंत्रण सभी भौतिक रूप में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के और उनके प्रभावी परिचालन बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा

"Annexure-A" to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of ECGC Limited ("the Company"), which comprise as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an

में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण विवरण गलत प्रस्तुत करने के जोखिमों का आकलन सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त कर लिए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से ऐसे संबंधित कि कंपनी की संपत्ति के उचित विवरण, उसके लेन-देन एवं प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक है संव्यवहार रिकॉर्ड किए गए हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या प्रकृति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अभिसंधि या अनुचित प्रबंधन द्वारा अवहेलना की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण विवरण गलत हो सकते है का पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण द्वारा भविष्य के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों

understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a

material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may

में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में परिवर्तन हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 को प्रभावी ढंग से परिचालित थे, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित हैं।

become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 100990W
For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी. गोलेचा)
भागीदार – M. No. 117617
(Anuj B. Golecha)
Partner - M.No. 117617

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड एकाउंटेट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडि)
भागीदार– M. No. 107659
(Anil Chikodi)
Partner - M.No. 107659

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2019
Place : New Delhi
Dated : 31st May, 2019

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया

COMMENTS OF CAG

कम्पनी अधिनियम143(6)(ख) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को, बीमा अधिनियम 1938 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण को तैयार करना तथा बीमा कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) नियम, 2002 के साथ पढ़ने के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप तथा कम्पनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) के अनुसार, तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन पर है।अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपने विचार व्यक्त हेतु जिम्मेदार है जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत दिए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होगा। दिनांक 31.05.2019 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उक्त का अनुपालन किया गया है।

मैनें, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च,2019 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया गया है। पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से, संविधिक लेखापरीक्षक के किसी भी कार्यकारी दस्तावेज़ के संदर्भ के बिना तथा मुख्य रूप से संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा कंपनी के कर्मचारियों तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनित परीक्षा के आधार पर किया गया है।

अपने पूरक लेखापरीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी नज़र में वित्तीय विवरणों तथा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं ।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन पत्र–कोष का विनियोग–अनुसूची 14

संदिग्ध आस्तियों/निवेश के लिए प्रावधान– ₹ 41.34 करोड़

लेखा का एक भाग बनने वाला नोट– अनुसूची 17– नोट 6(ख)

कंपनी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) के सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में ₹ 105 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान निवेश पर मूल और ब्याज चूक हुई तथा कंपनी ने निवेश के मूल्यह्रास हेतु ₹. 26.25 करोड़ (25 प्रतिशत) का प्रावधान

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and development authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 31.5.2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comment on Financial Position

Balance Sheet - Application of Funds - Schedule 14

Provisions for Doubtful Assets/Investment - ₹ 41.34 crore

Note forming part of Accounts – Schedule 17 – Note 6 (b)

The company invested ₹ 105 crore in secured Non-Convertible Debentures (NCDs) of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL & FS). There were principal and interest defaults on the investment during the year and the Company has created a provision of

किया है। इसके अतरिक्त, लेखों पर नोट (नोट 6) में यह खुलासा किया गया है कि जो प्रावधान किया गया है, वह आरबीआई और आईआरडीएआई के बीमा कंपनियों हेतु लागू आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान से अधिक है।

हालाँकि, 11 फरवरी 2019 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, कंपनियों के आईएल एंड एफएस समूह के मामलों का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल ने उस इकाई को रखा है, जिसमें कंपनी नें उपर्युक्त निवेश को रखा है अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लरींशर्स़्ी रेड 'श्रेणी के तहत। इसका मतलब यह है कि इकाई अपने वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। इन परिस्थितियो को देखते हुए, कंपनी को उपरोक्त निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति पूर्ण प्रावधान करना चाहिए था।

कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निवेश के मूल्यह्रास को कम आंका गया है और लाभ को 78.75 करोड़ रु. अधिक आंका गया है।

Rs.26.25 crore (25 per cent) towards diminution in value of investments. Further, disclosure has been made in the Notes on accounts (Note 6) that the provision made is higher than the provision required to be made as per Prudential Norms for the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning issued by RBI and IRDAI applicable to Insurance Companies.

However, as per proceedings before National Company Law Appellate Tribunal dated 11 February 2019, the new Board of Directors appointed by the Union Government to manage the affairs of the IL & FS group of companies has placed the entity in which the Company holds the above mentioned investment viz. Infrastructure Leasing and Financial Services Limited under the 'Red' category. This means that the entity cannot meet its payment obligations towards even senior secured financial creditors. Considering these developments, the Company should have made full provision against diminution in the value of above investments.

The short provision has resulted in understatement of provision for diminution in value of investments and overstatement of profit by ₹ 78.75 crore.

(रूप राशि)
वणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक तथा
लेखा मंडल– ख के पदेन सदस्य, मुम्बई

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 08.08.2019

(Roop Rashi)
Director General of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai
Date: 08.08.2019

भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल की टिप्पणी पर उत्तर

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुभाग 143 (6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 के वर्ष समाप्ति के ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय सांख्यिकी के संबंध मे भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल की टिप्पणी पर उत्तर।

आईएल और एफ़एस के प्रतिभूतियों मे कंपनी के निवेश सुरक्षित प्रकृति के हैं। आईआरडीएआई के नियमानुसार, उप–मानक परिसंपत्तियों के लिए 10% प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जबकि विवेकपूर्ण आधार पर प्रबंधन ने 25% प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो नियामक आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार कंपनी द्वारा एनपीए का प्रावधान किया गया है जो प्रचलित विनियामक मानदंडों के अनुसार है और इसमे निर्धारित दिशानिर्दे शों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कंपनी द्वारा भविष्य के लिए प्रावधान, आईएल एंड एफएस और इसके समूह संस्थाओं के संपर्क में आने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए प्रावधान के अनुरूप है।

REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

Investment of the Company in the debentures of IL & FS is secured in nature. As per IRDAI regulations, 10% provision is required to be made for sub-standard assets whereas on a prudent basis Management has taken a decision of providing 25%, which is higher than the regulatory requirement. Thus NPA provisioning has been made by company is in accordance with prevailing regulatory norms and there is no violation of the laid down guidelines.

Further provision made by the Company is in line with provision made by other Financial Institutions having exposure to the IL&FS and its group entities.

Service Network

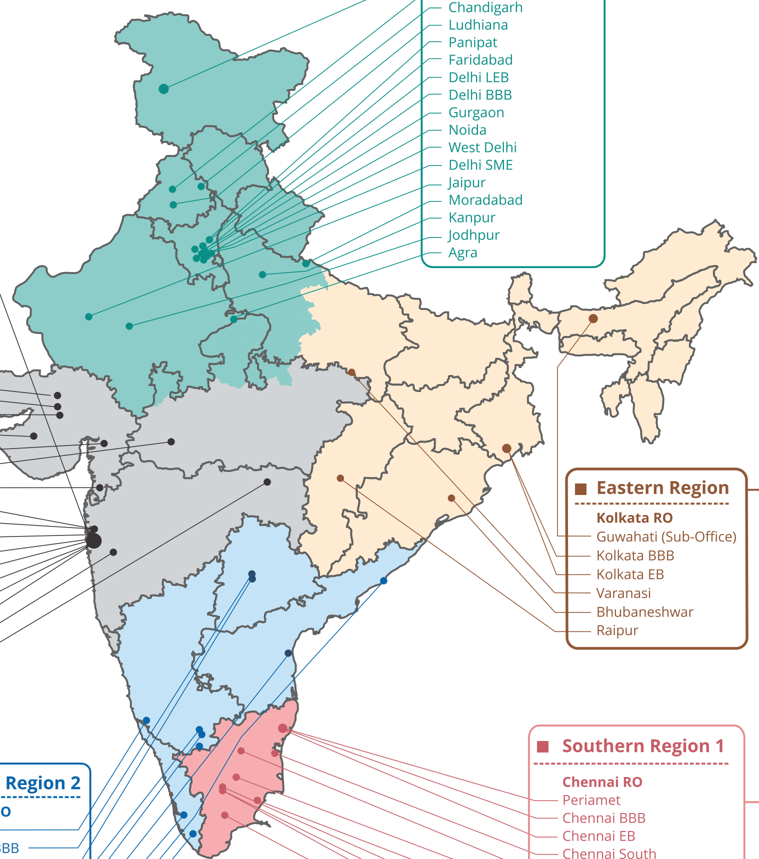

Northern Region
- Delhi
- Chandigarh
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
- Madhya Pradesh (part)
- Punjab
- Rajasthan
- Uttar Pradesh (West)
- Uttarakhand

Northern Region

Delhi RO
Srinagar, Jalandhar, Chandigarh, Ludhiana, Panipat, Faridabad, Delhi LEB, Delhi BBB, Gurgaon, Noida, West Delhi, Delhi SME, Jaipur, Moradabad, Kanpur, Jodhpur, Agra

Eastern Region
- West Bengal
- Bihar
- Chhattisgarh
- Odisha
- Seven NE states
- Sikkim
- Uttar Pradesh (East)
- Chattisgarh

Eastern Region

Kolkata RO
Guwahati (Sub-Office), Kolkata BBB, Kolkata EB, Varanasi, Bhubaneshwar, Raipur

Southern Region - 1
- Tamil Nadu
- Andaman and Nicobar Islands
- Puducherry

Southern Region 1

Chennai RO
Periamet, Chennai BBB, Chennai EB, Chennai South, Salem, Karur, Tuticorin, Tirupur BBB, Tirupur EB, Coimbatore, Madurai

Western Region
- Maharashtra
- Dadra and Nagar Haveli
- Daman and Diu
- Goa
- Gujarat
- Madhya Pradesh (part)

Mumbai HO

Western Region

Mumbai RO
GIFT City, Ahmedabad EB, Ahmedabad BBB, Rajkot, Vadodara, Indore, Surat, Thane, Andheri, Bandra BBB, Bandra SME, Mumbai BBB, Mumbai LEB, Mumbai PEB, Churchgate, Pune, Nagpur

Southern Region - 2
- Karnataka
- Andhra Pradesh
- Kerala
- Lakshadweep
- Telangana

Southern Region 2

Bangalore RO
Mangalore, Hyderabad BBB, Hyderabad EB, Bangalore EB, Bangalore BBB, Guntur, Kochi, Vishakhapattnam, Kollam

Map is not to scale and shows approximate locations only.

सेवा तंत्र
SERVICE NETWORK

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
विपणन विभाग **MARKETING DEPARTMENT** निर्मल, 5वीं मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Nirmal Building, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590700/01/11	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा **PROJECT EXPORT BRANCH** दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138831	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई **LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138800	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुंबई **BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, तीसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138600	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय **WESTERN REGIONAL OFFICE** द मेट्रोपॉलिटन, 7वीं मंजिल,प्लॉट नं. सी-26/27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	wro@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
बांद्रा एसएमई शाखा **BANDRA SME BRANCH** द मेट्रोपॉलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा **BANDRA BANK BUSINESS BRANCH** द मेट्रोपॉलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा **ANDHERI BRANCH** 506, टाउन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट के बगल में, मरोल, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 506, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 28590906/7614/ 3856	andheri.mumbai@ecgc.in
चर्चगेट शाखा **CHURCHGATE BRANCH** तल मंजील, चर्चगेट चेम्बर्स, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, प्लॉट नंबर 5, न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 Ground Floor, Churchgate Chambers, Vitthaldas Thackersey Marg, Plot No. 5, New Marine Lines, Churchgate, Mumbai 400020	(022) 2210 7900	churchgate.mumbai@ ecgc.in
ठाणे शाखा **THANE BRANCH** कुसुमंजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे - 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602	(022) 25347807	thane@ecgc.in
अहमदाबाद निर्यातक शाखा **AHMEDABAD EXPORTER BRANCH** 401, हेरिटेज नगीनदास चेम्बर्स के पीछे, गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड के समीप, उस्मानपुरा अहमदाबाद - 380014 401 , Heritage Behind Nagindas Chambers, Near Gujarat Vidyapith Ashram Road, Ushmanpura Ahmedabad-380 014	(079) 27544499/ 0054	ahmedabad@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा **AHMEDABAD BANK BUSINESS BRANCH** नगीनदास चेम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544932	bbb.ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा **PUNE BRANCH** वास्तु चेम्बर्स, पहली मंजिल, 1202/39 शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531998/ 12871	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा **INDORE BRANCH** 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम.जी. रोड, इंदौर- 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा **RAJKOT BRANCH** निर्मल- दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कार्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले से सामने, राजकोट- 360 001 Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा **VADODARA BRANCH** 504, कॉनकॉर्ड, छठी मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2353304/ 4728	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा **NAGPUR BRANCH** प्लॉट सं 317, दूसरी मंजिल, एम. जी. हाउस के समीप, आर. एन. टगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर- 440 001 Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R. N. Tagore Marg Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 2550504	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा **SURAT BRANCH** 503, 21 संेचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत - 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 2364074	surat@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई–मेल / E-mail
गिफ्ट सिटी शाखा **GIFT CITY** आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं–304, तीसरा मंजिल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर– 382 355 IFSC Insurance Office, Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar-382 355	9826259893	giftcityiio@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय **EASTERN REGIONAL OFFICE** एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सारनी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963-66	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सारनी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963-66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा **KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH** एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सारनी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963-66	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा **VARANASI BRANCH** पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, युनिट नं 1, नदेसर, वाराणसी – 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा **BHUBANESHWAR BRANCH** प्लॉट नं. 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर – 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
रायपुर शाखा **RAIPUR BRANCH** तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड सं- 1, तेलीबांधा, रायपुर- 492 006 3rd Floor at Udyog, Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006	(0771) 4918826/28	raipur@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** शर्मा बिल्डिंग, एचपी ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहबारी, गुवाहाटी - 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय **SOUTHERN REGIONAL OFFICE** स्पेन्सर टॉवर्स, 7 वीं मंजिल,770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002	(044) 28491026-33	sro-I@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** स्पेन्सर टॉवर्स, 7 वीं मंजिल,770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002। Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002	(044) 28491026-33	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा **CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH** तीसरी मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, माउन्ट रोड, चेन्नई - 600 002 3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 42284488-99	bbb.chennai@ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा **CHENNAI SOUTH BRANCH** 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, दूसरा मेन रोड, न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई- 600 044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrom-pet, Chennai -600 044	(044) 22413540/ 4540/ 5540	chennaisouth@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
पेरियामेट शाखा **PERIAMET BRANCH** लेदर सेंटर, तीसरी मंजिल, 43/53 राजा मुथैया रोड, पेरियामेट, चेन्नई - 600 003 Leather Centre, 3rd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 48599063	periamet.chennai@ecgc.in
कोयम्बटूर शाखा **COIMBATORE BRANCH** चेरन प्लाजा, दूसरी मंजिल, 1690 त्रिची रोड, कोयम्बटूर - 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1690 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304775/ 6/ 9	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा **MADURAI BRANCH** पहली मंजिल, 69 पी.टी. राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, मदुरै- 625 002 First Floor, 69 P.T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai - 625002	(0452) 2525521/ 0340	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा **SALEM BRANCH** शांति प्लाज़ा, तीसरी मंजिल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नुस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, सेलम -636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2442275	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा **TIRUPUR EXPORTERS BRANCH** 137/2 सी. जी. कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998/ 4355	ebb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2 सी. जी. कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232812	bbb.tirupur@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
तुतीकोरिन शाखा **TUTICORIN BRANCH** 209/ए-1, पहली मंजिल, वी. ई. रोड, बैक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतीकोरनि- 628 003 209/A-1, V E Road, (First Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel, Tuticorin 628 003	(0461) 2324351	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा **KARUR BRANCH** तीसरी मंजिल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुथपुरम, करूर - 639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911/ 1725	karur@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - II **SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II** रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139/ 82575	sro-II@ecgc.in
बेंगलूरू निर्यातक शाखा **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** वायुदूत चेम्बर्स, चौथी मंजिल, 15-16 एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Vayudooth Chambers, 4th Floor,15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25589775/ 91729	bangalore@ecgc.in
बेंगलूरू बैंक कारोबार शाखा **BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH** रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, ईस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25585375/ 2578	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा **KOCHI BRANCH** एचड़ीएफसी हाउस, दूसरी मंजिल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोची - 682 015 H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(080) 2359437/ 57	kochi@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई–मेल / E-mail
कोल्लम शाखा **KOLLUM BRANCH** सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम – 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road, Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा **HYDERABAD EXPORTERS BRANCH** हाका भवन, दूसरी मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद – 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23234334/ 40833	ebb.hyderabad@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** 6 वी मंजिल, एल.बी. भवन, 6–3–550, मेडीनोवा के सामने, एर्रामंजिल, सोमाजिगुड़ा, हैदराबाद – 500 082 6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 23396382/ 3	bbb.hyderabad@ecgc.in
विशाखापत्तनम शाखा **VISHAKHAPATNAM BRANCH** शंकर प्लाजा, पहली मंजिल, द्वारकानगर, शंकरमठम के सामने, शंकरमठ्म रोड, विशाखापत्तनम – 530 016 Shankar Plaza, 1st Floor, Dwarkanagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748653	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा **GUNTUR BRANCH** कृष्णा प्लाजा, दूसरी मंजिल, 26–21–22 नागराम पालेम, जी टी रोड, गुंटूर – 522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337096	guntur@ecgc.in
मंगलूर शाखा **MANGALORE BRANCH** एस्सेल टॉवर्स, पहली मंजिल, 14–1–58/31–32, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलोर – 575 003। Essel Tower, 1st floor, Door No. 14-1-58/31 -32, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575003	(0824) 2444289/ 2411622	mangalore@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई–मेल / E-mail
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय **NORTHERN REGIONAL OFFICE** मोहन देव बिल्डिंग, 6वी मंजिल, टॉल्स्टाय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001 Mohan Dev, 6th Floor, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001	(011) 41529912/ 13	nro@ecgc.in
दिल्ली एसएमई शाखा **DELHI SME BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली – 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284000	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा **DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली – 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा **DELHI BANK BUSINESS BRANCH** तीसरी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली – 110 001 3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 49284666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी दिल्ली शाखा **WEST DELHI BRANCH** 305 – 306, के एल जे टावर, तीसरी मंजिल (पूर्व), नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142/ 43/ 44	west.delhi@ecgc.in
गुड़गांव शाखा **GURGAON BRANCH** प्लॉट सं 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुड़गाँव, हरियाणा – 122 016 Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon, Haryana - 122 016	(0124) 4300603/04	gurgaon@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
लुधियाना शाखा **LUDHIANA BRANCH** 92, सुर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, दि मॉल रोड, पी ओ बॉक्स नं. 281, लुधियाना – 141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा **JALANDHAR BRANCH** ऑफिस सं 1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समिप, 21–22 जी. टी. रोड, जालंधर, पंजाब– 144 001 Office No.1 Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab-144 001	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा **KANPUR BRANCH** 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, चुन्नीगंज, कानपुर – 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा **MORADABAD BRANCH** पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद – 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476/ 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा **JAIPUR BRANCH** दूसरी मंजिल, आनंद भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर– 302 001 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur- 302001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा **AGRA BRANCH** दीपक वासन प्लाजा, दूसरी मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा – 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2521676	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा **PANIPAT BRANCH** मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, संजय चौक के पास, जी. टी. रोड, पानीपत – 132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634933/ 3139	panipat@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई-मेल / E-mail
जोधपुर शाखा **JODHPUR BRANCH** 178, नारायनम, दूसरी मंजिल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के समीप, जोधपुर – 342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 2770302/ 03	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा **CHANDIGARH BRANCH** पीएचडी चेंबर हाउस, पहली मंजिल, सेक्टर 31– ए, चंडीगढ़ – 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003628/27	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा **NOIDA BRANCH** 1121, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी– 1, सेक्टर 16, नोएडा, यूपी– 201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 18, Noida, UP - 201 301	(0120) 4249186	noida@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा **FARIDABAD BRANCH** एससीओ–149, दूसरी मंजिल, सेक्टर–21–सी, फरीदाबाद, हरियाणा – 121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315114/ 7	faridabad@ecgc.in
श्रीनगर शाखा **SRINAGAR BRANCH** जेकेएसएफसी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, दुर्गा नगर, दालगेट, श्रीनगर – 190 001 JKSFC Bldg., 2nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500260	srinagar@ecgc.in

टिप्पणीयाँ / NOTES

टिप्पणीयाँ / NOTES

टिप्पणीयाँ / NOTES

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पाईन्ट, मुंबई – 400 021

टेली: 6659 0500 / 6659 0510 • वेबसाइट: www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे.

ECGC Limited

(A Government of India Enterprise)

Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,

Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Website: www.ecgc.in

CIN No. U74999MH1957GOI010918

You focus on exports. We cover the risks.